

19th ANNUAL REPORT 2023-2024



తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ తెలంగాణ గ్రామీణ బేక్
TELANGANA GRAMEENA BANK
(SPONSORED BY STATE BANK OF INDIA)



Atal pension yojana award for the FY 2023-24 presented by PFRDA was received by Chaiman, Smt. Y.Sobha



LETTER OF TRANSMITTAL

Date: 30.04.2024

To
The Secretary,
Department of Financial Services,
Ministry of Finance,
Government of India,
New Delhi.

Dear Sir,

**19th ANNUAL REPORT 2023-24
TELANGANA GRAMEENA BANK**

In accordance with the provisions of section 20 of the Regional Rural Bank Act, 1976,
I forward herewith the following documents.

- ◆ A report of Board of Directors as to the Bank's working and its activities during the period from 01.04.2023 to 31.03.2024.
- ◆ A copy of the audited Bank's Balance Sheet and Profit & Loss Account for the year ended 31.03.2024.
- ◆ A copy of the Auditor's Report in relation to the Bank's accounts for the period from 01.04.2023 to 31.03.2024.

Yours faithfully,

(Y. SOBHA)
CHAIRMAN



Vision, Mission and Values

VISION

To be the premier RRB in the Telangana State providing technologically advanced, committed and quality service in all spheres of banking and be the most Trusted Bank for Rural Development.

MISSION

“Providing transparent and efficient Banking Services at reasonable cost at the doorsteps of our customers by ensuring 100% Financial Inclusion, empowerment of rural customers, promoting Self Help Group (SHG) movement with special emphasis on women and earn continuous profits by having healthy business mix thus becoming a leading Bank in our area of operation”

VALUES

- Commitment for Rural Development
- Transparency
- Excellence in customer service
- Team Spirit



REGIONAL BUSINESS OFFICES

Regions in Telangana:

ADILABAD

Regional Business Office,
Saraswathi Bhavan,
Near Gandhi Park,
Adilabad - 504 002
rmadb@tgbhyd.in

KARIMNAGAR

Regional Business Office,
H.No.2-8-128, Ward No.2,
Besides Seven Hills, Mukarampura,
Karimnagar - 505 002
Tel: 0878 - 2249275
rmknr@tgbhyd.in

NIZAMABAD

Regional Business Office,
D.No 6-2-196,
Near Zilla Parishad,
Subhash Nagar, Nizamabad - 503 002
rmnzb@tgbhyd.in

HYDERABAD-I

Regional Business Office,
H.No. 9-27/1,
Lalithanagar, Dilsukhnagar,
Hyderabad - 500 060
rmhyd@tgbhyd.in

MANCHERIAL

Regional Business Office,
H.No. 4-56,
Janmabhumi Nagar, Mancherial
rmmncl@tgbhyd.in

HYDERABAD-II

Regional Business Office,
H.No. 2-1-520, 3rd Floor,
Street No.9, Shankarmutt Road,
Nallakunta, Hyderabad - 500 044
rmhyd2@tgbhyd.in

JAGTIAL

Regional Business Office,
H.No. 3-6-92, Karimnagar Road,
Opp: Bombay Cloth Show Room,
Jagtial Town,
Jagtial Dist. - 505327
mjgl@tgbhyd.in

NIRMAL

Regional Business Office,
H.No 8-1-83/2,
Shantinagar Road,
Vinayak Nagar,
Nirmal - 504106
rmnirmal@tgbhyd.in

BOARD OF DIRECTORS

AS ON 31-03-2024



Smt Y Sobha
Chairman

(General Manager on deputation from State Bank of India)

Nominee Directors of Government of India
under Section 9(1)(a) of RRB Act, 1976



Vacant



Vacant

Nominee Director of RBI
Section 9(1)(b) of
RRB Act, 1976



Shri Umesh Ramling Swami

Asst. General Manager
Reserve Bank of India,
Hyderabad.

Nominee Director of
NABARD Section 9(1)(c) of
RRB Act, 1976



Smt. Siva Tulasi Devata

Dy. General Manager
NABARD Regional Office,
Telangana State,
Hyderabad.

Nominee Directors of Sponsor Bank
Section 9(1) (d) of RRB Act, 1976



Shri V Sivakumar

General Manager (RRB)
State Bank of India,
Mumbai.



Shri Binod Kumar Sinha

Dy. General Manager
(ABU - GSS)
State Bank of India, LHO, Hyderabad.

Nominee Directors of State Government under
Section 9(1) (e) of RRB Act, 1976



Shri Rayi Ravi

Addl. Secretary
Finance Department,
Govt. of Telangana



Dr. B Gopi, IAS

Commissioner of Agriculture
Govt. of Telangana

TOP MANAGEMENT



Smt Y Sobha
Chairman



Shri T Chandra Sekhar
General Manager-I



Shri D Ramesh
General Manager-II



Shri K V Prasad
General Manager-III



Smt T Bharati Thayar
General Manager (Vig)



Smt. K P Shobha Rani
General Manager (IT)

REGIONAL MANAGERS

Shri G Venkatram Reddy
Regional Manager
Adilabad

Shri D Prabhudas
Regional Manager
Karimnagar

Shri P Naveen Kumar
Regional Manager
Nizamabad

Shri Syed Yousuf
Regional Manager
Hyderabad-I

Shri T Muralimanohar Rao
Regional Manager
Mancherla

Smt. B Balanagu
Regional Manager
Hyderabad-II

Shri Sushanth Kumar
Regional Manager
Jagtial

Shri DVS Rama Rao
Regional Manager
Nirmal

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

M/s M Bhaskara Rao & Co
Hyderabad

OUR MENTORS



Shri Dinesh Kumar Khara

Chairman
State Bank of India
Corporate Centre, Mumbai



Shri Vinay M Tonse

Managing Director
State Bank of India



Shri Debangshu Munshi

Chief General Manager, (A&S)
State Bank of India, Corporate Centre, Mumbai

OUR REGULATORS & SUPERVISORS



Smt. K Nikhila

Regional Director
RBI, RO, Hyderabad



Shri Suseela Chintala

Chief General Manager
NABARD, TSRO, Hyderabad



BANK'S PERFORMANCE AT A GLANCE 2023-24

I. HIGHLIGHTS		(₹ in Crore)	
	31 st March 2024	31 st March 2023	
Branches	429	427	
Deposits	14194.81	12610.33	
Advances	14840.69	12893.00	
Total Business	29035.50	25503.33	
Gross Profit	708.66	599.25	
Gross NPAs	264.68	263.83	
Gross NPA to Aggregate Advances	1.78%	2.05%	
Net NPA to Aggregate Advances	0.00%	0.00%	
Average cost of Deposits	5.51	4.78%	
Average Yield on Advances	9.93	10.01%	
Average Return on Investments	7.84%	6.90%	
Advances under Agricultural Segment	9223.56	64.63%	
Advances to Priority Sector	79.60%	78.81%	
Credit Deposit Ratio	104.55%	102.24%	
Owned funds	2513.12	1984.05	
Productivity			
a) per branch	67.68	59.73	
b) per employee	15.71	14.63	
Return on Assets	2.42%	2.62%	
Return on Equity	23.41%	25.48%	
Net Profit per employee	0.29	0.26	
Net Interest Margin	4.16%	4.66%	
Capital Adequacy Ratio	20.18%	17.20%	
Provision Coverage Ratio	100%	100%	
Cost of Funds	4.83%	4.25%	



Chairman's Report

It is my pleasure to share with you the Annual report of Telangana Grameena Bank along with the financial statements for the year 2023-24.

I am happy to convey to you that during the year 2023-24, Bank registered a business level of Rs 29,035.50 Crs, with a growth of 13.85% amounting to Rs 3,532.17 Crs in absolute terms from Rs 25,503.33 Crs for FY 2022-23.

Total deposits of the Bank increased to Rs 14,194.81 crs as on 31.03.2024 as against Rs. 12,610.33 crs as on 31.03.2023 recording a growth of Rs 1,584.48 crs. CASA deposits grew by Rs 854.23 crs recording a growth of 19.92% and reached Rs 5,142.04 crs as on 31.03.2024 as against Rs 4,287.81 crs as on 31.03.2023.

Bank's advances grew to Rs 14,840.69 crs as on 31.03.2024 from Rs 12,893.00 crs as on 31.03.2023, registering a growth of 15.11%. Net Interest Margin (NIM) decreased from 4.66% as on 31.03.2023 to 4.16% as on 31.03.2024, owing to the increase in cost of funds across the industry.

It is my pleasure to share with you that the Bank has registered a gross profit of Rs 708.66 crs for the FY 2023-24, recording a growth of 18.26%.

Doing justice to the purpose for which the RRBs are set up and to fulfill the credit needs of the

people of unbanked and under banked rural areas, TGB has extended credit to small and marginal farmers, weaker sections of society for modernizing various activities in rural, semi-urban and urban areas mainly for improving the income of the individual households and uplifting their families. Crop loans, SHG loans, Housing loans and Jewel loans continued to be in focus during this financial year also.

To boost the cause of women empowerment, we have financed around 12.87 lakh women borrowers amounting to 74.51% out of total borrowers of the Bank. Talking particularly of the SHG segment, Bank has financed 76,709 SHGs in total covering 9,25,352 women beneficiaries across the 18 districts of Telangana.

The Bank's priority sector lending for FY 2023-24 stood at Rs 11,395.61 crs as on 31.03.2024 against Rs 10,160.90 crs as on 31.03.2023 recording a growth of 12.15%. This is 1.79% over and above the mandated 75%.

To improve quality, standardization and quick delivery of credit, we have set up 31 Asset management Hubs across the Bank and ensured that the branches remain marketing hubs for various products. For maintaining the quick delivery and efficient customer service we



retained the sanction of KCC loans, jewel loans and small value Govt. sponsored schemes at the branches itself. We trained the staff working in AMHs for ensuring quality credit delivery.

Housing loan portfolio of the Bank increased from Rs 1,608.62 crs in FY 2022-23 to Rs 2,023.12 crs in FY 2023-24 registering a growth of 25.77% with absolute growth of Rs 414.50 crs.

Jewel loans (Personal Gold Loans) have increased from Rs 1,392.39 crs in FY 2022-23 to Rs 1,672.46 crs in FY 2023-24, registering a growth of 20.11% with absolute growth of Rs 280.07 crs.

I am happy to share with you once again that, with the persistent efforts made by the staff members, the NPAs of the Bank could be reduced from 2.05% of total advances as on 31.03.2023 to 1.78% of total advances as on 31.03.2024. In absolute terms, the NPAs have increased slightly from Rs 263.83 crs as on 31.03.2023 to Rs 264.68 crs as on 31.03.2024 by Rs 0.85 crs though TGB recorded a growth of Rs 1,947.69 crs in advances portfolio. For second consecutive year, the net NPA is maintained as 0.00%. Bank adopted focused approach and suitable strategies to reduce the NPAs during the current financial year also.

Capital adequacy to Risk weighted Assets Ratio (CRAR) stood at 20.18% as on 31.03.2024 as against 17.20% of financial year 2022-23. The mandated CRAR for RRBs is 9%. This shows that the Bank is going strong on fundamentals.

Business of the Bank Per branch increased to Rs 67.68 crs during FY 2023-24 from Rs 59.73 crs during FY 2022-23. Business per employee also increased to Rs 15.71 crs during FY 2023-24 from Rs 14.63 crs during FY 2022-23, recording a growth of 7.4%.

Cost of deposits of the Bank stood at 5.51 % as on 31.03.2024. Net Interest Margin of the Bank stood at 4.16% as on 31.03.2024 as against the MoU target of 5.00%. Provision Coverage Ratio is maintained at 100% as on 31.03.2024 against MoU target of above 70%. Cost of Funds of the

Bank stood at 4.83% as on 31.03.2024 as against the level of 4.25% as on 31.03.2023.

Bank has conducted 5,643 Financial and Digital Literacy camps and Financial Literacy Programmes by counselors to make the Bank customers aware of the benefits of cashless transactions and the safeguards to be taken at their level, while doing the digital transactions. With 90% of the eligible transactions on digital platforms, the regular conducting of FDLC meetings become imperative to post the customers updated of the developments. Out of 5,643 FDLC & FLC meetings conducted, 4,299 in rural and semi-urban centers and 1,344 in urban and metro centers. This shifting to digital transactions will save time and cost to the customers as also to the Bank.

We have improved our CD ratio to 104.55% during 2023-24 from 102.24% during 2022-23. This is in tune with the Telangana state CD ratio.

We committed ourselves for continuing innovation and implementation of IT products and delivery of services, apart from improving the security of the network in which the Bank is operating. I feel delighted to inform you that Bank has introduced a lot of new IT initiatives during the financial year.

Bank has launched the following digital products during FY 2023-24

- UPI on boarding through Aadhaar OTP.
- UPI Interoperable Card less Cash Withdrawal
- Whatsapp Banking
- Account Aggregator
- TGB Positive Pay Application

Services added in Mobile Banking and Internet Banking

- **E-Services:** Online Registration for Social Security Schemes - PMSBY, PMJJBY, APY.



- **E-Deposits:** Open and manage Fixed and Recurring Deposits.

Bank received four awards from IBA for its performance in IT initiatives in 19th Banking Technology Awards during FY 2023-24:

- ✦ Winner in Best AI & ML Bank Category in RRBs
- ✦ Runner-up in Best Technology Bank.
- ✦ Runner-up in Best Fintech & DPI Adoption.
- ✦ Special Prize in Best Digital Engagement.

We have implemented 21 out of 22 DFS Deliverables as on 31.03.2024 and the remaining initiative i.e. Contactless Debit Card implemented in May' 2024. Further, we have developed 50 in-house IT initiatives during the financial year 2023-24 and implemented all.

Going forward, we are putting in our best efforts to make TGB a regulatory compliant, cyber secure and risk mitigated Bank, duly protecting the interest of the customers and staff members. We have set up appropriate committees in place, training the man-power in different directions, and arranging for requisite infrastructure in place.

We have introduced two new schemes exclusively for regular SHG Group Women

members to start small business and self-employment activities under TMMY (TGB Mahila Mudra Yojana) and TMUY (TGB Mahila Unnati Yojana). We launched an end to end digital product for small business loans by name TGB Business loans. We also entered into MoU with startups to promote fisheries in the state of Telangana, in view of the water abundancies in some districts of Telangana. I assure you that the TGB will see new heights during the process of improving the economic standards of the people of Telangana.

I place on record my sincere gratitude to all our customers and officials of our Sponsor Bank, NABARD, RBI, Government of India, State Government and District Administration as they supported and guided us to the position we are in, today.

I am grateful and thankful to our Board of Directors for their valuable guidance, insights and support all through the Board Meetings.

I thank all my staff members for putting in their best efforts, to achieve the targets set for 2023-24, supported me at every stage with complete dedication, loyalty and commitment. I place on record my appreciation to each of the staff members for their excellent contribution.

Y Sobha

(Chairman)



Our Chairman, Smt. Y.Sobha meeting Sri Amit Jingran, DMD-SBI.



Our Chairman, Smt. Y.Sobha meeting Sri.Rajesh kumar, CGM-SBI Hyderabad circle.



VBSY programme was conducted at Meerkhan pet village by our Pulimamidi branch and 3 attended by Honorable Governor of Telangana Smt. Dr. Tamilisai Soundarajan, Sri K.V.Prasad, GM-III and Sri Syed Yousuf (RM- Hyderabad-I) were also present.



Our Chairman, Smt. Y. Sobha lighting up the lamp with Minister for Agriculture of Telangana, Sri. Tummala Nageswara Rao. CGM NABARD Smt. Suseela Chintala was also present.



Financing of tractor unit at our Indervelly branch (28)-Handing over of key by the Chairman, Smt. Y. Sobha. Sri G. Venkat Ram Reddy (RM-Adilabad) was also present.



Inauguration of new premises of ADILABAD MAIN BRANCH (02) of ADILABAD region by the Chairman, Smt. Y. Sobha. Sri G. Venkat Ram Reddy (RM-Adilabad) was also present.



Inauguration of new premises of Sirsilk Colony Branch (61) of Mancherial region on 22.02.2024 by the Chairman, Smt. Y.Sobha. Sri T. Murali Manohar Rao (RM-Mancherial) was also present.



Hydraulic excavator financed by Mancherial branch (45) under Standup India- Handing over of key by the Chairman, Smt. Y.Sobha. Sri T. Murali Manohar Rao (RM-Mancherial) was also present.



Inauguration of new branch at Motlapalli (432) of Karimnagar region on 15.02.2024 by the Chairman, Smt. Y.Sobha. Sri D. Prabhu Das (RM-Karimnagar) was also present.



Model CSC centre opening by Sri. D.Ramesh, General Manager-II at Uppal (k) Karimnagar region. Sri D. Prabhu Das (RM-Karimnagar) was also present.



SHG Disbursement at Jagtial by our Chairman, Smt. Y.Sobha and Sri Sushanth Kumar, RM Jagtial.



SHG Disbursement at Nirmal by our Chairman, Smt. Y.Sobha and Sri DVS RamaRao, RM Nirmal
Sri Ashish Sangwan IAS, District Collector Nirmal



SHG Disbursement at Nirmal by our Chairman, Smt. Y.Sobha and Sri DVS Rama Rao, RM Nirmal. and Sri K. Varun Reddy IAS, District Collector Nirmal



SHG Disbursement at Nizamabad by our Chairman, Smt. Y.Sobha and Sri P. Naveen Kumar, RM Nizamabad and Sri Jitesh V Patil IAS, District Collector Kamareddy



SHG disbursement at Nizamabad by our Chairman Smt. Y.Sobha and sri P.Naveen Kumar, RM-Nizamabad.



Inauguration of new premises of Miyapur branch of Hyderabad-I region by the Chairman, Smt. Y.Sobha. Sri Syed Yousuf (RM- Hyderabad-I) was also present.



Inauguration of new premises of CCI Road Tandur branch of Hyderabad-II region by the Chairman, Smt. Y.Sobha. Smt B.Balanagu (RM- Hyderabad-II) was also present.



Our Chairman Smt. Y.Sobha, felicitating team Mancherial, winners of TGB Premier league together with GMs and RM-Mancherial.

తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్

(ప్రభుత్వ రంగ పెద్దపట్ట బ్యాంక్ SBI వారి సహకారంతో)
ప్రాంతీయ వ్యాపార కార్యాలయం, ఆదిలాబాద్.

TELANGANA GRAMEENA BANK

(GOVT. SCHEDULED BANK SPONSORED BY STATE BANK OF INDIA)

HANDLOOM & HANDI CRAFT LOANS TO RURAL ARTISANS

గ్రామీణ చేతి వృత్తులు, వస్త్ర మరియు చేనేత వారిలకు ఋణములు

FINANCIAL ASSISTANCE TO RURAL ARTISANS

గ్రామీణ వ్యవస్థలకు వేరుబాట



Financial assistance to rural artisans by RBO-Adilabad



Financial literacy awareness program was conducted at Degaon (B)-(308) of Adilabad region.



KEY PERFORMANCE INDICATORS

(₹ in Crores)

S.NO	PARTICULARS	2021-22	2022-23	2023-24
A	KEY PERFORMANCE INDICATORS:			
1	No.of Districts covered	18	18	18
2	No.of Branches	426	427	429
a)	Rural	315	315	318
b)	Semi-Urban	68	69	68
c)	Urban	31	31	31
d)	Metropolitan	12	12	12
	Ultra Small Branches	596	596	690
3	Total Staff (excluding Sponsor Bank staff)	1680	1743	1484
	of which, officers	1070	1104	1180
4	DEPOSITS	11039.79	12610.33	14194.81
	Growth %	9.21	14.23	12.56
5	Borrowings outstanding	4011.55	5167.05	6456.97
	Growth %	1.96	28.80	24.96%
6	GROSS LOANS & ADVANCES OUTSTANDING	11272.87	12893.00	14840.69
	Growth %	11.57	14.37	15.11
	of 6 above, loans to priority sector	9165.27	10160.90	11395.61
	of 6 above, loans to Non-priority sector	2107.61	2732.10	3445.09
	of 6 above, loans to SC/ST	2172.56	3122.21	3593.27
	of 6 above, loans to SF/MF/AL	4378.69	7177.34	7943.33
	of 6 above, loans to Minorities	615.73	706.54	742.03
7	C.D.RATIO %	102.11	102.24	104.55%
8	Investments outstanding	2994.58	2572.49	2383.82
	SLR Investments outstanding	2919.57	2512.67	2368.82
	NON-SLR Investment Outstanding (including TDRS)	1928.29	3857.11	5359.66
B	AVERAGES:			
9	Average Deposits	10377.14	11015.35	13453.73
	Growth %	7.04	6.15	22.13%
10	Average Borrowings	4031.02	4189.89	5911.15
	Growth %	-3.53	3.94	29.11%
11	Average Gross Loans & Advances	10374.11	11779.73	13775.94
	Growth %	15.10	13.54	15.44%
12	Average Investments	4725.34	4641.16	7120.92
	Growth %	-8.44	-1.78	53.42%
	Average SLR Investments	2998.61	2630.89	2417.17
	as % to average Deposits	28.90	23.88	17.96
	Average Non-SLR Investments	1726.73	2010.27	4703.75
	as % to average Deposits	16.64	18.25	34.96
13	Average Working Funds	15957.62	17127.39	21859.29



(₹ in Crores)

S. NO	PARTICULARS	2021-22	2022-23	2023-24
C	LOANS ISSUED DURING THE YEAR:			
14	LOANS ISSUED DURING THE YEAR :	7556.45	9847.73	11639.23
	Growth % over previous year	4.89	30.32	18.19%
	of 14 above, loans to priority sector	5528.76	6376.04	7688.65
	of 14 above, loans to Non-priority sector	2027.70	3327.40	3950.58
	of 14 above, loans to SC/ST	2146.53	2383.86	2099.58
	of 14 above, loans to SF/MF/AL	4053.00	4799.55	9223.56
	of 14 above, loans to Minorities	449.61	539.65	581.96
D	PRODUCTIVITY			
15	Per Branch	52.38	59.73	67.68
	Per Staff	13.28	14.63	15.71
	Per Employee Profit(Gross)	0.29	0.34	0.29
E	RECOVERY PERFORMANCE:			
16	TOTAL			
	Demand	7629.65	8719.24	10007.58
	Recovery	5860.29	6739.39	8094.29
	Overdues	1769.36	1979.84	1913.29
	Recovery %(June Position)	76.81	77.29	80.88%
17	Farm Sector			
	Demand	7204.11	8249.85	9595.40
	Recovery	5479.41	6315.14	7713.29
	Overdues	1724.70	1934.71	1882.10
	Recovery %(June Position)	76.06	75.55	80.39%
18	Non-Farm Sector			
	Demand	425.54	469.38	412.18
	Recovery	380.88	424.26	381.00
	Overdues	44.66	45.13	31.18
	Recovery %(June Position)	89.51	90.39	92.43%
F	ASSET CLASSIFICATION:			
19	a) Standard	11003.99	12629.17	14576.02
	b) Sub-Standard	121.58	114.20	116.91
	c) Doubtful	138.63	145.77	143.90
	d) Loss	8.68	3.86	3.87
	Total	11272.87	12893.00	14840.69
20	Standard Assets as % to Gross Loans & Advances outstanding	97.61	97.95	98.22




S. NO	PARTICULARS	2021-22	2022-23	2023-24
G	PROFITABILITY ANALYSIS:			
21	Interest paid on			
a)	Deposits	485.68	526.88	740.86
b)	Borrowings	177.34	200.31	315.50
22	Salary & Allowances	224.59	261.04	306.17
23	Other Operating expenses	103.46	125.87	93.93
24	Provisions made during the year			
a)	Against NPAs	71.81	28.89	24.51
b)	Other Provisions	73.85	33.84	5.33
c)	Amortization	1.76	1.38	1.31
25	Interest received on			
a)	Loans & Advances	1046.96	1173.46	1368.13
b)	SLR Investments/Approved Securities/Non-SLR/ Money at Call/TDRs with other Banks	307.31	320.27	558.19
26	Miscellaneous Income	274.34	254.76	269.95
27	Loss/Profit	491.87	599.25	708.66
H	OTHER INFORMATION			
28	Share Capital Deposit received	0.00	0.00	0.00
29	DICGC			
a)	Claims settled cumulative	0.00	0.00	0.00
b)	Claims received but pending adjustment	0.00	0.00	0.00
c)	Claims pending with corporation	0.00	0.00	0.00
30	Cumulative Provision	309.99	309.76	315.93
a)	Against NPAs	268.89	263.83	264.68
	Against Standard Assets	37.70	42.52	47.85
b)	Against Intangible Assets, Frauds etc.	3.40	3.40	3.40
31	Interest Derecognized			
a)	During the year	0.00	0.00	0.00
b)	Cumulative	0.00	0.00	0.00
32	Loans written off during the year			
a)	No. of Accounts	860	9860	4749
b)	Amount	7.30	29.15	22.45
33	Reserves & Surplus			
a)	Reserves	366.42	464.69	583.31
b)	Balance in P & L	1150.19	1501.28	1911.74




DEPOSITS

(Rs. in Crores)




ADVANCES

(Rs. in Crores)




BUSINESS

(Rs. in Crores)




BUSINESS PER EMPLOYEE

(Rs. in Crores)




NET PROFIT

(Rs. in Crores)




NET PROFIT PER EMPLOYEE

(Rs. in Lakhs)




BUSINESS PER BRANCH

(Rs. in Crores)



NET PROFIT PER BRANCH

(Rs. in Lakhs)



Board of Directors Report for the year 2023-24

We have pleasure in presenting 19th Annual Report of Telangana Grameena Bank together with the Audited Statement of Accounts, Auditor's report and the Report on Business and Operations of the Bank for the financial year ended on 31st March 2024.

Banks Genesis:

Telangana Grameena Bank was established on 24th March 2006 in the name of Deccan Grameena Bank by amalgamation of four RRBs sponsored by State Bank of Hyderabad.

The Bank has been operating in 18 districts of Telangana State (erstwhile five districts namely Adilabad, Nizamabad, Karimnagar, Ranga Reddy and Hyderabad) with a network of 429 branches as on 31.03.2024

The Government of India vide notification dated 20.10.2014 has changed the name of the Bank to Telangana Grameena Bank from Deccan Grameena Bank. The name of Sponsor Bank changed to State Bank of India w.e.f. 01.04.2017.

Business Review:

The Bank business has reached Rs 29,035.50 crore as on 31st March 2024 with an absolute growth of Rs 3,532.17 crore over 31st March 2023 at a growth rate of 13.85%, of which deposits contributed by 48.89% with absolute growth of Rs 1,584.48 crore and reached a level of Rs 14,194.81 crore and remaining 51.11% contributed by advances with absolute growth of Rs 1,947.69 crore and reached a level of Rs 14,840.69 crore.

(₹ in crore)

Particulars	2022-23	2023-24	Growth	% of growth
Deposits	12610.33	14194.81	1584.48	12.56
Advances	12893.00	14840.69	1947.69	15.11
TOTAL	25503.33	29035.50	3532.17	13.85

Profit Analysis:

The Bank registered a gross profit of Rs 708.66 crore for the FY 2023-24 as against Rs 599.25 crore for FY 2022-23 with a growth rate of 18.26%. Interest income increased by Rs.109.41 crore.

(₹ in crore)

Particulars	2022-23	2023-24	Growth %
Interest income	1492.35	1925.02	28.99
Interest Expenditure	727.18	1056.36	45.27
Non-Interest Income	254.76	269.95	5.96
Non-Interest Expenditure	386.91	400.11	3.41
Provisions and Contingencies	33.77	29.84	-11.64
Operating Profit	599.25	708.66	18.26
Deferred Tax Liability / Deferred Tax Asset	0.12	-1.58	-
Tax expenses	150.00	178.00	18.67
Net Profit	449.37	529.08	17.74

Net Interest Income:

Total interest income earned during the year is Rs 1925.02 crore whereas total interest expenditure is Rs 1056.36 crore. The net interest income has increased to Rs 868.65 crore during the year as against Rs 765.16 crore in FY 2022-23 with a growth rate of 13.25% (Rs 103.49 crores).

Interest Expenditure:

- Interest paid on deposits stood at Rs 740.86 crore (FY 2023-24) as against Rs 526.88 crore (FY 2022-23).
- The Bank paid Rs 315.50 crore towards interest on borrowings (Refinance from NABARD, NHB, MUDRA etc) during the FY 2023-24 as against 200.31 Crore of FY 2022-23 with an increase of Rs. 115.19 crore.

Operating expenditure:

Operating expenditure has increased by Rs 13.20 crore and stood at Rs 400.11 crore in FY 2023-24 from Rs 386.91 crore as compared to the previous FY 2022-23.

Interest Income:

- Interest income increased to Rs 1925.02 crore during FY 2023-24 from Rs 1492.35 crore during FY 2022-23 with an absolute growth of Rs 432.67 crore (@ 28.99%).
- The Bank earned an interest income of



Rs 1368.13 crore from loans and advances in current fiscal year as against Rs 1173.46 crore in FY 2022-23 with an increase of Rs 194.67 crore (@16.58%).

- Interest income received on investments has increased by Rs 238 crore to reach Rs 556.89 crore in FY 2023-24 as against Rs 318.89 crore in FY 2022-23.

Provision for NPA:

The Bank made a provision of Rs 24.51 crore on NPA during the year 2023-24, taking the total provision available on non performing assets to Rs 264.68 crore (excluding cumulative provision of Rs 47.85 crore on Standard Assets).

(₹ in crore)

Assets	2022-23		2023-24	
	O/s	Provision	O/s	Provision
Standard	12629.17	42.52	14576.01	47.85
Sub-Standard	114.19	114.19	116.91	116.91
Bad & Doubtful	145.78	145.78	143.90	143.90
Loss	3.86	3.86	3.87	3.87
Total	12893.00	306.35	14840.69	312.53

Share Capital & Paid up Capital:

In terms of RRBs (Amendment) Act, 2015, No.14 of 2015 dated 12/05/2015, the bank has authorized share capital of Rs 2,000 crore. The subscribed paid up share capital is Rs 18.07 crore (1,80,72,295 equity shares of Rs 10/- each) contributed by Government of India, Sponsor Bank and State Government in the ratio of 50:35:15 respectively.

(₹ in Lakhs)

Share Holder	Paid up capital
Govt of India	903.62
Govt of Telangana	271.08
State Bank of India	632.53
TOTAL	1807.23

Reserves and Surplus:

Net Profit (after tax) of Rs 529.08 crore earned during this year, an amount of Rs 105.82 crore has been transferred to Statutory Reserves, Rs 12.80 crore transferred to Special Reserve and Rs 410.46 crore carried over to Profit and Loss account.

Total reserves and surplus increased to Rs 2495.05 crore as at the end of current FY 2023-24 from Rs 1965.97 crore as at the end of the previous FY 2022-23, registering a growth of 26.91%.

(₹. in Lakhs)

Particulars	31.03.2023	31.03.2024
Share Capital	1807.23	1807.23
Share Capital Deposit	0.00	0.00
Reserves & Surplus	196597.58	249505.12
TOTAL	198404.81	251312.35

Deposits:

Deposits registered a growth of 1584.48 Crore over March 2023 level at a growth rate of 12.56%. Total deposits as on 31.03.2024 stood at Rs 14194.81 Crore as against Rs 12610.33 Crore as on 31.03.2023

Deposit Mix:

CASA deposits grew by Rs 854.23 Crore at 19.92% and reached Rs 5142.04 Crores as on 31.03.2024 as against Rs 4287.81 Crore as on 31.03.2023. Term deposits grew by Rs 730.25 Crore at 8.77% and reached level of Rs 9052.77 Crore as on 31.03.2024 as against Rs 8322.52 Crore as on 31.03.2023.

(₹. in Crore)

Deposit mix	2022-23	2023-24
Current A/c	118.83	148.69
Growth	13.84	29.86
Growth %age	13.18	25.12
Savings Bank A/c	4168.98	4993.35
Growth	-33.26	824.37
Growth %age	-0.79	19.77
Total CASA	4287.81	5142.04
Growth	-19.42	854.23
Growth %age	-0.45	19.92
Term Deposits	8322.52	9052.77
Growth	1589.96	730.25
Growth %age	23.62	8.77
Total Deposits	12610.33	14194.81
Growth	1570.54	1584.48
Growth %age	14.23	12.56

**Borrowings:**

The aggregate borrowings of the bank as on 31st March, 2024 stood at Rs. 6456.97 crore as against Rs. 5167.05 crore as on 31st March 2023.

(₹. in Crore)		
Institutions	Outstanding as on 31.03.2023	Outstanding as on 31.03.2024
NABARD-ST SAO	615.00	600.00
NABARD-Schematic	2962.87	3521.86
NABARD- ASAO	1200.00	1200.00
MUDRA	0.00	0.00
NSFDC	5.91	7.31
SUB-TOTAL	4783.78	5329.17
NSKFDC/NSTFDC	2.80	1.92
NHB	88.85	230.53
NBCFDC	0.40	6.19
TOTAL REFINANCE	4875.83	5567.81
OD on Term Deposits from SBI	291.22	889.16
Total Borrowings	5167.05	6456.97

The bank has availed refinance against crop loan disbursements from NABARD @20% of loans disbursed. The bank has availed Refinance under LTRCF from NABARD.

Assets:**Investments:**

Total investments portfolio- both SLR and Non- SLR of the Bank has decreased to Rs 2383.82 crore as on 31.03.2024 from previous year's level of Rs 2572.49 crore by registering a de- growth of 7.33%.

(₹ in crore)		
Particulars	2022-23	2023-24
SLR Investments	2512.67	2368.82
Growth	-406.91	-143.85
Growth %	-13.94%	-5.72%
NON-SLR Investments	59.82	15.00
Growth	-15.18	-44.82
Growth %	-20.24%	-74.92%
TOTAL Investments	2572.49	2383.82
Growth	-422.09	-188.67
Growth %	-14.10%	-7.33%

TERM Deposits with other Banks:

Term deposits with other banks increased to Rs 5344.66 crore as on 31.03.2024 from previous year's level of Rs.3797.28 crore.

Investment Policy:

The Investment Policy of the bank was formulated and the same was reviewed / revised and approved by the board from time to time, conforming to the RBI guidelines.

SLR Investments:

In terms of Section 24 of BR Act, 1949 the Bank has maintained investments in the avenues laid down in the policy, to fulfill the SLR requirements. All SLR investments are made in GOI/ State Govt. Securities only. The purchase and sale of Govt. Securities are undertaken by the Portfolio Management Services Department of State Bank of India.

Non-SLR Investments:

Non-SLR investments are invested in Mutual funds and Bonds. The bank has been monitoring and following up for prompt receipt of interest due from Govt. Securities/ Bonds. There was no instance of income leakage from Non-SLR investment portfolio.

CRR and SLR:

The bank has complied with the regulatory requirement of maintenance of adequate balances towards CRR and SLR. There is a well laid down system of assessing the CRR and SLR requirements taking into account the NDTL. There was no default in maintenance of adequate balances during the year. The Bank has kept Rs. 519.29 crore in CRR and Rs 2416.94 crore (which includes SLR Investments, Cash on Hand and net Balances in Current A/Cs) in SLR as on 31.03.2024.

Credit Portfolio

The credit portfolio of the Bank rose by 15.11% to Rs.14840.69 crore during the financial year ended 31.03.2024 as against the previous year level of 12893.00 crore, thus showing an absolute growth of 1947.69 crore as against the target of 1935.00 crore. As such, the Bank could achieve 100.66% growth under advances budget.



Credit to Agriculture

During the year, disbursement under farm sector advances grew by 20.02% and reached a level of Rs.6686.19 crore as against the level of Rs.5570.01 crore during the previous year, with a growth of Rs.1116.18 crore. Total number of bank's borrowers in agriculture is 596432. More than 80% of the credit to SHG finance is also towards agricultural operations.

Crop loans under revised Kisan Credit Card System

As per the directions of Government of India and NABARD, we have implemented revised Kisan Credit Card System for crop loan borrowers from Kharif 2012. We have issued 530813 Kisan Credit Cards as on 31.3.2024 with an outstanding credit of Rs.5593.94 crore as against previous year level of 505915 Kisan Credit Cards for Rs.5343.74 crore. During the year 2023-24 we have disbursed an amount of Rs.4403.42 crore to 424602 KCC card holders as against Rs.3652.02 crores to 355081 card holders of previous year.

Self Help Groups

Bank has financed 76709 Self Help Groups (Covering about 9.50 Lakh rural women) with an outstanding portfolio of Rs. 4209.48 crore as on 31.3.2024 as against previous year level of 78095 Groups with outstanding credit of Rs.3533.93 crore. The total loans outstanding under SHG segment increased by Rs.675.55 crore at a growth rate of 19.12% during the year 2023-24. The bank has disbursed Rs.2719.58 crore to 28048 SHG Groups during the year as against Rs.2292.10 crore disbursed to 30836 SHGs during the previous year.

National Rural Livelihood Mission (NRLM) -

Aajeevika – Interest Subvention Scheme

Under NRLM, all Rural Women SHGs in all districts have been extended credit at 7% rate of interest up to the limit of Rs.3.00 Lakhs and 10% rate of interest for the limits between Rs.3.00 lakhs to Rs.5.00 lakhs.

Priority Sector Lending

The bank's priority sector lending constitutes 79.60% of total advances as against previous year contribution of 81.30%. In absolute terms, total priority sector lending stood at Rs.11395.61 crore as on 31.03.2024 as against Rs.10160.90 crore as on 31.03.2023. There

is a growth of Rs.1234.71 crore @ 12.51%. Loans to weaker sections stood at Rs.9066.52. crore, which forms 61.09% of total lending.

Participation in State Credit Plans

The Bank's participation in State Credit Plans is as under:

(₹ in crore)

S. No.		2023-24	
		Target	Achievement
1	Crop Loans	5502.14	4403.42
2	Total Agr. & allied activities	7627.85	6686.19
3	Non Farm Sector	834.75	765.47
4	Other Priority Sector	120.97	236.99
	Total Priority Sector	8583.57	7688.65
5	Non Priority Sector	285.98	3950.58
	Total Loans Disbursed	8869.55	11639.23
	% of achievement		131.23%

Loans disbursed during the year:

During the year disbursements grew by 18.19 % and reached a level of Rs.11639.23 crore against previous year level of Rs.9847.73 crore. Priority sector disbursals grew by 17.92% and reached a level of Rs.7688.65 crore against previous year level of Rs.6520.33 crore and contribute 66.06% & 66.21% of total disbursals respectively.

Retail Lending

During the year, focus increased on retail products of Housing, Education Loans, Mortgage Loans, Personal Gold Loans, MSME etc. Capacity building of the operating staff has been given top priority by conducting training programmes to diversify the credit portfolio to improve the profitability. Our Housing Loan portfolio is grown by 25.77%, Gold Loan portfolio is grown by 20.11% and overall retail and MSME portfolio is grown by 29.88%. Credit under Retail and MSME is now 37.85% of total credit portfolio of the bank. The performance in Retail and MSME segment is as under:



(₹ in crore)

S.No.	Segment	O/s As on 31.03.2023		O/s As on 31.03.2024	
		No. of A/cs	Amt.	No. of A/cs	Amt.
1	Housing Loans	9427	1608.62	11414	2023.12
2	Mortgage Loans	983	109.16	1053	126.61
3	Education Loans	291	14.84	276	17.49
4	Demand Loans	12986	203.43	11365	189.57
5	NFS - Term Loan/MSME	39211	808.04	79083	1049.48
6	Personal Loans	8598	411.09	8511	527.55
7	Personal Gold Loans	148007	1392.39	165234	1672.46
	Total	219503	4547.57	276936	5606.28

Loans & Advances:

(₹ in crore)					
S. No	Segment	31st March 2023		31st March 2024	
		No. of accounts	Amount outstanding	No. of accounts	Amount outstanding
	A) Farm-sector				
1.	Crop loans	505915	5343.74	530813	5593.95
2.	Agricultural term loans	12314	141.88	6335	207.92
3.	SHG	60487	2847.75	59284	3421.69
	Total farm sector	578716	8333.37	596432	9223.56
	B) Non-Farm sector				
4.	GCC	50	0.09	16	0.03
5.	Term loans (Business)	38419	784.03	35583	907.18
6.	Housing loan	8125	1007.00	8700	1106.98
7.	Cash Credits	742	23.92	43484	142.27
8.	Education loan	278	12.49	261	15.59
	Total non-farm (priority)	47614	1827.53	88044	2172.05
	Total priority sector	626330	10160.90	684476	11395.61
	C) Non priority				
9.	Gold loans	148007	1392.38	165234	1672.45
10.	Demand loans + CK + Staff Loans + HL* (NP) + EL*(NP) + TL *(NP)	23890	1327.65	23658	1761.77
11.	Others	413	12.07	358	10.86
	Total Non priority	172310	2732.10	189250	3445.08
	Grand Total (A+B+C)	798640	12893.00	873726	14840.69

*Non priority



Central Registry of Securitization Asset Reconstruction and Security Interest of India (CERSAI)

Bank registered with CERSAI in terms of RBI guidelines and complied with the instructions. Equitable / Registered mortgages and Hypothecation in respect of all loans, which are covered under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) as on 31.03.2017 have been registered with CERSAI.

With this, the details of the security interest created in favour of the bank is available on a public domain for search by citizens other banks / FIs.

Credit Guarantee Fund Trust for Micro & Small Enterprises (CGTMSE)

Our bank is the member of CGTMSE and availing the Credit Guarantee cover to the Loans under MSME.

ISB Sector loans including retail trade advances and Small Road and Transport loans are eligible for guarantee cover of CGTMSE up to a limit of 200.00 lakhs, as per the directions of Reserve Bank of India

The details of the loan accounts covered under CGTMSE/CGFMU scheme so far is as under.

(₹ Crores)				
During the year 2023-24			Cumulative	
Name of Credit Guarantee	No. of A/cs	Amount Rs.	No. of A/cs	Amount Rs.
CGTMSE	7116	38.99	9155	52.41
CGFMU	53701	1800.33	57930	2307.89

Credit Information Companies

Our bank has been a member of CIBIL (Credit Information Bureau (India) Limited). CIBIL is the First Credit Information Company licensed by the RBI and governed by the Credit Information Companies (Regulation) Act of 2005. CIBIL collects and maintains records of individuals' and non- individuals' (commercial entities) payments pertaining to loans and credit cards from Banks and other lenders on a monthly basis.

Our bank has been uploading the data regularly and all our Regional Business Offices and branches are accessing the credit history of the loan applicants while taking the credit decisions.

Three other CICs, viz., Equifax Credit Information Services Private Limited, Experian Credit Information Company of India Private Limited and CRIF High Mark

Credit Information Services Private Limited have been granted Certificate of Registration by RBI.

Reserve Bank of India vide its letter No.DBR No.CID.BC.60/20.16.056/2014-15 dated 15.01.2015 has advised us that all Credit Institutions have a mandate to become members of all CICs. Accordingly we have become members of the above three CICs also.

Asset Quality-Management of Non Performing Assets:

Bank has made considerable efforts to curtail NPA at 264.68 crore (Gross) which is now 1.78 % of total advances at the end of current financial year as against 2.05 % of total advances at the end of previous financial year. Net NPA is zero now against 0.00% as on 31.03.2024. Bank adopted focused approach and adopted suitable strategies to curtail NPAs. The Non-Performing Assets are at Rs 264.68 crore as on 31.03.2024 as against Rs 263.83 crore as on 31.03.2023.

SARFAESI Act and Suit Filing:

Notices under SARFAESI Act were issued immediately after the account becoming NPA. This was monitored by Regional Business Offices and Head Office at monthly intervals. Our actions in this regard have yielded good results. We have taken demonstrative actions particularly under SARFAESI. One desk officer has been posted at all Regions exclusively for the purpose of monitoring NPAs, who ensures for initiating action under SARFAESI, Suit Filed, Vehicle seizure etc., and also closure of suit filed cases, AUCA recovery etc. Focus was given for recovery of Recalled debts / Suit Filed accounts. Meetings with advocates were conducted in all regions to expedite disposal of suits.

Performance under SARFAESI is as below:

	No. of A/cs	Amount (₹ in Crore)
Total SARFAESI initiated	242	32.26
Regularized	221	30.40
Balance at the end of the year	21	1.86
Out of above		
Demand Notices issued	8	0.66
Possession Notices issued	13	1.20
Possession taken	4	0.47



Performance under Suit-filed cases is as under:

	No. of A/cs	Amount (₹ in Crore)
Suit Filed	201	7.64
Decreed	75	2.58
EP Filed	16	0.66
Recovery after filing suits	17	0.52

The following strategies were adopted to reduce / contain the NPAs:

- One desk officer has been posted at each regions exclusively for the purpose of monitoring NPAs who ensures for initiating action under SARFAESI, Suit Filed, Vehicle seizure etc., and also closure of suit filed cases, AUCA recovery etc.
- NPAs of 5.00 Lakh and above are being monitored by General Managers, concerned.
- Review mechanism has been put in place. Regular review meetings are being conducted for Senior Manager (Business) and Regional Managers.
- Wide publicity was given highlighting the benefits of timely renewal of crop loans viz., enhanced scales of finance, crop insurance facility, interest subvention incentive from GOI and Vaddi Leni Runalu other Government Sponsored Schemes by way of arranging meetings, displaying wall posters, Banners etc at the villages.
- Top management has conducted periodical video conferences at frequent intervals with Regional Managers, Senior Managers (Business), Recovery Officers, Branch Managers for monitoring and reduction of NPAs.
- Five to six clusters in each region have been formed with officials having good track record for capacity building and reduction of NPAs.
- Conducted auction of gold ornaments pertaining to Personal Gold Loans which became overdue, at monthly intervals.

Asset Classification:

(₹ in Crore)

Assets	2023-24	
	Outstanding	%
Standard	14576.01	98.22
Sub-Standard	116.91	0.79
Bad & Doubtful	143.90	0.97
Loss	3.87	0.02
Total NPAs	264.68	1.78
Total	14840.69	100.00

Capital Adequacy Ratio

The Bank has recorded a Capital Adequacy Ratio (CRAR) of 20.18% at the end of the year 31.03.2024 vis-à-vis 17.20% as on 31.03.2023, well above the 9% stipulated by the RBI, which indicates strength of the Bank

Internal Control System – Audit & Inspection

All activities of the Bank are subjected to Internal Audit function, which comprises different types of audits:

Risk Focused Internal Audit (RFIA):

The Risk Focused Internal Audit Report System has been implemented in the bank since October, 2011, as suggested by our Sponsor Bank i.e. State Bank of India.

For further strengthening of the audit system a new format of RFIA has been introduced in the Bank w.e.f 08.12.2017 as per the advice of our Sponsor Bank, with the following rating system and parameter wise marks.

Revised Rating	Range of Marks
Well Controlled - A+	>=850
Adequately Controlled - A	700 and <=849
Moderately Controlled - B	600 and <=699
Unsatisfactorily Controlled - C	<600

The marks allotted under each parameter have also been revised as under:

S. No	S.N.Parameter	Revised Format Marks
1	Business Development	100
2	Credit Risk Management	450
3	Operational Risk Management	410
4	External Compliance	30
5	Self-Audit	10



The revised reporting format of Risk Focused Internal Audit (RFIA) was implemented during the same FY2017, incorporating IS & IT Risk scrutiny in it.

Branches with 'Well Controlled - A+' and 'Adequately Controlled - A' ratings are audited within 18 months from the previous audit date while the Branches with 'Moderately Controlled - B' and 'Unsatisfactorily Controlled - C' rated branches are audited within a year (12 month).

During this FY 2023-24, we have completed audit of 350 branches which have fallen due for Audit. Ratings awarded to these branches are given as under:

Rating	Out of 350 Branches audited during 2023-24
Well Controlled - A+	229
Adequately Controlled - A	120
Moderately Controlled - B	0
Unsatisfactorily Controlled - C	0
No Rating to service branch	1
Total	350

All the reports submitted by the Auditors have been closed / dealt with by taking corrective measures, wherever necessary. The Audit department has carried out its operations with fairness and without prejudice for strengthening the systems and procedures in the Bank.

Concurrent Audit

As a part of internal control system in our Bank and as per the policy guidelines issued by NABARD, Concurrent Audit has been introduced from the financial year 2012-13. At present, the Concurrent Audit is being conducted at 149 branches and 31 HUBs by twenty seven (27) Auditors. We have empanelled retired Bank officials to cover at least 50% of the credit and other exposures of the Bank under Concurrent Audit System in compliance with the guidelines issued by RBI.

The Scope of Concurrent Audit is designed to cover ORM & CRM areas like, (a) Handling of cash (b) Safe custody of securities (c) Exercise of discretionary powers (d) Sundry and suspense accounts (e) Clearing differences (f) Off balance sheet items, security aspects, verification of Assets Quality, Compliance of NABARD/ RBI guidelines etc.

Apart from this, the following audits have also been carried out to enhance the efficiency levels:

Compliance Audit:

10 % of the RFIA branches for the previous FY shall be covered under Compliance Audit. We have conducted Compliance Audit at 37 branches during this FY 2023-24 as per the schedule.

WBCAS (Web Based Concurrent Audit System):

In order to have an effective monitoring and functioning of Concurrent Audit System across all the identified units, an Online Web based Concurrent Audit system was rolled out in the Bank on 07.10.2023, which has since been stabilized and is being used by the Concurrent Auditors on an ongoing basis.

As on 31.03.2024, out of the total of 429 branches, concurrent audit is being conducted by 27 Concurrent Auditors (CAs) at 149 branches through the online WBCAS application covering 56.43% of the total business which is above the 50% norms prescribed by RBI.

OTMS (Offline Transaction Monitoring System):

In order to avert frauds / minimize losses, OTMS (OFFSITE TRANSACTION MONITORING SYSTEM) application was implemented in our Bank from 12.02.2024. OTMS alerts are issued for deviant / suspicious transactions / exceptions which are to be attended by branches / RBOs, on an ongoing basis.

Our Bank has identified 34 exceptions from the list of exceptions forwarded by A & S dept, SBI, CC, Mumbai. Out of these 34 exceptions, 7 exceptions are generated daily, 18 exceptions weekly, one (1) exception fortnightly and 8 exceptions monthly.

These exceptions are being followed up by the RBOs with their respective branches for rectification / closure on a day-to-day basis. Audit department, HO monitors with the RBO's / branches, for closure / rectification of the pending OTMS alerts on an ongoing basis.

Audit Committee of the Board

It is the sub-committee of the Board which ensures quality and effectiveness of Internal Audit & Inspection and overseeing the financial reporting, disclosures, compliance and risk management in the Bank. The Audit Committee, constituted with two nominee directors from SBI and nominee directors of RBI, NABARD as members. The senior most Director of the Board will be the Chairman of the Audit Committee and this could be done by rotation annually. The committee meets at quarterly intervals or more frequently, if circumstances warrants, and reviews the following areas.

- Status of conducting of different types of Audits and their compliance.



- Common irregularities observed in (a) Risk Focused Internal Audits (b) Snap Audit Reports (c) Concurrent audit. etc.,
- Audit of Regional Business Offices, other Departments at Head office.
- Special Audits conducted, if any during the year.
- Review and follow-up action on the Internal Audit Reports, particularly of "Unsatisfactory" branches and large / Critical branches and also on Concurrent Audit observations.
- Follow-up action on irregularities pointed out by Internal Auditors particularly at large branches in RFIA and Concurrent Audit Reports.
- Branches where audit rating has been downgraded.
- Compliance submitted for NABARD inspection Report, Statutory Audit Report, Management Audit, RFIA, Snap Audit reports and Concurrent Audit Reports.
- Fixing accountability for unsatisfactory compliance of Audit reports, delay in compliance and non-rectification of deficiencies / irregularities.
- Review on omissions by the Internal Inspecting Officials/ Concurrent Auditors to detect serious irregularities which were identified later.
- Periodical review of the accounting policies/systems controls in the Bank in order to ensure greater transparency in the Bank's accounts and adequacy of accounting controls to mitigate the risks faced or likely to be faced by the Bank.
- Financial position – Balance Sheet and Profit & Loss Account statement & disclosures.
- Position of housekeeping and reconciliation of Inter Office reconciliation (BCGA) and outstanding entries etc.,
- Certification of holding securities which are reported to RBI every quarter by Concurrent Auditor.
- Status of frauds detected / reported to NABARD / RBI and their compliance.

Audit of other Administrative Units:

Management Audit

The Management Audit of our Bank is conducted by our Sponsor Bank, i.e., SBI. The bank was rated with "A" rating vide their report dated 18.03.2023. We have submitted our compliance to the Management Audit Report within the prescribed timelines.

NABARD Inspection:

NABARD Inspection is conducted under Section 35(6) of the Banking Regulation Act 1949. The last inspection was conducted on the financial position of the Bank as on 31.03.2023 and the compliance to the report dated 11.10.2023 was submitted by us on 08.12.2023.

Statutory Audit:

As per Sub Sec (1) of Sec.19 of RRB Act, 1976, the Bank is required to appoint auditors for conducting Statutory Audit of its accounts, with the approval of Government of India.

Accordingly, M/s. M BHASKARA RAO & Co has been appointed as Statutory Central Auditors for the year 2023-24. The following Chartered Accountants have been appointed for conducting audit at the branches, as per panel of Auditors approved by Govt. of India and communicated by NABARD.

1. M/s Beldi & Associates, Khairatabad, Hyderabad.
2. M/s Athota & Co, Nizampet, Hyderabad.
3. M/s Chakradhar and Nandhan, SD road , Secunderabad.
4. M/s SVRL & Co, Kazipet, Warangal.
5. M/s Gandhi & Gandhi, Hyderabad.
6. M/s Aakasam & Associates, Masab tank, Hyderabad.
7. M/s G.K Rao & Co, Ameerpet Road, Hyderabad.
8. M/s Somanchi & Co, Saifabad, Hyderabad.
9. M/s C V S Balachandra Rao & Co, Sulthan bazaar, Hyderabad.
10. M/s Trivedi & Bang, Mehdiapatnam, Hyderabad.
11. M/s Y. Tirupataiah & Co, New nallakunta, Hyderabad.
12. M/s GMK Associates, Chirag ali lane, Hyderabad.
13. M/s C Ramachandram & Co, Madhapur, Hyderabad.
14. M/s K S Rao & Co, Hyderabad.
15. M/s S. Daga & Co, Basheerbagh, Hyderabad.
16. M/s Sunil & Sanjay, SD Road, Secunderabad.

As per the guidelines communicated by NABARD vide its Lr.No. NB.HO.IDD/01/RRB/0027/323(c)/2024-25 dated 15.04.2024, 264 branches and Head Office were audited by Statutory Auditors who had expressed their satisfaction in overall maintenance of books of accounts by our Bank.

FINANCIAL INCLUSION PLAN:

Performance under various Financial Inclusion Plan (FIP) initiatives as on 31.03.2024 is as under:

FIP initiative	Position as on 31.03.2023	Position as on 31.03.2024
PMJDY accounts (No.)	15,03,526	17,33,559
SB-FI accounts opened (No.)	2,77,833	2,61,456
Rupay Debit cum ATM cards activated (No.)	1,57,275	1,65,515
Amount outstanding in SB-FI accounts (₹ In lacs)	4067.84	4181.16
RuPay – KCC cards issued (No.)	3,63,116	3,83,008
Financial literacy awareness meetings by branches in FY 2023-24 (In addition to the meeting conducted by FLCs)	2,191	5,628
RBI Camps - Financial Literacy Week	427	427
PMJJBY – Insurance enrolments (Active)	3,86,818	4,70,187
PMSBY – Insurance enrollments (Active)	6,16,105	8,77,413
APY – Enrollments	47,879	51,142
APY enrollments (Cumulative)	1,59,817	2,10,959

Financial Inclusion Plan:

The Government initiated the National Mission for Financial Inclusion (NRFI), to provide universal banking services for every unbanked household, based on the guiding principles of banking the unbanked, securing the unsecured, funding the unfunded and serving un served and underserved areas especially the poor and the underprivileged.

The bank is actively implementing the Financial Inclusion Plan (FIP) of Government of India. 1526 unbanked villages of 18 districts in Telangana state are covered under FIP of the bank with the help of 690 Customer Service Points (CSPs).

Ultra Small Branches (USBs):

690 USBs are providing banking services in remote and unbanked villages with the help of Micro-ATMs.

Services available at USBs:

1. Account opening (SB/RD/TDR),
2. Financial transactions,
3. Direct Benefit Transfers,
4. NPA/AUCA recovery,
5. Social Security Schemes i.e. APY, PMJJBY and PMSBY
6. Lead Generation of SBI Life/SBI General/Loans



Capacity building for CSPs:

Our CSPs are provided with adequate training to render uninterrupted and quality service to the customers. 507 CSPs have passed BC certification examination. 58 CSPs are DRA (Debt Recovery Agent) certified.

Women CSPs:

There are 285 women CSPs who constitute 41.30% of

total CSPs. Our Bank has a policy in place to appoint women SHG member as CSP.

Financial Literacy Programs:

Branches are conducting Financial and Digital Literacy Camps to propagate Financial Literacy, Digital Banking products and to highlight the role of CSPs. During the F.Y. 2023-24, 1689 FDLC meetings were conducted by the bank with grant support from NABARD.

Grant assistance received from NABARD for FDLC:

S. No.	Period	SFD Programmes conducted (A)	Other District Programmes conducted (B)	Total Programmes conducted (A+B)	Grant Assistance Received in Rs.
1	01.09.2023 - 31.01.2024	551	1138	1689	₹ 79,60,036/-

We have completed 100% Financial Digital Literacy camps during the FY 2023-24 per the schedule given by NABARD.



(Mothiramguda Village, Shampur Branch, Adilabad Region)



(LalShow Guda, Thadihathnur Branch, Adilabad Region)

మూల తెలుగుగీతలు

ఆర్థిక అక్షరాస్యతపై అవగాహన సదస్సు

[illegible]

(Ayyavariguda mandal, Yacharam Branch, Hyderabad-I Region)

బ్యాంకు సేవలను వినియోగించుకోవాలి

[illegible]

(Raikal Mandal, Allipur Branch, Jagtial Region)

Further, Financial Literacy Counselors(6) have conducted 519 Financial Literacy Awareness camps against the target of 504 during the FY' 2023-24



(Financial Literacy Counselors conducted the Financial Literacy camps in rural villages)

Financial Literacy Week (FLW) :

Make a Right Start-Become Financially smart : An RBI Initiative

Our Bank Conducted Financial Literacy Week (FLW) in 427 villages from 26.02.2024 to 01.03.2024 with three Objectives, Viz.

- A. Saving and Power of Compounding of money
- B. Banking Essentials for Students
- C. Digital and Cyber Hygiene



Smt. Y.Sobha Chairman, Smt. K P Shobha Rani (General Manager-IT), Shri D.Ramesh (General Manager-II), Shri K V Prasad (General Manager-III) and TGB Staff have participated along with other bankers in Financial Literacy Week 2K Walkathon, initiated by Reserve Bank of India.

PMJDY (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana):

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) is a Financial Inclusion scheme launched by the Government in 2014 to bring more people into the financial system and avail financial services. PMJDY aims to help weaker sections of society to get access to financial products like bank accounts, remittances, credit services, pension and insurance at an affordable cost.

JanDhan-Aadhaar-Mobile (JAM) trinity has transformed the whole concept of financial inclusion, This helped in plugging the holes in DBT to the eligible citizens only.

Social Security Schemes:

Central Government launched the Social Security Schemes PMJJBY, PMSBY and APY to provide insurance and Pension to the poor and under





privileged at an affordable cost. Our bank took an active part in the social cause by providing insurance and pension schemes to our customers, as well.

PMJJBY - This policy covers natural and accidental deaths. The age at entry is 18 to 50 years only and continues up to 55 years, on renewal. The coverage of Policy is Rs.2,00,000/- against premium of Rs.436/- per annum with auto renewal facility (subject to the availability of balance in the account).

PMSBY - This policy covers accidental death and permanent (Partial and Full) disability. The age at entry is 18 to 70 years. The coverage of Policy is Rs.2,00,000/- against premium of Rs.20/- per annum with auto renewal facility (subject to the availability of balance in the account).

APY - Any Indian citizen within the age group of 18-40 years, can join APY scheme irrespective of his/her employment status except income taxpayers.

Progress of Social Security Schemes report for FY 2023-24 :

Product	Target for FY 2023-24	Achievement for FY 2023-24	% of Women subscription in Achievement for FY 2023-24	Achievement %	Cumulative Enrolments	PAN India Ranks (SBIRRBs)
APY 	42,700	51,142	73%	120%	2,10,353	3 rd
PMJJBY 	1,42,694	1,78,723	68%	125%	4,70,187	2 nd
PMSBY 	2,94,794	3,17,830	57%	108%	8,77,413	3 rd
PMJDY 	1,60,194	2,30,033	75%	144%	17,33,559	2 nd

TGB INTERNAL CAMPAIGNS:

Launched TGB internal campaigns during the FY 2023-24 to achieve the targets

- Pension Without Pension 2.0** - Coverage of all eligible customers under APY
- Rythu Mithra 2.0** - Coverage of SSS for KCC borrowers
- TGB Naari Shakthi 3.0** - Coverage of SSS for Women customers
- TGB Jansuraksha 2.0** - Coverage of all PMJDY accounts
- TRISHAKTHI** - Time bound campaign to achieve **Annual Targets**
- Jansuraksha League** - Inter Region competition to achieve **Annual Targets**

Aadhaar Enrolment Centers:

We have 49 Aadhaar enrolment centers to provide the Aadhaar enrolment/ update services.

Financial Year	FY 2022-23	FY 2023-24	YOY growth
No. of Enrolments and updates	1,02,572	1,65,993	62%

Green Channel Counter (Micro ATM at branches):

There are 461 Micro ATMs deployed at branches (including 36 back-up devices) with the grant assistance from NABARD. On the eve of 75th Independence Day, we have launched the following campaign to encourage adoption of digital transactions among the customers.

The progress of transactions during the campaign period is given below.

S.No	Programme	Period	No of transactions
1	Freedom Campaign	15.08.2021 to 31.10.2021	1,39,545
2	Freedom Campaign 2.0	01.06.2022 to 31.03.2023	9,12,560
3	Freedom Campaign 3.0	01.04.2023 to 31.03.2024	9,80,816

Advantages of Green channel Counter:

To Customers	To Branches
<ul style="list-style-type: none"> ★ Freedom from writing vouchers ★ Freedom from Delays - Quick and efficient service ★ Freedom from dependency on others (especially illiterate customers) ★ Freedom of options - AEPS or Debit card 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Freedom from partially filled/erroneous vouchers ★ Freedom from signature verification ★ Freedom from authorizing vouchers ★ Freedom from VVR checking ★ Freedom from stationery expenditure

Mobile ATM Vans:

Two ATM Mobile vans are deployed in 2019 with the grant assistance from NABARD for demonstrating Banking technologies and to extend Banking services at the door step of the customers. The Mobile Vans are plying in our bank's area of operation, providing ATM facility in rural areas and to spread awareness on financial literacy and digital banking products.

Initiatives:

- **Aarthika Svaavalambana:** We launched "Aarthika Svaavalambana" on 10th Nov 2023, to compliment the pilot project by NABARD and

Womens' World Banking to promote Jan Dhan Plus (**Women Centric Programme**). As a result of which Women's World Banking team trained 566 CSPs, including 215 women CSPs, who attended the training at field level. These trainings are focused towards the saturation of PMJDY account holders with Social Security Schemes.

- This also brings out the skills in womenfolk across our area of operation and encourage handicrafts & handlooms (Mahila Mudra Yojana) to better their socio economic conditions.



Smt. Y.Sobha Chairman, Shri Dr. Sri. Y.Haragopal GM NABARD has launched "Aarthika Svaavalambana" on 10th Nov 2023.

➤ **TGB Parishkar:**

A portal has been introduced to provide seamless claim settlement process of PMJJBY, PMSBY and PMJDY Rupay card Accidental insurance.

Community based Activities – A Govt of India Initiative:

➤ **Swachhata Hi Seva 3.0 Campaign :**

Creating awareness and importance of cleanliness for living a healthy life in rural areas. These programmes are conducted from 02.10.2023 to 31.10.2023

- ✦ Branches have conducted 13 Cleanliness drives

at Gram Panchayat premises, Railway Stations, Schools, public roads, Sports Stadium and avenue plantation etc.

- ✦ Conducted 15 FDLC programmes to create awareness on importance of cleanliness.
- ✦ Disposal of all the old records at branches as per our bank's record retention policy.
- ✦ Activated 38,857 dormant accounts during the period.
- ✦ We setup ramps for easy access to differently abled visitors at 25 branches.
- ✦ Pension grievances redressal meetings were conducted during the campaign period.



(Smt Y. Sobha, Chairman attended Pension grievances redressal meeting)



(Shri Venkat Ram Reddy-Regional Manager Adilabad & Staff conducted cleanliness drive)



(Shri P. Naveen Kumar-Regional Manager Nizamabad)
Addressing on Importance of cleanliness)
(Thangallapally Village, Tandur Branch, Mancherla Region)



- **Viksīt Bharat Sankalp Yatra:** We have participated in Viksit Bharat Sankalp Yatra and conducted 1,199 meetings in our area of operation to raise awareness through outreach activities to achieve saturation of Govt. schemes.

Objectives:

- Reaching the unreached- Reaching out to the vulnerable people who are eligible under various schemes but not availed benefit so far.
- Dissemination of information about schemes and generating awareness among customers.
- Learning from the Interaction with beneficiaries of government schemes through sharing of personal experience and stories.
- Enrolment of potential beneficiaries through details ascertained during the Yatra.



Honorable Governor Smt. Tamilisai Soundararajan, Shri K V Prasad (General Manager-III) & Shri Syed Yusuf (Regional Manager Hyderabad-I) attended Viksit Bharat Sankalp Yatra programme at Meerkhanpet village of Pulimamidi Branch



Shri Ritesh Patel, Dy Director DFS & OSD to Secretary (FS) DFS, Shri D.Ramesh (General Manager-II), Shri Ramana Kumar (AGM SBI LHO) and Shri Syed Yousuf (Regional Manager Hyderabad-I) attended Viksit Bharat Sankalp Yatra programme at Srigripur village



Shri D.Ramesh (General Manager-II) addressed the importance of VBSY meeting at Sirgipur village of Maheshwaram Branch



Shri Pankaj Sharma, Joint Secretary DFS, Shri DVS Rama Rao Regional Manager Nirmal attended VBSY meeting at Siddulakunta village of Kadthal Branch



Awards:

- 1. **PFRDA** : Our Bank qualified 16 campaigns conducted by APY PFRDA during the FY 2023-24.
- APY Winning Wednesday campaigns for May 2023 to March 2024 – 11 Awards (Wondrous Warriors of Winning Wednesday)
- Shine and Succeed campaign for Chairperson of RRBs from 02.06.2023 to 30.06.2023
- **Award of Excellence**
- APY Rise Above the Rest campaign for Regional Heads/Nodal Officer from 01.07.2023 to 16.08.2023 – Award of Excellence
- APY Old Age Freedom Fighters campaign for Regional Heads/Nodal Officer from 01.09.2023 to 30.09.2023 – Exemplary Award of Excellence
- APY Ultimate Champions Cup campaign for Bank from 03.10.2023 to 10.11.2023 – Silver Cup
- APY Annual Award campaign for APY Service Provider (TGB) from 01.04.2023 to 31.03.2024 – APY Award of Excellence Achiever
- 2. **SANKALP Campaign** : Our Bank qualified in "SANKALP" Campaign (conducted by SBI Corporate Office for Sponsored RRBs) under two products i.e. PMJDY (193.03%) & PMSBY(100.37%) from 01.10.2023 to 31.12.2023.
- **PMJDY** -
 - 1. **We are the Only RRB** qualified for felicitation from **SBI MD (CB & S)**
 - 2. Chairman felicitated with Memento & Certificate by SBI MD (CB & S)
 - 3. GM (IT & FI) received a Certificate signed by GM(RRB)
- **PMSBY** -
 - 1. Chairman felicitated with Memento & Certificate by SBI CGM (CB & S)
 - 2. GM (IT & FI) received a Certificate signed by GM(RRB)



Performance of the Bank vis-à-vis MoU with Sponsor Bank:

The Bank's position in respect of parameters as per MoU with Sponsor Bank for the year 2023-24 is furnished below.

Annual Memorandum of Understanding for the FY 2023-24 (₹ in crore)								
S. No	Particulars	Actuals as on 31.03.2022	Actual as on 31.03.2023		MoU level as on 31.03.2024		Achievement as on 31.03.2024	
		Amount	Amount	% of Growth	Amount	MoU Proposed	Actual Level	Growth
1	Deposits							
	(A) Total Deposits	11039.79	12610.33	14.23%	14000.33	11%	14194.81	12.56
	In which (i) CASA Deposits	4307.23	4287.81				5142.04	19.92
	(B) CASA(%)	39.02%	34.00%		36.00%		36.22	2.22
2	Advances:							
	(A) Total Advances	11272.87	12893.00	14.37%	14828.00	15%	14840.69	15.11
	(B) Minimum Lending to Priority Sector	81.30%	78.81%		---	75.00%	79.60	---
	(C) Housing Loan	1243.97	1608.62	29.31%	1937.62		2023.12	25.77
	(D) Gold Loan	1092.71	1392.40	27.38%	1812.40		1672.46	20.11
3	NPA							
	(A) Gross NPA(%)	2.39%	2.05%		---	< 2.50%	1.78%	-0.27%
	(B) Recovery in AUC/ Written Off (Rs Cr.)	1.73	2.24	29.48%	4.40	10% over Base Level (Excluding Fraud)	3.35	1.11
4	Income & Expenses :							
	(A) Other Income	274.34	254.76	-7.68%	285.00	11.86%	269.95	5.96%
5	Profit & Loss:							
	(A) Net Profit/ Loss (After Tax)	373.16	449.37	20.42%	525	16.83%	529.08	17.73%
6	Critical Ratios & Efficiency Parameters							
	(A) Business per Employee(Rs Cr.)	13.28	14.63		---	16.00	15.71	15.71
	(B) Yield on Advances	10.14%	10.01%		---	9.95		9.93
	(C) Cost of Deposits	4.68%	4.78%		---	4.55		5.51
	(D) Net Interest Margin	4.58%	4.66%		---	5.00%		4.16%



Annual Memorandum of Understanding for the FY 2023-24 (₹ in crore)								
S. NO	Particulars	Actuals as on 31.03.2022	Actual as on 31.03.2023		MoU level as on 31.03.2024		Achievement as on 31.03.2024	
		Amount	Amount	% of Growth	Amount	MoU Proposed	Actual Level	Growth
	(E) Provision Coverage Ratio	100.00%	100.00%		---	70.00%		100%
	(F) Expenses Ratio	33.97%	37.93%		---	35.00		35.14
	(G) ROA	2.34%	2.62%		---	2.50%		2.42%
	(H) ROE	27.10%	25.48%		---	23.30%		23.41%
	(I) CD RATIO	102.11%	102.24%		---	105.93%		104.55%
7	SB/CA ACCOUNTS	186451	172045		---	189250	179287	
8	MOBILE BANKING REGISTRATION	27763	36687	32.14%	---	40360	51946	41.59%
9	V-KYC % OF NEWLY OPENED ACCOUNTS	17000	29230		---	20%	23030	12.84
10	APY	36302	47878	140.16%	---	42700	51142	119.78%
11	PMSBY	136354	154606	105.26%	---	294794	317830	107.81%
12	PMJJBY	120044	124283	129.14%	---	142694	178723	125.25%



Cross Selling

SBI Life Insurance:

The Bank is a corporate agent of SBI Life Insurance Corporation Limited, to meet the life insurance needs of the Bank's customers apart from earning non-interest income. The Bank has mobilized a fresh adjusted rated premium of Rs. 44.23 Crore against the target of Rs. 39.35 Crore and earned a commission of 8.19 Crore during the FY 2023-24 vis-à-vis the fresh adjusted rated premium of Rs. 30.26 Crore and commission of Rs. 6.47 Crore during the previous FY 2022-23.

SBI General Insurance:

The Bank has mobilized Rs. 33.73 Crore premium against the target of Rs. 34.00 Crore under SBI General Insurance and earned a commission of Rs. 3.51 Crore during the FY 2023-24 vis-à-vis fresh Premium of Rs. 23.68 Crore and earned a commission of Rs. 2.46 Crore during the previous FY 2022-23.

Security Measures-Installation of CCTVs, Burglar Alarm Systems and Fire Extinguishers:

As part of protecting the Bank assets, Customers and employees in view of increasing incidences of robberies etc, the Bank has provided CCTV systems (Surveillance), Burglar Alarms Systems and Fire Extinguishers to all Branches of the Bank.

I.T. Initiatives developed during FY 2023-24

I. New IT Initiatives implemented in co-ordination with C-Edge-

1. Loan Origination System (LOS)

Our ASP M/s C-edge in co-ordination with M/s ezee.ai has developed LOS and integrated with our CBS and implemented KCC product as pilot.

2. Whatsapp Banking Services

- ★ WhatsApp Banking offers a range of non-financial services, allowing customers to access key banking features at their fingertips.
- ★ Customers simply need to save the WhatsApp Banking Contact Number, which is "9278031313". They are then required to send a "Hi" message via WhatsApp from their registered mobile number to initiate the setup process.
- ★ The following services are offered in whatsapp banking.

- a) Account Services.
- b) Location Services.
- c) Complaint Redressal.
- d) Information on rates (Interest Rates & Charges).

3. UPI onboarding through Aadhaar OTP

This innovative approach allows customers to activate UPI on their registered mobile number through Aadhaar-based authentication (OTP), eliminating the need for a debit card

4. UPI - Interoperable Card-less Cash Withdrawal (ICCW)

This innovative approach enables cash withdrawal from ATMs through UPI, eliminating the necessity for a debit card

5. The following services were enabled in Internet Banking/Mobile Banking

- a) PM Schemes enrollment Online
- b) FD/RD Accounts Opening and Closing Online

II. New IT Initiatives developed In-house

ADVANCES:

1. KCC ISS – Claims (fully automated mode through API)

- + Automation of KCC – Interest Subvention Scheme data submission in 2 stages:
 - (i) Farmer details – One time for every farmer
 - (ii) Loan Details – All loan sanctions for the same farmer Developed a middleware for submission of Interest Subvention (IS) and Prompt Repayment Incentive (PRI) Claims through API.

2. Auto-generation of Pre-filled SSS Enrolment Forms in KCC / Gold Loan Documentation

During the documentation phase, the enrolment statuses of Customer in various SSS Schemes were assessed and auto generation of pre-filled Enrolment forms for Eligible Schemes based on the customer age.

3. Second Appraisal of Gold Loans

Developed the online system for capturing the re-appraisal details of all Gold Loans as below:

- a. Branch Manager to provide the details of re-appraisals of all the Gold Loans that are sanctioned during the Quarter.



- b. Regional Manager to acknowledge the same once in a Quarter

4. KCC Data Dashboard:

Developed a portal to know the land particulars like Patta Land, Assigned Land, and Affidavit Land etc. of KCC loan disbursed before 31.03.2021.

5. TGB Mahila Mudra Yojana

Our Bank launched a new small ticket MSME loan targeting the SHG members who are running small business. Entire process is digitised. From application to documentation and sanction process is digitised. Created complete dashboard for monitoring of pendency, Growth and other parameters. Disbursement data will flow to CGFMU dashboard to complete the guarantee cover formalities also enabled.

6. KCC Kisan Utsav 2.0

"KCC-KISAN UTSAV 2.0" Campaign for renewal of KCC accounts, Period April 17th, 2023 to Sept 30, 2023.

7. Apna Karobar Campaign

"Apna Kaarobar Campaign" was launched for micro loans under TGB-Mahila Mudra Yojana scheme.

8. Kisan Kalyan - Mission 500

Campaign for recovery & renewal of KCC accounts, campaign period from 16-10-2023 to 30-11-2023.

9. AHDF KCC Campaign

KCC Animal husbandry dairy & fisheries (AHDF) campaign from 01st may to 31st march 2024

10. TGB Swarna Kalash

Campaign to stimulate growth in gold loan advances new campaign "TGB-Swarna Kalash Gold loan campaign" launched for the period from 30.01.2024 to 31.03.2024 with an aim to achieve the budget gap of Rs.464.52 cr in Gold loans.

11. Mahila Mahostav

Campaign is launched to improve lending under CC-SHG bank linkage program from 01.07.2023 to 30.09.2023 to augment the SHG portfolio.

12. TBL PORTAL

Entire MSME loan processing is made online under TBL (TGB Business Loan) Portal. Right from application to documentation and sanction process

has been made digital. System will automatically calculate all the important ratios and check the basic eligibility before flowing the document to AMH for sanctioning.

Dashboard created to track the loans sanctioned under various schemes like CGTMSE, CGFMU, PMMY, STAP, SCAP, SUI, PMMY, PMFME, PMEGP. Flow of the document will be based on the discretion. Sample flow is from Branch staff -> Branch Manager -> AMH Processing officer -> AMH Manager -> SMO -> SMB -> RM -> HOCC-II -> HOCC I.

13. Mahila Shakthi Campaign Daily progress

Period: 15.07.2023 to 15.08.2023. Loans to Women Entrepreneurs Under Stand Up India (SUI) scheme. Branchwise progress. Regionwise summary.

14. MSME URN UPDATION

Portal for updation of URNs for all MSMEs. Branches will feed the URNs for accounts. Regionwise pending Entries summary given. Segment wise progress also given like SHG, Street Vendors, TBL, TMMY etc.

15. ADVANCES KEY SEGMENT PROGRESS

Progress in all key segments has been given. Segments involved are – SHG, JL, KCC, HL, HL Top up, ATL, FTD, MTD, YTD data has been displayed. Separate marking like green colour for positive growth and red colour for negative growth has been implemented.

16. REGION WISE YTD DATA

Data of segments in advances has been displayed in region wise. YTD has been given for each segment and each region in a single page. Management can access the data at a glance like which region is performing well in some segments.

17. DEBT WAIVER DATA

List of accounts where debt waiver has been received placed in MIS. For branches this is easy guide for renewing the accounts where waiver proceeds are credited. NPA Accounts are highlighted for easy recovery. This tool helped us in tracking the progress and submit the regular reports to State Government.

18. MUDRA PORTAL DATA

Weekly progress of Mudra loans to be submitted in Mudra portal. The data is classified in to various



social and geographical categories. We have simplified this with the development of portal, so that an upload format is getting generated every week.

GENERAL BANKING/RECON/ADC:

19. DHANVRUDHI - CASA PROGRESS

Period: 01-04-2023 to 31-07-2023 Dhan Vrudhi 1.0

Period: 01-10-2023 to 31-12-2023 Dhan Vrudhi 2.0

20. CAMPAIGN FOR INCREASING CASA IN BRANCHES

Number of Current and Savings accounts opened is the metric for the campaign. Region wise and Branch wise data of the progress has been implemented.

21. TGB VYAAPAR CAMPAIGN

Period: 01-07-2023 to 31-08-2023. Campaign for increasing current accounts. List of Current accounts opened day wise is a metric. Each day the number of accounts opened are listed along with the cumulative count. Region wise summary is available.

22. MEET AND GREET CAMPAIGN DASHBOARD

Period: 09-07-2023 to 30-09-2023. This Campaign is to generate the leads for liability and asset products. Leads are to be entered by the branches. Regionwise and Branchwise summary has been created.

23. FIXED ASSETS PORTAL

Portal to maintain the details of fixed assets has been created. Branch wise, category wise and financial year wise assets are classified to calculate the depreciation. The tool also has a module for new asset acquisition and disposal of assets.

24. INVESTMENT PORTAL

Portal has been created for display of Assets or Liabilities. Option to add/ the assets/liabilities like Bonds, Mutual Funds, TDRs with other banks, SLR investments are provided in the tool. This will help the bank to monitor the liquidity position on day to day basis.

FINANCIAL INCLUSION:

25. JAN SURAKSHA CAMPAIGN

Developed a page to monitor the progress under Jan Suraksha Campaign to cover all eligible customers under PM schemes launched by FI Department.

26. NAARI SHAKTHI 3.0 Campaign

Developed a page to monitor the progress under Naari Shakthi 3.0 Campaign to cover all female customers under PM schemes launched by FI Department.

27. RYTHU MITHRA 2.0 Campaign

Developed a page to monitor the progress under Rythu Mithra 2.0 Campaign to cover all KCC customers under PM schemes launched by FI Department.

28. JANDHAN 2.0 CAMPAIGN

Developed a page to monitor the progress under Jan Dhan Mithra 2.0 Campaign to open new PMJDY Accounts launched by FI Department.

29. DUS KADUM CAMPAIGN

Developed a page to monitor the progress under Dus ka Dum Campaign launched by FI Department.

30. PENSION WITHOUT TENSION

Created a dashboard to monitor the progress under Pension without Tension Campaign for APY scheme launched by FI Department.

31. FLC/FDLC MEETING

Developed a module to update meeting details and upload photographs for the meeting conducted by FLC/FDLC.

32. CSP DETAILS WHO SOURCED KCC / GOLD LOAN

Provision to capture the details of the CSP who has sourced the KCC and / or Gold Loan Online.

Human Resource Management System:

33. TOGGLE - ATTENDANCE OF STAFFS AT HEAD OFFICE

The Head of the Departments is provided the option to mark the attendance i.e Present / On Duty / Leave of the Staffs working in their department daily.

34. HRIS -PURCHASE OF MOBILE HANDSET FOR BMs / OFFICERS AT RBO/HO

Branch Managers whose validity of their Mobile Handset exceeding 4 years can apply for Reimbursement of purchase of new Mobile Handset as per their eligibility. For Officers posted at RBOs / HO can seek approval online. Upon approval, they can apply for Reimbursement of purchase of new Mobile Handset as per their eligibility.



35. STAFF CONSENT FOR INCOME TAX

Yearly once activity to take the Income Tax Option from Staff for deduction of TDS for the FY.

36. STAFF DEPENDENT DETAILS FOR MEDICLAIM INSURANCE POLICY

Yearly once activity to revise the dependent details of Staff for the purpose of availing Mediclaim Policy for the FY.

37. TOGGLE - ACCESS PRIVILEGE

Access Privillage to Department Heads for posting of BOG / What's New / Banners. Access privileges were given to all Department Heads for posting / editing of BOG / What's New / Banners in Toggle specific to their Departmental activities.

OTHERS:

38. LIVE STREAMING OF LEAGUES / CAMPAIGNS

Developed Scorecard with live update feature of League that will be conducted between two Regions / Three Regions during the match day for various campaigns.

39. REGION 360°

Region 360° is one stop solution for Controllers to view the following parameters. Business Parameters viz Advances, Deposits, NPA Cross Selling and Social Security Schemes. Pending details - BMDP, VVR, C-KYC, Exceptions etc. Region basic details.

40. CAMPAIGN VIEWERS

Dashboard to list the viewers of every Campaign.

41. BGL OUTSTANDING ENTRIES DASHBOARD

Dashboard to list the BGL Outstanding age-wise. Branch have to provide reason for the outstanding entries on daily basis.

42. HELPDESK

Integration of Suggestions / auto fetching the transaction status from RECON Tools through API

Developed API to fetch the details of the RRN entered from the responses of the RECON Tools of Alternate Delivery Channels. This provided Branches the latest status of the dispute and the further action to be taken by the Branch.

43. UDAN CAMPAIGN DASHBOARD

Dashboard to monitor the progress of activation of Accounts that are In-Operative for more than 8 years on daily basis.

44. DEAF ACCOUNTS 100 DAYS 100 PAYS:

Developed a portal to know the status of the activated/claimed accounts under 100 Days 100 Pays Campaign.

45. BMDP UPDATION:

Enabled option at BM level to do noting for the loan sanctioned by Second Officer. Enabled option at HUB level to forward the loan sanctioned by HUB to RBO

46. TEENMAAR CAMPAIGN

Data of all un renewed SBI General accounts are placed in MIS.

Branches can see the accounts along with balances.

Branches can use the data to renew the SBIG accounts.

47. KISAN UNNATI CAMPAIGN

SBI General Insurance Campaign from - 1st-jun - 2023 to till 25th -July -2023.

48. SBI MUTUAL FUND: SHUBHARAMBH

Campaign rolled out from 1st May to 30th June 2023 for SBI Mutual Funds.

49. SBIG UNRENEWED DATA

Data of all unrenewed SBI General accounts are placed in MIS.

Branches can see the accounts along with balances.

Branches can use the data to renew the SBIG accounts.

50. TOGGLE REWAMP

Toggle has been revamped from old server to new server.

Versions of the codes in PHP and database MYSQL have been upgraded.

III. IBA Technology Awards

Bank has received following Awards in IBA Conference held on 09.02.2024.

1. Winner in Best AI & ML Bank
2. Runner-Up in Best Technology Bank
3. Runner-Up in Fintech & DPI Adoption
4. Special prize in Best Digital Engagement



Human Resource Management:

As at the end of FY 2023-24, the staff strength (including those who exited the Bank service in the month of March 2024 on account of retirements / resignations) and its composition is as under:

S.No	Cadre	31.03.2024
1	Officers Scale-V	4
2	Officers Scale-IV	33
3	Officers Scale-III	104
4	Officers Scale-II	356
5	Officers Scale-I	683
6	Office Assistants	644
7	Office Attendants	24
	Total	1848

During the year, 36 staff members have retired from the Bank's Service. 51 staff members have resigned, 01 staff members taken VRS. 02 staff member was dismissed from service and 5 staff members deceased.

Recruitments

Since 2009-10, the bank has been recruiting staff through IBPS, as per Manpower assessment and requirement undertaken as on 31st March of every year in terms of Thorat Committee recommendations, presently as per Mithra Committee recommendations approved by GOI.

Last seven years have witnessed mass retirements of those staff members who had joined erstwhile RRBs in late 1980s.

Accordingly, based on the business volumes as on 31.03.2023, the Bank has taken up recruitment exercise for augmentation of staff in various grades, including lateral recruitment of Scale-II and Scale-III Officers in General Banking and with specialization in Law, IT, Marketing, CA etc.

S. No	Cadre	No. of candidates recruited during the year
1	Office Assistants	127
2	Officers Scale-I	68
3	Officers Scale-II	12
4	Officers Scale-III	0

The Bank has been working continuously to train the new recruits imparting skills and supply inputs in all areas to equip them to handle the day to day functions well & re-train the existing staff members. All the recruitments have been completed through the Common Written Test including interviews conducted by IBPS.

COMPARISON OF STRENGTH OF NEW AND OLD STAFF MEMBERS:			
YEAR	NEW	OLD	TOTAL
2013-14	154	992	1146
2014-15	412	967	1379
2015-16	529	929	1458
2016-17	565	900	1465
2017-18	636	842	1478
2018-19	987	803	1790
2019-20	1085	669	1754
2020-21	1358	373	1731
2021-22	1356	324	1680
2022-23	1509	234	1743
2023-24	1667	181	1848

Promotions:

Keeping in view the Bank's policy of giving promotions promptly to staff, we have taken up promotion exercise in terms of manpower assessment as on 31.03.2023 and promoted as many as 201 people in various cadres to next higher grade as under. Written Test for promotion was arranged through IBPS online.

S No.	Promoted to	No. of Posts
1	Officers Scale-I	60
2	Officers Scale-II	113
3	Officers Scale-III	16
4	Officers Scale-IV	10
5	Officer Scale-V	2
6	Office Asst.	0
	Total	201

The Bank has fulfilled the statutory requirement of giving pre- promotion training to all SC/ST/OBC candidates, eligible for promotion prior to written test. This has enabled the SC/ST/OBC candidates to prepare themselves better, to take on the written test.



Training - Staff Learning Centre

The Bank had laid down a Training Policy which envisages training to all staff members, at least once in two years for officers and at least once in three years for office assistants. During the year, our Bank has provided physical/Online training to 1260 staff members at various centers. The participants include all cadres of staff (Officers- 933 and Office Assistants 327).

The Bank has provided training to officers, in the all cadres, at premier training institutions like BIRD (Lucknow), RBI (CAB, Pune), BIRD (Mangalore), SBIRB, Gachibowli, Hyderabad, & Warangal Centres on important subjects like Recovery Management, AML & KYC, RTI Act, Treasury Management, Business Development, Loan Appraisal Skills to Asset Management- HUB, etc.

Our Bank has been paying consistent attention towards women employees. They constitute 25.76% of total workforce. Bank has taken a number of steps to boost women empowerment within the Organization. They are talented and highly enterprising. It is very gratifying that most of the women officers volunteered to be the Branch Heads and Field Officers. Contribution of women staff members in the growth story of the bank is significant.

Internal Complaints Committee

We have also put in place a safe working environment for women employees in the Bank by implementing the provisions of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013. We have constituted Internal Complaints Committee at 8 Regional Business Offices and at Head Office to handle the complaints of sexual harassment. We have been sensitizing the employees of both the genders to be fostering a healthy and conducive work environment.

STAFF WELFARE MEASURES- Mediclaim Policy:

In terms of Government of India Letter no. F.8/1/2015-RRB dated 20.10.2016, our Bank has implemented Medical Insurance Scheme as per 10th Bipartite Settlement to employees and officers along with their dependent family members as detailed in schedule IV. The Scheme covers Employee + Spouse + Dependent Children + 2 Dependent Parents / parents-in-law with a Sum insured of Rs. 4,00,000/- and Rs.3,00,000/- for

Officers and employees respectively. We have also taken a Corporate Buffer to cover additional expenditure up to Rs.4.00 Lakhs and Rs.3.00 Lakhs for officers and employees respectively, if the hospitalization expenditure exceeds the sum insured. The Scheme, apart from facilitating hassle free admission into the hospital immediately with cash less facility at approved Hospitals including super specialty hospitals, also covers domiciliary treatment expenses up to 10% sum insured. Around 7407 members including family members of Staff have been covered under the Scheme

Group Personal Accident Insurance Policy:

Most of our staff members are youngsters and travel by road, frequently for various official works viz., Cash remittance, field visits for recovery and inspection of units, review meetings etc., and are exposed to the risk of road accidents and face a life threat also.

We have taken the Group Personal Accident Insurance Policy for sum insured per employee is Rs.15.00 lakhs to create a sense of security among the staff members and to boost the morale of the staff members.

Gratuity, Pension and Leave Encashment Fund:

The Bank has taken care of provisional requirements in respect of Gratuity, Pension & Leave Encashment. The total corpus as on 31.03.2024 is to the tune of Rs. 49.30 Crores towards Gratuity, Rs 465.65 Crores towards Pension and Rs 40.90 crores towards Leave Encashment.

Industrial Relations:

The Management and Officers Association and Employees Union have worked in tandem for the welfare of the staff members and business development, sorting out amicable solutions for routine issues that cropped up during the year. Cordial and amicable working atmosphere has prevailed during the year.

Welfare of SC/ST and OBC Employees:

The Bank has maintained cordial relations with the SC/ST Welfare Association, OBC Welfare Association and complied with statutory requirements in all aspects of recruitments, promotions etc. The Bank has held regular meetings with the representatives of Welfare Associations and Liaison Officers to redress their grievances. The Bank has taken all steps to keep up the morale and motivation of the employees.

**Settlement of Terminal Benefits:**

The Bank has made a policy that all terminal benefits are settled on the date of retirement of staff members. The process begins two months in advance of retirement to ensure that all formalities are completed to make payment on the date of retirement.

Payment of Pension to Staff members:

The Bank has implemented the GOI instructions, contained in its letter No.F.20/2010-RRB dated 23rd October, 2018 for payment of Pension to the staff members / retired & dependent of deceased member's w.e.f. 01.04.2018. The Bank has provided the provisions (actuarial value) of Rs. 465.65 crores as on 31.03.2024 towards the liability of Payment of Pension.

Scheme of Compassionate Appointment on Compassionate Grounds:

The Bank has implemented the revised Model Scheme for Appointment on Compassionate Grounds as per Scheme in PSBs in accordance to the GOI instructions, contained in its letter No.7/38/2014-RRB, dated 31.12.2018. Our Bank has both the options i.e. Compassionate Appointment/ payment of lump-sum ex-gratia in lieu of compassionate appointment.

New Initiatives:**Festival Advance:**

Online processing and sanction of Staff Festival Advance. On eligibility, the Application window will be opened with the eligible Amount to the staff and they can submit the application. The Sanctioning Authority will approve the request and will be intimated to the concerned branch. Respective Branch Manager will disburse the Loan and complete the process.

Medical Practitioners (Doctors)-Staff Relatives:

Developed Portal for our Staff to update details of Doctors in their Family to enable other staff to contact them in Medical requirement.

Briefcase Allowance - Enable Staff to apply online for Briefcase Allowance.

Annual PL Encashment - Enable Staff to apply online for PL encashment.

Learning and PLI Arrears - Report on details of Arrears paid for Learning Allowance and PLI.

Annual Medical Reimbursement - Enable Staff to apply for Annual Medical Reimbursement Allowance

Special Transfers - As per Personnel Dept, Special Transfer request from Staff pertaining to retirement within one year and Medical reason enabled in Toogle.

Mobile Handset - Enable Staff to apply online for Mobile Handset Allowance

Board:

The Bank has convened 7 Meetings of the Board of Directors during the Financial Year 2023-24.

The Board has undergone following changes in the composition on account of transfers/ retirement and new directors are nominated in their places.

1. Sri Umesh Ramling Swami, Assistant General Manager (IBD), Reserve Bank of India, Hyderabad has been nominated as Director by RBI in place of Sri Anil Kumar Kalbhore, Assistant General Manager (FIDD), Reserve Bank of India, Hyderabad as per RBI orders.
2. Dr B Gopi, Director of Agriculture, Telangana has been nominated as Director by State Government of Telangana in place of Sri M Raghunandan Rao, Commissioner of Agriculture, Telangana as per Government of Telangana orders.

The bank wishes to place on record its appreciation and gratitude for the valuable services and guidance rendered by the Directors who demitted office during the year under report.

Vigilance Awareness week:

The Bank organized Vigilance Awareness week from **30th October to 5th November, 2023** in Head Office, Regional Business Offices and all Branches with the main theme **"Say no to corruption; commit to the Nation"**.

All the activities as advised by the Sponsor Bank have been conducted by all staff of the bank with zeal and enthusiasm and we have achieved all the objectives as per the tentative targets.

The Bank has conducted Training programs, Awareness Gram sabhas, Debate/Elocution/panel discussion, Grievance Redressal camps, Displayed Banners at prime places, conducted online examination to all staff on Ethics, systems and procedures etc.

In all training programs, workshops and Review Meetings, a session is taken to sensitize all staff members and the customers to be vigilant in their day to day operations.

The Bank has displayed PIDPI banners and posters in both Telugu and English languages at prime places and organized campaigns to spread awareness about "PIDPI(Public Interest Disclosure and protection of informers)".

Training of officials to impart necessary competency and skill is necessary in order to ensure smooth and effective functioning. On the occasion of Vigilance Awareness Week-2023 bank has conducted trainings through class room as well as Video Conference(VC) to all the staff on Ethics, systems and procedures by the officials trained under ToT(Training of Trainers)

Whistle Blower Policy:

The Vigil (Whistle Blower) Mechanism is to ensure highest ethical, moral and business standards in the course of functioning and to build a lasting and strong culture of Corporate Governance within the bank. The policy is intended to encourage all employees of the bank to report suspected or actual occurrence of illegal, unethical or inappropriate actions, behaviors or practices by employees without fear of retribution. The employees can voice their concerns on irregularities, malpractices and other misdemeanors through this Policy. Whistle Blower policy has been in vogue in the bank since 2006.

TELANGANA GRAMEENA BANK

PUBLIC INTEREST DISCLOSURE & PROTECTION OF INFORMER RESOLUTION, 2004 (PIDPI)

WHAT IS PIDPI?	<ul style="list-style-type: none"> • PIDPI is a resolution of Government of India • Identity of the complainant is kept confidential for all complaints lodged under it.
HOW IS PIDPI COMPLAINT FILED?	<ul style="list-style-type: none"> • The complaint should be addressed to secretary, CVC and the envelope should be superscribed as "PIDPI" • Name and address of the complainant should NOT be mentioned on the envelope but in the letter inside in a closed cover
GUIDELINES TO ENSURE IDENTITY OF COMPLAINANT REMAINS CONFIDENTIAL	<ul style="list-style-type: none"> • Complaints that are personally related to the complainant or addressed to other authorities may lead to disclosure of identity • Complaints should not be sent in open condition or on public portal. • Documents that reveal identity should not be enclosed or mentioned in the complaint e.g.: documents received under RTI • Name and address should be mentioned on the letter inside the envelope for confirmation purposes. • Complaints where confirmation is not received are closed. • Anonymous/pseudonymous letters are not entertained

VIGILANCE AWARENESS WEEK 2023



For more details visit <https://www.cvc.gov.in>

Acknowledgement

The board wishes to place on record its appreciation for the efforts put in by the Bank, which has enabled them to exhibit better performance. The board thanks all the customers for the confidence reposed in the bank and their continued patronage. The Board renews its commitment for rendering a better service to their customers in future too.

The Board wishes to thank the Government of India, Government of Telangana and State Bank of India for their cooperation at all levels for the growth of the Bank.

The Board also expresses its sincere gratitude to the Reserve Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development, National Housing Bank for their valuable guidance and support extended to the Bank from time to time.

The Board of Bank also conveys its sincere thanks to the Collector and District Magistrate and District Administration in the erstwhile Districts of Adilabad, Karimnagar, Nizamabad, Ranga Reddy and Hyderabad, for their continuous support to the Bank at all times.

The Board also thanks the Central Statutory Auditors M/s M. Bhaskara Rao & Co, and Branch auditors for their cooperation, guidance and promptness in completion of Audit in reasonable time.

The Board records its appreciation for all the staff members for their dedicated involvement in the growth and functioning of the Bank. It is due to their unstinted efforts that the Bank could post good performance during this year and could surpass the targets in many parameters under MoU. The Board looks forward for their motivated involvement and sustained efforts for the overall development of the Bank in future also.

For and on behalf of the Board of Directors.



(Y. SOBHA)

Chairman

INTERNATIONAL WOMEN'S DAY CELEBRATIONS



"International Women's Day Celebration at Hyderabad in presence of Our Chairman, Smt. Y. Sobha, along with Smt. K. P. Shobha Rani (GM Admin) and Smt. T. Bharathi Thayar (Gm Vigilance)"



NIZAMABAD



KARIMNAGAR



JAGITAL



NIRMAL



ADILABAD



MANCHERIAL



INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To
The President of India

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

1. Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Telangana Grameena Bank ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2024, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of:

- i) Head Office;
- ii) 29 branches audited by us; and
- iii) 235 domestic branches audited by statutory branch auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the National Bank for Agriculture and Rural Development ("NABARD"). Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows are the returns from 165 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 24.96 percent of advances, 24.78 per cent of deposits, 24.45 per cent of interest income and 22.87 per cent of interest expenses.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Regional Rural Bank Act, 1976 ("the Act") and circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India ("RBI") and NABARD from time to time in the manner so required for the Bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

- a. the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31 March 2024;

- b. the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit; and
- c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

2. Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, as amended from time to time subject to Directions/Guidelines issued by the NABARD and RBI, and provisions of the Act and circulars and guidelines issued by the NABARD and RBI from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

3. Emphasis of Matters

Note no18.5.d regarding the manner of classification of advances to self-help groups as secured and unsecured loans.

4. Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements for the year ended 31 March 2024. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the key audit matters to be communicated in our report.



Key Audit Matters	How it has been Addressed
<p>Advances : Identification of Non-Performing Advances ("NPA") and provisioning of advances including compliance with Income Recognition and Asset Classification norms ("IRAC") issued by NABARD and RBI.</p> <p>Loans and advances constitute 62.22% of the Bank's total assets. Refer Note no.9 of Financial Statements.</p> <p>The classification and provisioning of these advances, in terms of Bank's accounting policy (Refer note no.17.C.2 of the financial statements), are governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRAC) norms and other circulars and directives issued by the NABARD / RBI.</p> <p>Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solutions (CBS) which also identifies whether the advances are performing or non-performing. Further, NPA classification is done through CBS and Provisioning on advances (Performing and Non-Performing) as per the IRAC norms is being made outside the system using tools like Microsoft Excel.</p> <p>Since the identification of NPAs and provisioning for advances require significant level of estimation / judgement and given its significance to the overall audit due to regulatory focus, we have considered identification and provisioning for NPAs and advances as a key audit matter.</p>	<p>Our audit approach towards advances with reference to the IRAC norms and other related circulars / directives issued by NABARD / RBI and internal policies and procedures of the Bank includes the following</p> <ul style="list-style-type: none"> • Read the Bank's policies for NPA identification and provisioning and assessing compliance with the IRAC norms. • Understood the design and operating effectiveness of key controls (including application controls) around identification of non-performing accounts based on the extant guidelines on IRAC. • Examined the efficacy of various internal controls over advances to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and compliance with the observations of the various audits conducted as per the monitoring mechanism (Internal audit / concurrent audit / information systems audit / cybersecurity audit etc.) of the Bank and NABARD Inspection. • Reviewed the reports, MOC, certificates and observations in LFAR issued by the statutory branch auditors. • Performed audit procedures on test check for income recognition, classification into performing and non performing advances in respect of the branches allotted to us. • Performed procedures for verification of the procedure of computation of provisions outside the IT system, its correctness and the reconciliation of the same with the books of accounts. • Assessed disclosure requirements for classification and provisioning of NPAs in accordance with RBI circulars including those issued specifically issued for Covid 19 related matters.



Investments : Classification and Valuation of Investments, Identification of provisioning for Non-Performing Investments.

Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures and other approved securities. Refer note no. 8 of the Financial Statements.

Investments constitute 10.18% of the Bank's total assets.

These are governed by the circulars and directives of the NABARD / RBI. These directions, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against.

The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be made as per the method prescribed in circulars and directives issued by NABARD / RBI which involves collection of data / information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE / NSE.

Further, the bank has been compiling the investment register in Excel tool and has been making all the calculations using the same tool.

Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter.

Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.

Our audit approach towards Investments with reference to the RBI / NABARD Circulars / directives included the following:

- ✦ Read the Bank's policies for making Investments.
- ✦ Understood the design and operating effectiveness of key controls (including application controls) around investments, its valuation, classification, shifting between categories and identification of Non-Performing Investments.
- ✦ Evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant NABARD / RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non-Performing Investments.
- ✦ Assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining book value of these investments.
- ✦ Tech checked accuracy and compliance with the NABARD / RBI and directions by re-performing valuation of each category of the security.
- ✦ Tested the mapping of Investments between Investments (Excel Tool) and the financial statements to ensure compliance with the presentation and disclosed requirements as per the aforesaid NABARD / RBI directions.
- ✦ Test checked the amortization of the premium on HTM category of investments.
- ✦ Test checked the valuation of investments for shift in the category of investments between HTM and AFS.



Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

5. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards, and provisions of Regional Rural Banks Act, 1976 and circulars and guidelines issued by the NABARD and RBI from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

6. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to

influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- + Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- + Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- + Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- + Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- + Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the standalone financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of



any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

7. We did not audit the financial statements / information of 235 branches, included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 9228,76,28 as at 31 March 2024 and total revenue of Rs.1049,72,87.67 Thousands for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. These branches cover 24.96% of advances, 24.78% of deposits and 64.90% of Non-performing assets as at 31 March 2024 and 75.55% of revenue for the year ended 31 March 2024. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949; Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5 to 7 above and as required by the Regional Rural Bank Act, 1976 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
- a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
9. We further report that:
- a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
 - b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
 - c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
 - d) In our opinion, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by NABARD and RBI.

For M. Bhaskara Rao & Co.

Chartered Accountants
Firm Reg. No. 000459S
Sd/-

(M.V. Ramana Murthy)

PARTNER

Membership No. 206439
UDIN : 24206439BKACXE4874

Place : Hyderabad

Date : 30.04.2024



BALANCE SHEET AS ON 31.03.2024

(₹ in 000's)

Particulars	Schedule	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	180723	180723
Reserves & Surplus	2	24950512	19659758
Deposits	3	141948138	126103278
Borrowings	4	64569730	51670526
Other Liabilities & Provisions	5	2602437	1878529
TOTAL		234251540	199492814
ASSETS			
Cash and Balances with RBI	6	5662407	5144407
Balances with Banks and Money at call & short notice	7	53681034	38228540
Investments	8	23838152	25724927
Advances	9	145760169	126291716
Fixed Assets	10	501933	488466
Other Assets	11	4807845	3614758
TOTAL		234251540	199492814
Contingent Liabilities	12	697728	402828
Bills for Collection		0	0

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

For **M. Bhaskara Rao & Co.**

Chartered Accountants

Firm Reg. No. 000459S

Sd/-

(M.V. Ramana Murthy)

PARTNER

Membership No. 206439

Sd/-

(Shri V Siva Kumar)

GM (RRB), SBI Corporate Centre
Director

Sd/-

(Shri Umesh Ramling Swami)

AGM, RBI
Director

Sd/-

(Shri Binod Kumar Sinha)

DGM (ABU-GSS), SBI, LHO
Director

For **Telangana Grameena Bank**

(Sri T. Chandra Sekhar)

Sd/-

GENERAL MANAGER-I

(Smt. Y. Sobha)

Sd/-

CHAIRMAN

Date : 30.04.2024

Place : Hyderabad



PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

(₹ in 000's)

Particulars	Schedule	For the year ended 31.03.2024	For the year ended 31.03.2023
I. Income			
(a) Interest earned	13	19250154	14923463
(b) Other income	14	2699523	2547637
TOTAL		21949677	17471100
II. Expenditure			
Interest expended	15	10563606	7271846
Operating Expenditure	16	4001065	3869085
Provisions and contingencies		298398	337696
TOTAL		14863069	11478627
III. Profit / Loss			
Profit for the year Before Tax		7086608	5992473
Less:PROVISION FOR INCOME TAX		-1780000	-1500000
Less(Add): Deferred Tax Liability / (Asset)		-15854	1220
PROFIT AFTER TAX		5290754	4493693
Profit brought forward from previous financial year		15012833	11501878
Appropriation of Profit			
Transfer to Statutory Reserves		1058151	898738
Transfer to Capital Reserve		-	-
Transfer To Revenue & Other Reserves		-	-
Transfer to Special Reserves U/s 36(i)(viii) of IT Act,1961		128000	84000
Balance Carried over to Balance Sheet		19117436	15012823

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

For **M. Bhaskara Rao & Co.**

Chartered Accountants

Firm Reg. No. 000459S

Sd/-

(M.V. Ramana Murthy)

PARTNER

Membership No. 206439

Sd/-

(Shri V Siva Kumar)

GM (RRB), SBI Corporate Centre
Director

Sd/-

(Shri Umesh Ramling Swami)

AGM, RBI
Director

Sd/-

(Shri Binod Kumar Sinha)

DGM (ABU-GSS), SBI, LHO
Director

For Telangana Grameena Bank

(Sri T. Chandra Sekhar)

Sd/-

GENERAL MANAGER-I

(Smt. Y. Sobha)

Sd/-

CHAIRMAN

Date : 30.04.2024

Place : Hyderabad


SCHEDULE-1
SHARE CAPITAL

₹ in 000's

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
Authorised Capital (2,00,00,00,000 shares of Rs.10/- each)	20000000	20000000
Issued Capital (1,80,72,295 shares of Rs.10/- each)	180723	180723
Subscribed and Paid up Capital (1,80,72,295 shares of Rs.10/- each)	180723	180723
TOTAL	180723	180723

SCHEDULE-2
RESERVES & SURPLUS

₹ in 000's

	Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I	Statutory Reserves		
	Opening Balances	4213812	3315073
	Additions during the Year	1058151	898738
	Deductions during the Year	0	0
	Total	5271963	4213811
II	Capital Reserves		
	Opening Balance	49114	49114
	Additions during the Year	0	0
	Deductions during the Year	0	0
	Total	49114	49114
III	Share premium		
	Opening Balance	0	0
	Additions during the Year	0	0
	Deductions during the Year	0	0
	Total	0	0
IV	Special Reserve U/s 36(1)(viii)		
	Opening Balance	384000	300000
	Additions during the Year	128000	84000
	Deductions during the Year	0	0
	Total	512000	384000
V	Revenue and other Reserves		
	Opening Balance	0	0
	Additions during the Year	0	0
	Deductions during the Year	0	0
	Total	0	0
VI	Balance of Profit & Loss Account	19117435	15012833
	TOTAL (I, II, III, IV & V)	24950512	19659758

**SCHEDULE-3****DEPOSITS**

₹ in 000's

	Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
A.	I Demand Deposits		
	i. From Banks	0	0
	ii. From Others	1486969	1188278
	II Saving Bank Deposit	49933397	41689792
	III Term Deposits		
	i. From Banks	26220559	24345172
	ii. From Others	64307213	58880036
	TOTAL of (I II and III)	141948138	126103278
B.	I. Deposits of branches in India	141948138	126103278
	II. Deposits of Branches outside India	0	0
	TOTAL	141948138	126103278

SCHEDULE-4**BORROWINGS**

₹ in 000's

	Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I	Borrowings in India		
	i. Reserve Bank of India	2100000	1900000
	ii. Other Banks (SBI & APCOB)	6791614	1012150
	iii. Other Institutions and Agencies		
	a) NABARD	53218586	47778696
	b) National Housing Bank (NHB)	2305280	888520
	c) NSFDC	154250	91160
II	Borrowings outside India	0	0
	TOTAL (I & II)	64569730	51670526
	Secured Borrowings included in I and II above	64569730	51670526
	TOTAL OF I & II	64569730	51670526

SCHEDULE-5**OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**

₹ in 000's

	Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
1	Bills payable	250668	237466
2	Inter Office Adjustment (Net)	1991	9268
3	Interest Accrued	197426	156026
4	Others (Including Provisions)		
	General Provision on Standard Advances	478469	425170
	Provision for Pension & NPS	0	0
	Provision for Income Tax	0	0
	Others Liabilities	1673883	1050599
	TOTAL	2602437	1878529

**SCHEDULE-6****CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**

₹ in 000's

	Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I	Cash in hand	469552	606675
II	Balances with Reserve Bank of India		
	i. In Current Accounts	5192855	4537732
	ii. In other Accounts	0	0
	TOTAL (I & II)	5662407	5144407

SCHEDULE-7**BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**

₹ in 000's

	Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I	In India:		
	i) Balance with Banks:		
	a. In current Accounts	234466	255694
	b. In other Deposit Accounts	53446568	37972846
	ii) Money at call and short notice		
	a. With Banks	0	0
	b. With other institutions	0	0
	TOTAL of (i & ii)	53681034	38228540
II	Out side India:		
	i. In current Accounts	0	0
	ii. In other Dep.Accounts	0	0
	iii. Money at call and short notice	0	0
	TOTAL of (I, ii, iii)	0	0
	GRAND TOTAL (I+II)	53681034	38228540

SCHEDULE-8**INVESTMENTS**

₹ in 000's

	Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I	Investments in India in		
	i. Government Securities	23688152	25126687
	Less: Provision / Depreciation	0	0
	Net SLR	23688152	25126687
	ii. Other approved securities	0	0
	iii. Shares	0	0
	iv. Debentures and Bonds	150000	348240
	Less: Provision	0	0
	Sub total Non-SLR	150000	348240
	v. Subsidiaries and/or other joint ventures	0	0
	vi. Others		
	IVP / KVP etc.	0	0
	Mutual Funds	0	250000
	Less: Provision	0	0
	Sub total Non-SLR	0	250000
	Total Non-SLR Net	150000	598240
	TOTAL-Net Investments in India	23838152	25724927
II	Investments outside India	0	0
	Less: Provision / Depreciation	0	0
	TOTAL Net of II	0	0
	GRAND TOTAL (I+II)	23838152	25724927


SCHEDULE-9
ADVANCES

₹ in 000's

	Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
A	i. Bills purchased and discounted	0	0
	ii. Cash Credits, ODs and loans repayable on demand	99835169	89005511
	iii. Term Loan	45925000	37286205
	TOTAL	145760169	126291716
B	i. Secured by tangible assets	117383267	94187250
	ii. Covered by Bank / Govt. guarantee	0	0
	iii. Unsecured	28376902	32104466
	TOTAL	145760169	126291716
C	Advances in India		
	i. Priority Sector	111443252	99141334
	Less: IBPC Issued	0	0
	Sub Total	111443252	99141334
	ii. Public Sector	0	0
	iii. Banks	0	0
	iv. Others	34316917	27150382
	TOTAL	145760169	126291716
	Advances Outside India:		
	i. Due from Banks	0	0
	ii. Due from others	0	0
	TOTAL	0	0
	Gross Advances	148406944	128930007
	Less: INCA	0	0
	Less: Provisions for B&D debts	2646775	2638291
	NET ADVANCES	145760169	126291716

SCHEDULE-10
FIXED ASSETS

₹ in 000's

	Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I	PREMISES		
	At cost as on 31st March	146646	3422
	i. Additions during the year	0	143224
	ii. Deduction during the year	0	0
	iii. Depreciation during the year	80	59
	iv. Depreciation to date	1008	928
	TOTAL I	145638	145718
II	Other Fixed Assets (incl. furniture & fixtures)		
	At cost as on 31st March	850505	794907
	i. Additions during the year	84595	79088
	ii. Deduction during the year	378	262
	iii. Depreciation during the year	70670	61021
	iv. Depreciation to date	578427	530985
	TOTAL II	356295	342748
III	Capital work in progress		
	At cost as on 31st March	0	0
	i. Additions during the year	0	0
	ii. Deduction during the year	0	0
	TOTAL III	0	0
	TOTAL I, II & III	501933	488466

**SCHEDULE-11****OTHER ASSETS**

₹ in 000's

	Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I	Inter-Office Adjustments (Net)	0	0
II	Interest accrued	1891742	1120192
III	Tax paid in Advances / Tax deducted at source *	62858	126165
IV	Stationery & Stamps	25	15
V	Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0
VI	Others		
	a) Int Subvention Recble from GOI / NABARD	2724676	2258641
	b) Miscellaneous Assets (Frauds, Cash stolen)	0	0
	c) Others (suspense utility services etc.)	128544	109745
	TOTAL	4807845	3614758

* Net of Provisions

SCHEDULE-12**CONTINGENT LIABILITIES**

₹ in 000's

	Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I	Claims against the Bank not acknowledged as debts	48316	48316
II	Liability for partly paid Investments	0	0
III	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	0	0
IV	Guarantee given on behalf of constituents		
	a. In India	67605	97046
	b. Outside India	0	0
V	Acceptances, Endorsements and other obligations	0	0
VI	Other items for which the Bank is contingently liable (DEAF Account)	581807	257466
	TOTAL	697728	402828

SCHEDULE-13**INTEREST EARNED**

₹ in 000's

	Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I	Interest on advances /discount on bills	13681271	11734557
II	Interest on Investments	1749035	1929773
	Less: Amortisation of Premium	-13055	-13820
III	Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	3815627	1233429
IV	Others	17276	39524
V	TOTAL	19250154	14923463


SCHEDULE-14
OTHER INCOME

₹ in 000's

	Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I	Commission, exchange and brokerage.	1378459	1299853
II	Profit on sale of Investments	15470	9858
	Less : Loss on Sale of Investments		
III	Profit on revaluation of investments	0	0
	Less : Loss on revaluation of investments		
IV	Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets	-21	156
	Less: Loss on Sale of Land, Buildings and Other Assets	0	0
V	Profit on exchange transactions	0	0
	Less : Loss on exchange transaction		
VI	Income earned by way of dividends etc., from subsidiaries/ companies and/or joint ventures in abroad/ in India	0	0
VII	Miscellaneous Income	1305615	1237770
	TOTAL	2699523	2547637

SCHEDULE-15
INTEREST EXPENDED

₹ in 000's

	Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I	Interest on deposits	7408625	5268777
II	Interest on Reserve Bank of India/ Inter bank Borrowings	0	0
III	Others		
	a. SBI - OTHER BANKS OVERDRAFT	276651	29435
	b. NABARD - REFINANCE	2654593	1832724
	c. NHB - REFINANCE	111416	46108
	d. MUDRA, NSFDC etc	112321	30068
IV	Interest on IBPC participation	-	64734
	TOTAL	10563606	7271846



SCHEDULE-16			
OPERATING EXPENSES			
₹ in 000's			
	Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I	Payments to and provisions for employees	3061745	2610421
II	Rent, Taxes & Lighting	172550	164119
III	Printing & Stationery	18252	17769
IV	Advertisement & Publicity	93	211
V	Depreciation on Bank's property	70692	61081
VI	Director's fees, allowances and expenses	0	0
VII	Auditors fees and expenses (including branch auditors)	3920	5280
VIII	Law charges	558	302
IX	Postage, Telegrams, Telephones etc.	3872	4106
X	Repairs and maintenance	136359	129213
XI	Insurance	158112	177279
XII	Other expenditure	374912	699304
	TOTAL	4001065	3869085

SCHEDULE-17**Significant Accounting Policies:****A. Basis of Preparation:**

The Bank's financial statements are prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting on Going Concern basis, unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms /guidelines prescribed by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) / Reserve Bank of India (RBI), Banking Regulation Act 1949, Regional Rural Bank Act, 1976 and amendments thereto and Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and practices prevalent in banking industry in India.

B. Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable and are based upon management's evaluation of the relevant facts and circumstances as of the date of

financial statements. Future results could differ from these estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognized in the period in which the results are known /materialized.

C. Significant Accounting Policies:**1. Revenue Recognition:**

- 1.1) Income and expenditure are accounted on accrual basis, except otherwise stated.
- 1.2) Interest / Discount Income is recognized in the Profit and Loss Account as it accrues except income from Non-Performing Assets (NPAs), comprising of advances, and Investments which is recognized upon realization, as per the prudential norms prescribed by the RBI. Overdue interest on investments.
- 1.3) Profit / Loss on sale of investments is recognized in the Profit and Loss Account. However, the profit on sale of investments in the "Held to Maturity (HTM)" category is appropriated (net of applicable taxes and amount required to be transferred to statutory reserve) to "capital reserve account". The discount, if any, on Interest bearing securities, on acquisition of investments in Held to Maturity (HTM) category is accounted for at the time of sale / redemption



- 1.4) Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the dividend is established.
- 1.5) Commission & Exchange and locker rent are recognized on realization basis.
- 1.6) Interest on overdue term deposits is accounted for on renewal.
- 1.7) In case of suit filed accounts, legal and other expenses incurred are charged to Profit and Loss Account and at the time of recovery of such expenses is accounted as income.

2. Investments:

The transactions in Government Securities and other than Government Securities are recorded on "Settlement Date".

2.1) Classification:

Investments are classified into three categories viz., Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Held for Trading (HFT) as per RBI guidelines.

2.2 Basis of Classification:

- Investments that Bank intends to hold till maturity are classified as "Held to Maturity (HTM)".
- Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as "Held for Trading (HFT)".
- Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as "Available for Sale (AFS)". An investment is classified as HTM / HFT / AFS at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.

2.3 Disclosure in Balance Sheet:

- Investments are classified and disclosed in Balance Sheet as Government Securities, other Approved Securities, Shares, Debentures and Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others.

2.4 Valuation: The securities in each

classification are valued in accordance with RBI guidelines as detailed here under:

- i. In determining the acquisition cost of an investment:
 - (a) Brokerage / Commission received on subscriptions is reduced from the cost.
 - (b) Brokerage, Commission, Security Transaction Tax etc paid in connection with the acquisition of investments or expensed upfront and excluded from cost.
 - (c) Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense / income and is excluded from cost or sale consideration.
 - (d) Stamp duty Value paid on acquisition of Mutual Funds is considered as purchase value or capitalized in books of account.
 - (e) Cost is determined on the weighted average cost method for investments under AFS and HFT category and FIFO basis (First in First Out) for investments under HTM category.
- ii. Transfer of securities from HFT / AFS category to HTM category is carried out at the lower of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for. However, transfer of securities from HTM category to AFS category is carried out at acquisition price / book value. After transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided.
- iii. Held to Maturity category: Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the remaining period of maturity on constant yield basis. Such amortization of premium is adjusted against income under the head "Interest on Investments".



- iv. Investments in equity shares of other companies are valued at historical cost. A provision is made for diminution, other than temporary, for each investment individually.
- v. Available for Sale and Held for Trading Categories: Investments under AFS and HFT category are individually re-valued at market price or fair value determined as per regulatory guidelines, and only the net depreciation of each group for each category (viz., Government Securities, other Approved Securities, Shares, Debentures and Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others) is provided for and net appreciation, is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual security remains unchanged after marking to market.
- vi. Investments are classified as Performing and Non-performing, based on the guidelines issued by the RBI. Investments become non-performing where:
 - (a) Interest / installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
 - b) In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Rs.1/- per company on account of the non availability of the latest balance sheet, those equity shares will be reckoned as NPI.
 - c) If any credit facility availed by any entity is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same entity would also be treated as NPI and vice versa.
 - d) The investments in debentures/bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments.

2.5. Accounting for Repo / Reverse Repo Transactions:

The Bank entered Repurchase and Reverse Repurchase Transactions with RBI under Liquidity

Adjustment Facility (LAF). Repurchase Transaction represents borrowing by selling the securities with an agreement to repurchase the securities. Reverse Repo Transactions on the other hand represent lending funds by purchasing the securities.

- a) Transactions with RBI under Liquidity Adjustment Facility (LAF) are accounted for as Collateralised Lending and Borrowing transactions.
- b) Balance in Repo Account is classified under Schedule-4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule-6 (Balance with Banks and Money at call & short notice).
- c) Borrowing cost of Repo transactions and Revenue on Reverse Repo transactions, with RBI is accounted for as interest expense and interest income, respectively.

3. Loans or Advances and Provisions thereon:

3.1 Loans and advances are classified as performing and non performing, based on the guidelines issued by the RBI. Loan assets become Non-Performing Asset (NPA) where:

- In respect of agriculture advances:
 - i) For short duration crops, where the installment of principal or interest remains overdue for two crop seasons and
 - ii) For long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.
- In respect of Non Agriculture advances:
 - i) In respect of term loans, interest and /or installment of principal remains overdue for a period of more than 90 days
 - ii) In respect Overdraft or Cash Credit Advances, the account remains "out of order", i.e. if the outstanding balance exceeds sanctioned limit or drawing power continuously for a period 90



days, or if there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet, or if the credits are not adequate to cover the interest due during the same period.

3.2 Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines/directives prescribed by the RBI and advised by NABARD:

- a) All advances have been classified under four categories i.e., Standard Assets, Sub-standard Assets, Doubtful Assets and loss Assets. Provisions on Advances are made as under:

- i Standard Assets: General Provision for Standard Assets at the following rates:

Direct advances to Agriculture and SME sectors at 0.25%

Commercial Real Estate sector at 1%

All other advances not included in (1) & (2) above at 0.40%

This general provision is reflected in schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other liabilities and provisions - other provisions" and is not considered for arriving at the net NPAs.

- ii. Sub-Standard Assets: A loan asset that has remained non performing for a period less than or equal to 12 months.

Particulars	Rates prescribed as per IRAC Norms (NABARD Guidelines)
Secured Portion	10%
Unsecured Portion	20%

- iii. Doubtful Assets: A loan asset that has remained in the substandard category for a period of 12 months.

Particulars	Rates prescribed as per IRAC Norms (NABARD Guidelines)	
Secured Portion	Upto 1 Year	20%
	1 to 3 Years	30%
	More than 3 Years	100%
Unsecured Portion		100%

- iv. Loss Assets : A loan asset where Loss has been identified but the amount has not been fully written off. 100% Provision on outstanding advances.

- 3.3 Advances are net of specific loan provisions, unrealized interest. ECGC claims received.
- 3.4 For Restructured / rescheduled assets, provisions are made in accordance with the extant guidelines issued by the RBI.
- 3.5 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as performing asset if it confirms to the guidelines prescribed by the regulators.
- 3.6 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue in the year of recovery.
- 3.7 General provisions made for Standard Assets as per extant RBI guidelines are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions"& are not considered for arriving at the net NPAs.
- 3.8 Interest realized on NPAs are taken into income account provided the credits in the account towards interest are not out of fresh/additional credit facilities sanctioned to the borrower concerned.

4. Floating Provisions:

The Bank has a policy for creation and utilization of floating provisions for advances, investments and general purpose. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of the each financial year.

5. Fixed Assets, Depreciation and Amortization:

- 5.1 Fixed Assets are carried at historical cost less accumulated depreciation / amortization.



5.2 Cost includes cost of purchase and all expenditure directly attributable to or incur in connection with acquiring the said asset before it is put to use. Subsequent expenditure incurred on the assets put to use are capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

5.3 Depreciation / amortization is provided on straight line method as per the rates stated below.

Description of Fixed Assets	Depreciation/ amortization rate
Buildings	1.667%
Furniture & Fixtures other than Electrical Equipment	10%
Computers; Computer Software forming an integral part of the Computer hardware; Computer Software which does not form an integral part of Computer hardware and cost of Software Development.	33.33%
Automated Teller Machine/ Cash Deposit Machine/Coin Dispenser/ Coin Vending Machine and other Electrical Equipment	20.00%
Servers	25.00%
Network Equipments	20.00%
Motor Vehicles	20.00%
Safe Deposit Lockers, Fire Proof Data Safe	5.00%

5.4 In respect of assets acquired during the year, depreciation is charged on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year.

5.5 Assets costing less than Rs.1000/- each, are charged off in the year of purchase.

6. Impairment of Assets:

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an assets to future Net Discounted Cash Flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be

recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

7. Employee Benefits:

7.1 Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc., which are expected to be paid for the services rendered by employees, are recognised during the period when the employee renders the service.

7.2 Long Term Employee Benefits:

i) Defined Benefit Plans:

a) Gratuity: For all the eligible employees, the bank provides for Gratuity liability based on actuarial valuation. Liability is funded by way of contribution made to a fund administered by "Telangana Grameena Bank Employees Gratuity Fund Trust".

b) Leave Encashment: For all the employees who have completed five years of service, the Bank provides for Leave Encashment liability based on actuarial valuation.

c) Pension: The Bank provides for pension to all eligible employees who have joined the Bank on or before 31.03.2010. The benefit is in the form of monthly payments as per rules to vested employees on retirement or on death while in employment, on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contributions to the pension fund at 10% of the salary. The Bank provides for this liability based on the actuarial valuation. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out annually and bank makes such additional contributions periodically to the fund as may be required to secure payment of the benefits under the Pension Regulations.

ii) Defined Contribution Plans :

a) Contributions made to Provident Fund are recognized as an Expense and charged to the Profit and Loss Account on accrual basis.

National Pension Scheme (NPS): The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all the



employees who have joined the Bank after 31.03.2018. The employees, who have joined the Bank between 01.04.2010 to 31.03.2018, have been given an option to join NPS voluntarily. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. Pending completion of registration procedures of the employees concerned, these contributions are retained as deposits in the Bank and earn interest at the same rate as that of the current account of Provident Fund balance. The Bank recognizes such annual contributions and interest as an expense in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts will be transferred to the NPS Trust.

8. Income Tax Expense:

The Income Tax, if any applicable, is computed in accordance with relevant tax provisions under the Income Tax Act, 1961 as applicable to Regional Rural Banks.

Income Tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax. Current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income tax Act, 1961 and as per the Accounting Standard 22 – “Accounting for Taxes on Income” respectively and which are based on the tax laws prevailing in India.

Deferred tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of the timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the Balance Sheet date. The impact of changes in Deferred tax assets and liabilities is recognized in the Profit and Loss Account. Deferred Tax assets are recognized and reassessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realization is considered as reasonably certain. Deferred tax assets are

recognized on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realized against future profits.

9. Government Grants:

Government grants available to the enterprise are considered for:-

- i) Where there is a reasonable assurance that the enterprise will comply with the conditions attached to them.
- ii) Where such benefits have been earned by the enterprise and it is reasonably certain that the ultimate collection will be made.

Grants received from the government towards specific fixed assets, are shown as deduction from the gross value of the asset concerned in arriving at its book value.

10. Contingent Liabilities & Provisions:

In conformity with AS-29 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent assets”, issued by ICAI, the bank recognizes the provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and would result in probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

No provision is recognized for:

- i) Any possible obligation that arises from past events and existence of which will be confirmed only by the occurrence or non occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the bank.
- ii) Any present obligation that arises from past events but is not recognised because:
 - a) It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or
 - b) A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.



Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

- iii. Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

As per our Report of even date

For **M. Bhaskara Rao & Co.**

Chartered Accountants

Firm Reg. No. 000459S

Sd/-

(M.V. Ramana Murthy)

Partner

Membership No. 206439

11. Special Reserves:

Revenue and other Reserves include Special Reserve created under Section 36(i)(viii) of the Income Tax Act, 1961.

12. Leases:

Leases where the Lessor effectively retains substantially all risks and benefits of ownership of the leased item are classified as operating leases. Operating lease payments are recognised as an expense in the Profit and Loss Account.

For **Telangana Grameena Bank**

Sd/-

(Sri. T. Chandra sekhar)

General Manager-I

Sd/-

(Smt. Y. Sobha)

Chairman



TELANGANA GRAMEENA BANK

HEAD OFFICE: HYDERABAD

DISCLOSURE IN FINANCIAL STATEMENTS - 'NOTES TO ACCOUNTS'

1. Regulatory Capital

a) Composition of Regulatory Capital

(₹ in Crores)

S.No.	Particulars	Current Year 31.03.2024	Previous Year 31.03.2023
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) / Paid up share capital and reserves (net of deductions, if any)	2513.12	1984.05
ii)	Additional Tier 1 capital*/ Other Tier 1 capital		
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	2513.12	1984.05
iv)	Tier 2 capital	47.85	42.52
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	2560.97	2026.57
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	12691.74	11783.49
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs) / Paid-up share capital and reserves as percentage of RWAs	19.80	16.84
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	19.80	16.84
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	0.38	0.36
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	20.18	17.20
xi)	Leverage Ratio	NA	NA
xii)	Percentage of the shareholding of a) Government of India b) State Government - Telangana c) Sponsor Bank - SBI	50.00 15.00 35.00	50.00 15.00 35.00
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	Nil	Nil
xiv)	Amount of non-equity Tier I capital raised during the year, of which: Give list as per instrument type (perpetual non-cumulative preference shares, perpetual debt instruments, etc.). Commercial banks (excluding RRBs) shall also specify if the instruments are Basel II or Basel III compliant.	Nil	Nil
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which: Give list as per instrument type (perpetual non-cumulative preference shares, perpetual debt instruments, etc.). Commercial bank (excluding RRBs) shall also specify if the instruments are Basel II or Basel III compliant.	Nil	Nil

Draw down from Reserves: The Bank has not drawn down any amount from Statutory and General Reserve during the current financial year



2. Asset liability management

a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(₹ in Crores)

Particulars	1-14 days	15-30 days	30 days to 3 months	Over 3 months and up to 6 months	Over 6 months and 1 yr	Over 1 year and up to 3 years	Over 3 years and up to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	743.85	306.02	1165.25	826.23	4272.05	6656.15	118.05	107.21	14194.81
Advances	188.56	383.41	1390.80	1881.31	5683.51	3985.36	607.70	455.36	14576.02
Investments	0.00	101.00	615.21	182.22	4411.09	272.37	701.41	1445.18	7728.47
Borrowings	889.16	0.00	269.19	1548.96	1242.77	1644.91	832.77	29.21	6456.97
Foreign currency assets	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Foreign currency liabilities	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL



3. Investments

a) Composition of Investment Portfolio as at 31.03.2024

(₹ in Crores)

Particulars	Investments in India						Investments outside India			
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares and Bonds	Subsidiaries and joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Other investments outside India	Total Investments
Held to Maturity										
Gross	1427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1427.82	0.00	0.00	0.00	1427.82
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	1427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1427.82	0.00	0.00	0.00	1427.82
Available for Sale										
Gross	941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00
Held for Trading										
Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investments	2368.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2383.82	0.00	0.00	0.00	2383.82
Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	2368.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2383.82	0.00	0.00	0.00	2383.82



(₹ in Crores)

Composition of Investment Portfolio as at 31.03.2023

Particulars	Investments in India						Investment outside India			
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares and Bonds	Subsidiaries and joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Other investments outside India	Total Investment
Held to Maturity										
Gross	1856.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1856.36	0.00	0.00	0.00	1856.36
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	1856.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1856.36	0.00	0.00	0.00	1856.36
Available for Sale										
Gross	656.31	0.00	0.00	0.00	25.00	716.13	0.00	0.00	0.00	716.13
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	656.31	0.00	0.00	0.00	25.00	716.13	0.00	0.00	0.00	716.13
Held for Trading										
Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investments	2512.67	0.00	0.00	0.00	25.00	2572.49	0.00	0.00	0.00	2572.49
Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	2512.67	0.00	0.00	0.00	25.00	2572.49	0.00	0.00	0.00	2572.49

**b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve**

(₹ in Lakhs)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
i) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
a. Opening balance	0.00	0.00
b. Add: Provisions made during the year	0.00	221.77
c. Less: Write off / write back of excess provisions during the year	0.00	221.77
d. Closing balance	0.00	0.00
ii) Movement of Investment Fluctuation Reserve		
a. Opening balance	0.00	0.00
b. Add: Amount transferred during the year	0.00	0.00
c. Less: Drawdown	0.00	0.00
d. Closing balance	0.00	0.00
iii) Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category	0.00	0.00

c) Sale and transfers to/from HTM category

Bank has not sold securities to/from HTM category in the current Financial Year.

Bank has transferred to/from HTM category to the tune of Rs.427.24 crores (previous year Rs.711.40 Crores) during the year ended 31.03.2024.

d) Non-SLR investment portfolio**i) Non-Performing Non-SLR Investments**

(₹ in Crores)

S. No.	Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
a)	Opening balance	59.82	75.00
b)	Additions during the year since 1st April	35.00	0.00
c)	Reductions during the above period	79.82	15.18
d)	Closing balance	15.00	59.82
e)	Total provisions held	0.00	0.00


ii. Issuer composition of non-SLR investments

(₹ in Crores)

S. No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		Current year	Previous Year	Current year	Previous Year	Current year	Previous Year	Current year	Previous Year	Current year	Previous Year
a)	PSUs	15.00	15.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
b)	FIs	0.00	0.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
c)	Banks	0.00	0.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
d)	Private Corporates	0.00	19.82	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
e)	Subsidiaries/ Joint Ventures	0.00	0.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
f)	Others	0.00	25.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
g)	Provision held towards depreciation	0.00	0.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	Total *	15.00	59.82	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

e) Repo transactions (in face value terms)

(₹ in Crores)

Particulars		Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2024
i)	Securities sold under repo				
a)	Government securities	11.94	224.83	193.60	223.80
b)	Corporate debt securities				
c)	Any other securities				
ii)	Securities purchased under reverse repo				
a)	Government securities	62.29	267.17	21.96	—
b)	Corporate debt securities				
c)	Any other securities				



1) Asset quality

a) Classification of advances and provisions held as on 31.03.2024

(₹ in '000)

Particulars	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	126291716.00	1141942.97	1457714.35	38633.70	2638291.01	128930007.01
Add: Additions during the year	0	0	0	0	6284756.52	
Less: Reductions during the year	0	0	0	0	6276273.03	
Closing balance	145760168.71	1169083.48	1438967.63	38723.39	2646774.50	148406943.21
Reductions in Gross NPAs due to:	0	0	0	0		
i) Upgradation	0	0	0	0	5088073.22	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)	0	0	0	0	894149.68	
iii) Technical/ Prudential Write-offs	0	0	0	0	294050.13	
iv) Write-offs other than those under (iii) above	0	0	0	0	0.00	6276273.03
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	425169.94	1141942.97	1457714.35	38633.70	2638291.01	
Add: Fresh provisions made during the year	0	0	0	0	245099.04	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans	0	0	0	0	236615.55	
Closing balance of provisions held	478469.19	1169083.48	1438967.63	38723.39	2646774.50	
Net NPAs						
Opening Balance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Add: Fresh additions during the year	0	0	0	0	0.00	
Less: Reductions during the year	0	0	0	0	0.00	
Closing Balance	0	0.00	0.00	0.00	0.00	



(₹ in Crores)

Particulars	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Floating Provisions	0	0	0	0	0	0.00
Opening Balance	0	0	0	0	0	0.00
Add: Additional provisions made during the year	0	0	0	0	0	0.00
Less: Amount drawn down during the year	0	0	0	0	0	0.00
Closing balance of floating provisions	0	0	0	0	0	0.00
						0.00
						0.00
Technical write-offs and the recoveries made thereon	0	0	0	0	0	0.00
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts	0	0	0	0	0	0.00
Add : Technical / Prudential write-offs during the year	0	0	0	0	0	0.00
Less : Recoveries made from previously technical / prudential written-off accounts during the year	0	0	0	0	0	0.00
Closing balance	0	0	0	0	0	0.00

Ratios (in per cent)	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
Gross NPA to Gross Advances	1.78	2.05
Net NPA to Net Advances	0.00	0.00
Provision coverage ratio	100	100


b) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(₹ in Crores)

S. No.	Sector*	As on 31.03.2024			As on 31.03.2023		
		Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Adv	Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Adv
A	Priority Sector						
i	Agriculture & Allied activities	9223.56	223.49	2.42	9019.56	227.50	2.53
	KCC	5593.95	185.76	3.32	5343.74	167.31	3.13
	SHG	3421.69	31.70	0.93	3533.93	50.34	1.42
ii.	Advances to Business/ Industries eligible under PS	121.35	8.54	7.03	97.85	14.84	15.17
iii.	Services	928.12	16.63	1.79	24.00	1.52	6.37
	Cash Credit	928.12	16.63	1.79	23.91	1.45	6.07
iv.	Personal Loans	1122.57	2.62	0.23	1019.49	2.91	0.29
	Housing Loan	1106.98	2.38	0.21	1006.99	2.11	0.21
	Sub-total (A)	11395.60	251.28	2.20	10160.90	246.76	2.43
B	Non-priority Sector:						
i.	Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ii.	Industry	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	Services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	Personal Loans	3445.09	13.40	0.39	2732.10	17.07	0.62
	Jewellery Loan*	1672.46	0.31	0.02	1392.38	0.66	0.05
	DL/CDL*	282.55	1.16	0.41	203.42	1.34	0.01
	Sub-total (B)	3445.09	13.40	0.39	2732.10	17.07	0.62
	Total A+B	14840.69	264.68	1.78	12893.00	263.83	2.05

*Sub-sectors with outstanding balances more than 10% of the Sector total are disclosed separately.

c) Overseas assets, NPAs and revenue

(₹ in Crores)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
Total Assets	NIL	NIL
Total NPAs	NIL	NIL
Total Revenue	NIL	NIL



d) Particulars of resolution plan and restructuring

i) Details of accounts subjected to restructuring

(₹ in Crores)

		Agriculture and allied activities		Corporates (excluding MSME)		Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)		Retail (excluding agriculture and MSME)		Total	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Standard	Number of borrowers	Nil	Nil	Nil	Nil	48	71	397	434	445	505
	Gross Amount (₹ crore)	Nil	Nil	Nil	Nil	1.19	2.17	46.34	53.30	47.53	55.47
	Provision held (₹ crore)	Nil	Nil	Nil	Nil	0.12	0.22	4.63	5.33	4.75	5.55
Sub-standard	Number of borrowers	Nil	Nil	Nil	Nil	23	Nil	6	10	29	10
	Gross Amount (₹ crore)	Nil	Nil	Nil	Nil	0.69	Nil	0.54	0.86	1.23	0.86
	Provision held (₹ crore)	Nil	Nil	Nil	Nil	0.69	Nil	0.54	0.86	1.23	0.86
Doubtful	Number of borrowers	127	205	Nil	Nil	0	Nil	1	Nil	128	205
	Gross Amount (₹ crore)	0.52	0.83	Nil	Nil	0	Nil	0.03	Nil	0.55	0.83
	Provision held (₹ crore)	0.52	0.83	Nil	Nil	0	Nil	0.03	Nil	0.55	0.83
Total	Number of borrowers	127	205	Nil	Nil	71	71	404	444	602	720
	Gross Amount (₹ crore)	0.52	0.83	Nil	Nil	1.88	2.17	46.91	54.16	49.31	57.16
	Provision held (₹ crore)	0.52	0.83	Nil	Nil	0.81	0.22	5.20	6.19	6.53	7.24



e) Disclosure of transfer of loan exposures

i) In the case of stressed loans transferred or acquired, the following disclosures should be made:

Details of stressed loans transferred during the year (to be made separately for loans classified as NPA and SMA)			
(all amounts in ₹ crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees (please specify)
No: of accounts	Nil	Nil	Nil
Aggregate principal outstanding of loans transferred	Nil	Nil	Nil
Weighted average residual tenor of the loans transferred	Nil	Nil	Nil
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	Nil	Nil	Nil
Aggregate consideration	Nil	Nil	Nil
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil	Nil
Details of loans acquired during the year			
(all amounts in ₹ crore)	From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs	
Aggregate principal outstanding of loans acquired	Nil	Nil	
Aggregate consideration paid	Nil	Nil	
Weighted average residual tenor of loans acquired	Nil	Nil	

f) Fraud accounts

Banks shall make disclose details on the number and amount of frauds as well as the provisioning thereon as per template given below.

	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
Number of frauds reported	6	2
Amount involved in fraud (₹crore)	1.42	0.04
Amount of provision made for such frauds (₹crore)	0.78	0.00
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹crore)	0	0

* Out of Rs 1.42 crores of amount involved in fraud, Rs 0.64 crores have been recovered and 100% provision is made for the remaining amount.

g) Thefts: Bussapur Branch (Nirmal Region):

Theft occurred at Bussapur Branch (413), Nirmal Region, on 03.07.2022(Sunday) in FY 2022-23 resulting in the loss of Cash balance of Rs 7,22,821/- and theft of gold ornaments of 247 accounts with Gross Weight of 8343 Grams . The banks has estimated the loss of Rs 4,14,75,877/- and accordingly provision has been made. Bank has assessed the Jewellery loss of Rs.3,29,88,211 & Cash Loss of Rs.7,22,821/- and written off the same in the books of account. The excess provision of Rs.77,64,844 is written back to the books of accounts during the year. The bank has credited the saving Bank accounts of the respective borrowers to the tune of Rs.92,53,376/- after adjustment of Jewellery loan outstanding in the books of account to the tune of Rs.2,37,34,836/-.The Bank made a claim of Rs.3,41,02,362/- with National Insurance Company Ltd by submitting required documents. National Insurance Company Limited has made payment of Rs.2,29,69,871/- which is 75% of the net adjusted loss amount sanctioned as per surveyor report. Remaining 25% will be paid by the insurance company after submission of the final investigation report by the police department.

h) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress:

As per RBI Circular No. RBI/2021-22/31 on "Resolution Framework 2.0: Resolution of Covid-19 related stress of Individuals and small business" dated 05.05.2021 the Bank has rescheduled 515 Housing Loan and Tractor Loan accounts amounting to Rs 5633.35 lakh - and created 10% provision of Rs 563.35 lakh during March, 2023, in accordance with the circular guidelines. Out of 515 accounts 40 loan accounts are closed during CFY and 30 accounts with O/s Rs 126.47 lakh are slipped into NPA for which 100% provisions created. Remaining 445 accounts are in Standard with O/s of Rs 4752.28 lakh for which Rs 475.23 lakh provision created as on 31.03.2024.

Format for disclosures to be made for the year ending March, 2024

(₹ in Crores)

Type of borrower	Exposure accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan Position as at the end of the year 31.03.2023 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the year	Of (A) amount written off during the year	Of (A) amount paid by the borrowers during the year	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this year
Personal Loans	5416.40	57.34	0.00	725.09	4633.97
Corporate persons*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Of which MSMEs	216.95	69.13	0.00	29.51	118.31
Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	5633.35	126.47	0.00	754.60	4752.28

*As defined in section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

2) Exposures

a) Exposure to real estate sector

(₹ in Crores)

Category	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
i) Direct exposure		
a) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented. Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances shall be shown separately. Exposure would also include non-fund based (NFB) limits.	2229.11	1734.13
b) Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	1.93	2.76
c) Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -		
i. Residential		
ii. Commercial Real Estate		
ii) Indirect Exposure Fund based and non-fund-based exposures on National Housing Bank and Housing Finance Companies.	Nil	Nil
Total Exposure to Real Estate Sector	2231.04	1736.89



b) Exposure to capital market

(₹ in Crores)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	NIL	NIL
ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	NIL	NIL
iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	NIL	NIL
iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	NIL	NIL
v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	NIL	NIL
vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	NIL	NIL
vii) Bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	NIL	NIL
viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	NIL	NIL
ix) Financing to stockbrokers for margin trading;	NIL	NIL
x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	NIL	NIL
Total exposure to capital market	NIL	NIL

c) Risk category-wise country exposure

(₹ in Crores)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2024	Provision held as on 31.03.2024	Exposure (net) as on 31.03.2024	Provision held as on 31.03.2024
Insignificant	NA	NA	NA	NA
Low	NA	NA	NA	NA
Moderately Low	NA	NA	NA	NA
Moderate	NA	NA	NA	NA
Moderately High	NA	NA	NA	NA
High	NA	NA	NA	NA
Very High	NA	NA	NA	NA
Total	NA	NA	NA	NA

**d) Unsecured advances**

The Bank has classified the credit facilities extended to SHGs as unsecured for the accounts sanctioned upto the limit of Rs 10 lakh and for the accounts above sanction limit of Rs 10 lakh, 75% of the outstanding amount covered under CGFMU Credit Guarantee Funds for Micro Units) is classified as secured and remaining as unsecured

(₹ in Crores)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
Total unsecured advances of the bank	2837.69	3272.90
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	Nil	Nil
Estimated value of such intangible securities	Nil	Nil

e) Factoring exposures

Factoring exposures shall be separately disclosed.

f) Intra-group exposures

The following is the summary of significant related party transactions:

(₹ in Crores)

Particulars	For the year ended 31st March 2024	For the year ended 31st March 2023
Refinance received from State Bank of India	NIL	NIL
Interest paid to SBI	1682.89	146.06
Investments made with:		
SBI - in the form of STDRs	10460.82	10128.46
SBI Fund Management Private Limited	0.00	0.00
Interest received from SBI	5.72	299.91
Profit on sale of Investments on SBI	0.00	0.00
Contributions to Gratuity Fund with SBI Life Insurance Company Limited	1589.12	0.00
Contributions to Group Leave Encashment Policy with SBI Life Insurance Company Limited	0.00	0.00
Contributions to Pension Trust Policy with SBI Life Insurance Company Limited on behalf of Trust	15404.81	8051.90
Current Account Balance with SBI	3341.95	2554.96
Breach of limits on intra-group exposures and regulatory action there on, if any	NIL	NIL

3) Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs**a) Concentration of deposits**

(₹ in Crores)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
Total deposits of the twenty largest depositors	3026.53	2720.23
Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	21.32%	21.57%

**b) Concentration of Advances**

(₹ in Crores)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
Total exposure to the twenty largest borrowers / customers	26.35	23.38
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	0.18%	0.18%

c) Concentration of Exposures

(₹ in Crores)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
Total advances to the twenty largest borrowers/customers	26.35	23.38
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers / customers to the total exposure of the bank on borrowers / customers	0.18%	0.18%

d) Concentration of NPAs

(₹ in Crores)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
Total Exposure to the top twenty NPA accounts	3.10	0.98
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	1.17%	0.37%

4) Derivatives**a) Forward rate agreement/Interest rate swap**

(₹ in Crores)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
i) The notional principal of swap agreements		
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	Not entered into any transactions in derivatives in the current year as on 31.03.2024.	Not entered into any transactions in derivatives in the current year as on 31.03.2023.
iii) Collateral required by the bank upon entering in to swaps		
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps		
v) The fair value of the swap book		

b) Exchange traded interest rate derivatives

S. No.	Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)		
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March, 2024 (instrument wise)	Not entered into any transactions in derivatives in the current and previous years	Not entered into any transactions in derivatives in the current and previous years
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)		
iv)	Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)		

c) **Disclosures on risk exposure in derivatives**i) **Qualitative disclosures**

Bank has not entered into any transactions in derivatives as on 31.03.2024.

ii) **Quantitative disclosures**

Bank has not entered into any transactions in derivatives as on 31.03.2024.

d) **Credit default swaps**

Not Applicable

5) **Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)**

(₹ in Crores)

S.No	Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
i)	Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	25.75	3.68
ii)	Add: Amounts transferred to DEA Fund during the year	33.76	*22.48
iii)	Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	1.33	0.41
iv)	Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	58.18	25.75

* which includes unreconciled credit balances of Rs 154.76 lakh pertaining to erstwhile Grameena banks which got amalgamated and formed as Deccan Grameena Bank (Now Telangana Grameena Bank) are outstanding for more than 10 years and details of which are not available. Hence transferred to DEAF.

6) **Disclosure of complaints**a) **Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman**

S.No	Particulars	2022-23	2023-24
	Complaints received by the bank from its customers		
1.	Number of complaints pending at beginning of the year	0	0
2.	Number of complaints received during the year	103	558
3.	Number of complaints disposed during the year	103	549
3.1	Of which, number of complaints rejected by the bank	0	0
4.	Number of complaints pending at the end of the year	0	9
	Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		
5.	Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	38	32
5.1.	Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	38	32
5.2	Of 5, number of complaints resolved through conciliation / mediation / advisories issued by Office of Ombudsman	0	0
5.3	Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	0	0
6.	Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.



b) Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/decrease in the number of complaints received over the As on 31.03.2023	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
FY 2023-24					
Ground - 1	0	81	2600%	0	0
Ground - 2	0	150	1264%	1	0
Ground - 3	0	67	168%	4	0
Ground - 4	0	0	-100%	0	0
Ground - 5	0	129	2480%	3	0
Others	0	131	126%	1	0
Total	0	558	442%	9	0
FY 2022-23					
Ground - 1	0	3	-73%	0	0
Ground - 2	0	11	-39%	0	0
Ground - 3	0	25	733%	0	0
Ground - 4	0	1	0	0	0
Ground - 5	0	5	66.66%	0	0
Others	0	58	262.50%	0	0
Total	0	103	98.07%	0	0

Ground-1 : ATM/DEBIT CARDS RELATED

Ground-2 : Mobile/Internet/Electronic Banking Related

Ground-3 : Loans and Advances

Ground-4 : Levy of Charges

Ground-5 : UPI Related

Others : Sought for information (Forgot MPIN/Reset of MPIN/ATM Card lost/IFS CODE ENQ etc..)

7. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

S.No	Penalties imposed by the Reserve Bank of India under the provisions of	Penalties
(i)	Banking Regulation Act, 1949	NIL
(ii)	Payment and Settlement Systems Act, 2007	NIL
(iii)	Government Securities Act, 2006 (for bouncing of SGL)	NIL
(iv)	REPO- number of instances of default as well as the quantum of penalty paid to the Reserve Bank of India	NIL



8. Disclosures on remuneration

Particulars of Managerial Remuneration:

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2024	For the year ended 31st March 2023
Smt Y. Sobha, Chairman	37.68	33.05
Sri V. Arvind, Chairman, Relieved to Parent Bank on 1 1.08.22	0.00	17.80
#Sri Satish Kumar General Manager - II Relieved to Parent Bank on 30.06.2022	0.00	12.62
#Sri K Subba Rao-General Manager (Vigilance) Relieved to Parent Bank on 30.06.2022	0.00	15.39
Sri. V. S Mahesh General Manager IT Relieved to Parent Bank on 16.08.2023	18.17	39.34
Smt. K.P. Shobha Rani, General Manager-I	35.26	36.60
Sri K V Prasad, General Manager-III	34.12	35.77
Sri D. Ramesh, General Manager-II	27.45	25.53
Smt Bharati Thayar, General Manager (Vigilance)	29.08	29.76
Sri. T. Chandra Sekhar, General Manager-I	15.78	0.00

*Reimbursement of Remuneration of Sponsor Bank staff up to December, 2023. Not yet claimed for the period from January, 2024 to March, 2024. However, bank has made provision of Rs.1.02 crore for Q4 as on 31.03.2024.

9. Other Disclosures

a) Business Ratios

Particular	As on 31.03.2024	As on 31.03.2024
i) Interest income as a percentage to working Funds	8.81%	8.71%
ii) Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.23%	1.49%
iii) Cost of Deposits	5.51%	4.78%
iv) Net Interest Margin	4.16%	4.66%
v) Operating Profit as a percentage to Working Funds	3.38%	3.70%
vi) Return on Assets	2.42%	2.62%
vii) Business (deposits plus advances) per employee(in crore)	15.71	14.63
viii) Profit per employee (in crore)	0.29	0.26

b) Bancassurance business

The details of fees / brokerage earned in respect of insurance broking, agency and bancassurance business undertaken by them shall be disclosed for both the years as on 31.03.2024 and as on 31.03.2023.

(Amount in ₹ lakh)

2023-24	2022-23
Rs.1175.15 Lakh	Rs. 896.04 Lakh

c) **Marketing and distribution**

Banks shall disclose the details of fees / remuneration received in respect of the marketing and distribution function (excluding bancassurance business) undertaken by them

2023-24	2022-23
Rs. 160.34Lakh	Rs. 186.70 Lakh

d) **Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)**

The bank has sold and purchased following priority sector advances through Priority sector lending certificate (PSLC) in RBI's e-Kuber platform during the year ended 31.03.2024 on various dates.
(Amt in Lakh)

Sale of PSLC			
	Segment	Amount	Premium Earned
	PSLC SM	686500.00	12307.00
	PSLC Agri	40000.00	80.00
	PSLC Micro Enterprise	-	-
	TOTAL	726500.00	12387.00
Purchase of PSLC:			
	Segment	Amount	Premium Paid
	PSLC GENERAL	255000.00	25.50
	PSLC Micro Enterprise	59500.00	91.20
	PSLC A	-	-
	TOTAL	314500.00	116.70

e) **Provisions and contingencies**

(₹ in Crores)

S. No	Provision debited to Profit and Loss Account	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
i.	Provisions for NPI	-	-
ii.	Provision towards NPA	24.51	28.89
iii.	Provision made towards Income tax	178.00	150.52
iv.	Provision for Others	0.00	0.06
v.	Provision on Standard Assets	5.33	4.81
vi.	Provision on Frauds	0.00	0.00
	TOTAL	207.84	183.76



f) **Payment of DICGC Insurance Premium**

(₹ in Crores)

S. No	Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
i.	Payment of DICGC Insurance Premium	14.82	13.65
ii.	Arrears in payment of DICGC Premium	NIL	NIL

g) **Disclosure on amortisation of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks: Nil**

As per our report of even date
for **M. Bhaskara Rao & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No.000459S

For **Telangana Grameena Bank**

Sd/-
M.V. Ramana Murthy
Partner
Membership No206439

Sd/-
Sri. T. Chandra Sekhar
General Manager-I

Sd/-
(Smt. Y. Sobha)
Chairman

**STATEMENT OF CASH FLOWS AS AT THE YEAR ENDED 31st MARCH 2024**

(₹ in 000's)

PARTICULARS		Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
Cash Flows from Operating Activities:	A		
Net Profit before Tax		7086608	5992473
Adjustments for:			
Depreciation on fixed assets		70692	61081
Loss on sales of fixed assets		(21)	156
Provision for Standard assets		53299	48135
Provision for Non performing assets		245099	288895
Amortization of HTM investments		13055	13820
Less:			
Deferred Tax Asset Adjustment		0	1220
Operating profit before working capital changes(subtotal of A)		7468732	6405781
Working Capital Changes:			
Increase / (Decrease) in Deposits		15844860	15705397
Increase / (Decrease) in Borrowings		12899204	11555031
Increase / (Decrease) in Liabilities and Provisions		723909	639954
(Increase) / Decrease in Advances		(19766852)	(16588884)
(Increase) / Decrease In Investment		1102170	3086836
(Increase) / Decrease in Other Assets		(358678)	1053249
Cash generated from Operations		17913344	21857364
Less: Income Tax Paid		(1858712)	(1624945)
Net cash from Operating Activities		16054632	20232419
Cash Flows from Investing Activities:	B		
Purchase of fixed assets		(84595)	(79088)
Depreciation on fixed assets		457	(144338)
Net cash from Investing Activities(subtotal of B)		(84138)	(223426)
Cash Flows from Financing Activities:	C		
Net cash from Investing Activities(subtotal of C)		0	0
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)		15970494	20008993
Opening cash and cash equivalents		43372947	23363954
Closing cash and cash equivalents		59343441	43372497
Note on Closing cash and cash equivalents			
i) Cash on hand		469552	606675
ii) Balances with Reserve Bank of India & other Banks		5427321	4793426
iii) Term Deposit		53446568	37972846
Total		59343441	43372947

As per our Report of even date
for **M. Bhaskara Rao & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000459S

For Telangana Grameena Bank

Sd/-
M.V.Ramana Murthy
Partner
Membership No. 206439

Sd/-
T. Chandra Sekhar
General Manager-I

Sd/-
Y. Sobha
Chairman

Date: 30.04.2024
Place: Hyderabad

प्रेषण पत्र

दिनांक : 30.04.2024

सेवा में
सचिव,
वित्तीय सेवाएं विभाग,
वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली.

प्रिय महोदय,

19वीं वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

तेलंगाना ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 20 के प्रावधानों के अनुसरण में, मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रेषित कर रही हूँ.

- ❖ 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान बैंक के कार्यकलापों और गतिविधियों के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट.
- ❖ 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि लेखे की प्रति.
- ❖ 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए बैंक के लेखों के संबंध में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की प्रति.

भवदीय,



(वाई. शोभा)

अध्यक्ष

विज्ञान, मिशन और मूल्य

विज्ञान

तेलंगाना राज्य में बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में तकनीकी रूप से उन्नत, प्रतिबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने वाला एक प्रमुख क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनना और ग्रामीण विकास के लिए सबसे विश्वसनीय बैंक बनना.

मिशन

"100% वित्तीय समावेशन, ग्रामीण ग्राहकों के सशक्तिकरण, महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) आंदोलन के संवर्धन और स्वस्थ व्यापार मिश्रण के माध्यम से निरंतर लाभ अर्जित करते हुए अपने ग्राहकों को उनके द्वार पर ही समुचित लागत पर पारदर्शी और कुशल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना और इस प्रकार हमारे परिचालन क्षेत्र में एक अग्रणी बैंक बनना"

मूल्य

- ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्धता
- पारदर्शिता
- ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता
- टीम भावना

क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय

तेलंगाना में क्षेत्र :

आदिलाबाद

क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय,
सरस्वती भवन, निकट गांधी पार्क,
आदिलाबाद - 504 002
rmadb@tgbhyd.in

निजामाबाद

क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय,
म नं. 6-2-196,
निकट जिला परिषद,
सुभाष नगर, निजामाबाद-503 002
rmnzb@tgbhyd.in

मंचिर्याल

क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय,
म.नं. 4-56,
जन्मभूमि नगर, मंचिर्याल
rmmucl@tgbhyd.in

जगित्याल

क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय,
म.नं. 3-6-92, करीमनगर रोड,
बॉम्बे क्लॉथ शोरूम के सामने,
जगित्याल टाउन, जगित्याल जिला- 505327
rmjgl@tgbhyd.in

करीमनगर

क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय,
म नं.2-8-128, वार्ड नं. 2,
निकट सेवन हिल्स, मुक्रमपुरा,
करीमनगर - 505 002
टेली: 0878 - 2249275
rmknr@tgbhyd.in

हैदराबाद-I

क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय,
म.नं.9-27/1,
ललितानगर, दिलसुखनगर, हैदराबाद - 500 060
rmhyd@tgbhyd.in

हैदराबाद-II

क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय,
म.नं.2-1-520, तीसरी मंजिल,
स्ट्रीट नं.9, शंकरमठ रोड,
नल्लाकुंटा, हैदराबाद - 500 044
rmhyd2@tgbhyd.in

निर्मल

क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय,
म.नं. 8-1-83/2, शान्तिनगर रोड,
विनायक नगर, निर्मल - 504106
rmnirmal@tgbhyd.in

निदेशक मंडल

31-03-2024 तक की स्थिति के अनुसार



श्रीमती वाई शोभा

अध्यक्ष

(महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक से प्रतिनियुक्ति पर)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1)(ए) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के नामिती निदेशक



रिक्त



रिक्त

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1)(बी) के अंतर्गत आरबीआई के नामिती निदेशक



श्री उमेश रामलिंग स्वामी

सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
हैदराबाद.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1)(सी) के अंतर्गत नाबार्ड के नामिती निदेशक



श्रीमती शिवा तुलसी देवता

उप महाप्रबंधक, नाबार्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, तेलंगाना राज्य,
हैदराबाद.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1)(डी) के अंतर्गत प्राचोजक बैंक के नामिती निदेशक



श्री वी शिव कुमार
महाप्रबंधक (आरआरबी)
भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई



श्री बिनोद कुमार सिन्हा
उप महाप्रबंधक (एबीयू-जीएसएस)
भारतीय स्टेट बैंक,
एलएचओ, हैदराबाद

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1)(ई) के अंतर्गत राज्य सरकार के नामिती निदेशक



श्री राई रवि
अतिरिक्त सचिव, वित्त विभाग,
तेलंगाना सरकार



डॉ. बी गोपी, आईएस
कृषि आयुक्त,
तेलंगाना सरकार

शीर्ष प्रबंधन



श्रीमती वाई शोभा
अध्यक्ष



श्री चंद्रशेखर
महाप्रबंधक-I



श्री डी रमेश
महाप्रबंधक-II



श्री के वी प्रसाद
महाप्रबंधक-III



श्रीमती टी भारती तायार
महाप्रबंधक (सतर्कता)



श्री के पी शोभा रानी
महाप्रबंधक (आईटी)

क्षेत्रीय प्रबंधक

श्री जी वेंकटराम रेड्डी
क्षेत्रीय प्रबंधक
आदिलाबाद

श्री डी प्रभुदास
क्षेत्रीय प्रबंधक
करीमनगर

श्री पी नवीन कुमार
क्षेत्रीय प्रबंधक
निज़ामाबाद

श्री सय्यद यूसुफ
क्षेत्रीय प्रबंधक
हैदराबाद-I

श्री टी मुरलीमनोहर राव
क्षेत्रीय प्रबंधक
मंचिर्याल

श्री बी बालनागु
क्षेत्रीय प्रबंधक
हैदराबाद-II

श्री सुशांत कुमार
क्षेत्रीय प्रबंधक
जगित्याल

श्री डीवीएस रामा राव
क्षेत्रीय प्रबंधक
निर्मल

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

मेसर्स एम. भास्कर राव एण्ड कं.,
हैदराबाद

हमारे मार्गदर्शक



श्री दिनेश कुमार खारा

अध्यक्ष
भारतीय स्टेट बैंक
कार्पोरेट केंद्र, मुंबई



श्री विनय एम टोनसे

प्रबंध निदेशक
भारतीय स्टेट बैंक



श्री देबांगशु मुंशी

मुख्य महाप्रबंधक, (ए एण्ड एस)
भारतीय स्टेट बैंक, कार्पोरेट केंद्र, मुंबई

हमारे विनियामक और पर्यवेक्षक



श्रीमती के. निखिला

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद



श्रीमती सुसीला चिंतला

मुख्य महाप्रबंधक
नाबार्ड, टीएसआरओ, हैदराबाद

बैंक का कार्यनिष्पादन एक झलक में 2023-24

I. मुख्य बातें	(₹ करोड़ में)	
	31st मार्च 2024	31st मार्च 2023
शाखाएं*	429	427
जमाराशियां	14194.81	12610.33
अग्रिम राशियां	14840.69	12893.00
कुल व्यवसाय	29035.50	25503.33
सकल लाभ	708.66	599.25
सकल अनर्जक आस्तियां	264.68	263.83
संकलित अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियां	1.78%	2.05%
संकलित अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां	0.00%	0.00%
जमाराशियों की औसत लागत	5.51	4.78%
अग्रिमों पर औसत प्रतिफल	9.93	10.01%
निवेशों पर औसत प्रतिलाभ	7.84%	6.90%
कृषि घटक के अंतर्गत अग्रिम	9223.56	64.63%
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम	79.60%	78.81%
ऋण जमा अनुपात	104.55%	102.24%
स्वाधिकृत निधियां	2513.12	1984.05
उत्पादकता		
क) प्रति शाखा	67.68	59.73
ख) प्रति कर्मचारी	15.71	14.63
आस्तियों पर प्रतिलाभ	2.42%	2.62%
इक्विटी पर प्रतिलाभ	23.41%	25.48%
प्रति कर्मचारी निवल लाभ	0.29	0.26
निवल ब्याज मार्जिन	4.16%	4.66%
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	20.18%	17.20%
प्रावधान कवरेज अनुपात	100%	100.00%
निधियों की लागत	4.83%	4.25%



अध्यक्ष की रिपोर्ट

तेलंगाना ग्रामीण तेलंगाना ग्रामीण बैंक की वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट उसके वित्तीय विवरणों के साथ प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने ₹ 29,035.50 करोड़ का व्यापार स्तर दर्ज किया और गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के ₹ 25,503.33 करोड़ की तुलना में 13.85% यानी ₹ 3,532.17 करोड़ की शुद्ध वृद्धि प्राप्त की।

बैंक की कुल जमा राशियाँ 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ₹ 1,584.48 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर ₹ 14,194.81 करोड़ की हो गई जबकि 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार ये ₹ 12,610.33 करोड़ थीं। चालू खाता बचत खाता जमा राशियाँ ₹ 854.23 करोड़ की वृद्धि के साथ 19.92% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ₹ 5,142.04 करोड़ तक पहुंच गई जबकि 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार ये ₹ 4,287.81 करोड़ थीं।

बैंक की अग्रिम राशियाँ 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार 15.11% की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर ₹ 14,840.69 करोड़ की हो गई जबकि 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार ये ₹ 12,893.00 करोड़ की थीं। निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) जो 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार 4.66% था वह संपूर्ण उद्योग में निधियों की लागत में वृद्धि के कारण घटकर 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार 4.16% हो गया।

मुझे आपके साथ यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 18.26% की वृद्धि के साथ ₹ 708.66 करोड़ का सकल लाभ अर्जित किया।

बैंक रहित और अल्प बैंकिंग सुविधाओं वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के प्राथमिक उद्देश्य के अनुरूप, टीजीबी ने ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों के आधुनिकीकरण के लिए लघु और सीमांत किसानों, समाज के कमजोर वर्गों को, विशेष रूप से व्यक्तिगत परिवारों की आय में सुधार लाने के लिए ऋण प्रदान किया। फसली ऋण, स्वयं सहायता समूह ऋण, आवास ऋण और आभूषण ऋण इस वित्तीय वर्ष के दौरान भी केन्द्र में रहे।

महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए हमने बैंक के कुल उधारकर्ताओं में से 12.87 लाख महिला उधारकर्ताओं को वित्तपोषित किया जो कि बैंक के कुल उधारकर्ताओं का 74.51% बनता है। विशेष रूप से एसएचजी घटक की बात करें तो, बैंक ने तेलंगाना के 18 जिलों में 9,25,352 महिला लाभार्थियों को शामिल करते हुए कुल 76,709 स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषित किया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण वितरण 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार 12.15% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 11,395.61 करोड़ रहा, जबकि 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार यह ₹ 10,160.90 करोड़ था। यह अधिदेशित 75% से भी 1.79% अधिक है।

गुणवत्ता में सुधार, मानकीकरण और ऋण की त्वरित डिलीवरी सुगम बनाने के लिए हमने बैंक भर में 31 आस्ति प्रबंधन हब स्थापित किए हैं और यह सुनिश्चित किया है कि शाखाएं विभिन्न उत्पादों के लिए विपणन हब बनी रहें। त्वरित डिलीवरी और कुशल ग्राहक सेवा को बनाए रखने के लिए हमने



केसीसी, आभूषक ऋण और कम मूल्य की सरकार प्रायोजित योजनाओं की मंजूरी को शाखाओं में ही बनाए रखा है। हमने गुणवत्तापूर्ण ऋण डिलीवरी को सुनिश्चित करने के लिए आस्ति प्रबंधन हबों में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया।

बैंक का आवास ऋण पोर्टफोलियो वित्तीय वर्ष 2022-23 के ₹ 1,608.62 करोड़ से बढ़कर 25.77% की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹ 414.50 करोड़ की शुद्ध वृद्धि के साथ ₹ 2,023.12 करोड़ का हो गया।

आभूषण ऋण (वैयक्तिक स्वर्ण ऋण) वित्तीय वर्ष 2022-23 के ₹ 1,392.39 करोड़ से बढ़कर 20.11% की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹ 280.07 करोड़ की शुद्ध वृद्धि के साथ ₹ 1,672.46 करोड़ के हो गए।

आपके साथ पुनः यह साझा करते हुए मुझे और भी खुशी हो रही है कि, स्टाफ सदस्यों के सतत प्रयासों के चलते बैंक अपनी अनर्जक आस्तियों को कम कर सका यथा 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार जो अनर्जक आस्तियों कुल अग्रिमों का 2.05% थीं वो घटकर 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार कुल अग्रिमों का 1.78% हो गई। शुद्ध अंकों में देखा जाए तो अनर्जक आस्तियों में मामूली सी वृद्धि हुई है यथा 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार जो अनर्जक आस्तियां ₹ 263.83 करोड़ की थीं वो बढ़कर 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ₹ 264.68 करोड़ की हो गई, अर्थात् इनमें ₹ 0.85 करोड़ की वृद्धि हुई, यद्यपि टीजीबी ने अपने अग्रिम पोर्टफोलियो में ₹ 1,947.69 करोड़ की वृद्धि दर्ज की है। लगातार दूसरे वर्ष भी निवल अनर्जक आस्तियों को 0.00% पर बनाए रखा गया है, बैंक ने अपनी अनर्जक आस्तियों को कम से कम रखने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्रित दृष्टिकोण और उपयुक्त रणनीतियों को अपनाया।

जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) गत वर्ष 2022-23 के 17.20% की तुलना में 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार 20.18% रहा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 9% का सीआरएआर बनाए रखना अनिवार्य होता है। यह मौलिक रूप में बैंक की मजबूती को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक का प्रति शाखा कारोबार बढ़कर ₹ 67.68 करोड़ हो गया जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह ₹ 59.73 करोड़ था। प्रति कर्मचारी कारोबार भी बढ़ा है जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के ₹ 14.63 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 7.4% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 15.71 करोड़ हो गया।

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार बैंक की जमा राशियों की लागत 5.51% रही। निवल ब्याज मार्जिन को 5.00% रखने के एमओयू लक्ष्य के

समक्ष 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार बैंक का निवल ब्याज मार्जिन 4.16% रहा। प्रावधान कवरेज अनुपात को 70% से अधिक रखने के एमओयू लक्ष्य के समक्ष 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 100% बनाए रखा गया। 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार बैंक की निधियों की लागत 4.83% रही जबकि 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार यह 4.25% थी।

बैंक ने 5,643 वित्तीय और डिजिटल साक्षरता शिविरों और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन किया ताकि बैंक के ग्राहकों को नकदीरहित लेनदेनों के लाभों और डिजिटल लेनदेन करते समय अपने स्तर पर किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक किया जा सके। डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर 90% पात्र लेनदेनों के चलते, एफडीएलसी बैठकों का नियमित संचालन अनिवार्य हो जाता है, ताकि ग्राहकों को, हो रही प्रगति के संबंध में अपडेट किया जा सके। आयोजित कुल 5,643 एफडीएलसी और एफएलसी बैठकों में से, 4,299 बैठकें ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में और 1,344 बैठकें शहरी और मेट्रो केंद्रों में आयोजित की गईं। डिजिटल लेनदेनों में इस अंतरण से ग्राहकों के साथ-साथ बैंक के समय और लागत की भी बचत होती है।

हमने वर्ष 2023-24 के दौरान अपने ऋण जमा अनुपात में 104.55% तक का सुधार किया है जो वर्ष 2022-23 के दौरान 102.24% था। यह तेलंगाना राज्य के ऋण जमा अनुपात के अनुरूप है।

बैंक जिस नेटवर्क पर कार्य कर रहा है उसकी सुरक्षा में सुधार करने के साथ-साथ हमने आईटी उत्पादों और सेवाओं में लगातार नवोन्मेषण करते रहने और उन्हें कार्यान्वित करने और सेवाएं प्रदान करने हेतु स्वयं को प्रतिबद्ध कर रखा है। आपको यह सूचित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है कि बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान अनेक आईटी पहलों की शुरुआत की है।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित डिजिटल उत्पाद लॉन्च किए हैं

- आधार ओटीपी के माध्यम से यूपीआई ऑनबोर्डिंग।
- यूपीआई अंतःप्रचालनीय कार्ड रहित नकदी आहरण
- वॉट्सएप बैंकिंग
- खाता समूहक
- टीजीबी पॉजिटिव पे एप्लिकेशन

मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में जोड़ी गई सेवाएं

- ई-सेवाएं : सामाजिक सुरक्षा योजनाओं - पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, एपीवाई के लिए ऑनलाइन पंजीकरण।



- ई-जमाराशियां : सावधि और आवर्ती जमाराशी खाते खोलने और चलाने के लिए.

बैंक को अपनी आईटी पहलों में कार्यनिष्पादन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 19वें बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कारों में आईबीए से चार पुरस्कार प्राप्त हुए:

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में उत्कृष्ट एआई और एमएल बैंक श्रेणी में विजेता.
- सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी वाले बैंक की श्रेणी में उप-विजेता.
- उत्कृष्ट फिनटेक और डीपीआई अडॉप्शन में उप-विजेता.
- सर्वश्रेष्ठ डिजिटल जुड़ाव श्रेणी में विशेष पुरस्कार.

हमने डीएफएस के 22 प्रदेशों में से 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार 21 प्रदेशों को कार्यान्वित किया है और शेष एक पहल यथा संपर्करहित डेबिट कार्ड को मई 2024 में कार्यान्वित किया है. साथ ही, हमने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आईटी की 50 इन-हाउस पहलों को विकसित किया और सभी को कार्यान्वित किया है.

आगे बढ़ते हुए, हम ग्राहकों और स्टाफ सदस्यों के हितों की विधिवत रक्षा करते हुए टीजीबी को एक विनियामक सम्मत, साइबर सुरक्षित और जोखिम शामक बैंक बनाने के लिए अथक प्रयासरत हैं. हमने समुचित समितियां गठित की हैं, विभिन्न दिशाओं में जनशक्ति को प्रशिक्षित किया है और अपेक्षित बुनियादी ढांचों की व्यवस्था कर रहे हैं.


हमने एकांतिक रूप से नियमित स्वयं सहायता समूह महिला सदस्यों को छोटे कारोबार और स्व-रोजगार जैसी गतिविधियां शुरू करने के लिए टीएमएमवाई (टीजीबी महिला मुद्रा योजना) और टीएमयूवाई (टीजीबी महिला उन्नति योजना) के तहत दो नई योजनाएं शुरू की हैं. हमने टीजीबी बिजनेस लोन नाम से छोटे व्यावसायिक ऋणों के लिए एक एंड टू एंड डिजिटल उत्पाद लॉन्च किया है. हमने तेलंगाना के कुछ जिलों में जल की प्रचुरता को दृष्टि में रखते हुए तेलंगाना राज्य में मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अपों के साथ सहमति ज्ञापन भी निष्पादित किया है. मैं, आपको आश्चर्य करती हूँ कि तेलंगाना के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की इस प्रक्रिया में टीजीबी नई ऊंचाइयों को छुएगा.

मैं, हमारे सभी ग्राहकों और हमारे प्रायोजक बैंक, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारा समर्थन किया और हमें अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया.

मैं, निदेशक मंडल की बैठकों के दौरान अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन, अंतर्दृष्टियों और समर्थन प्रदान करने के लिए हमारे निदेशक मंडल की आभारी और कृतज्ञ हूँ.

मैं अपने सभी स्टाफ सदस्यों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, उन्होंने वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास किए, पूरे समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ हर स्तर पर मेरा समर्थन किया. मैं प्रत्येक स्टाफ सदस्य को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अपनी सराहनाएं अर्पित करती हूँ.

वाई. शोभा


(अध्यक्ष)



प्रमुख कार्यनिष्पादक संकेतक

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24
अ	प्रमुख निष्पादन संकेतक :			
1	शामिल जिलों की संख्या	18	18	18
2	शाखाओं की संख्या	426	427	429
क)	ग्रामीण	315	315	318
ख)	अर्ध-शहरी	68	69	68
ग)	शहरी	31	31	31
घ)	महानगरीय	12	12	12
	अति लघु शाखाएँ	596	596	690
3	कुल कर्मचारी (प्रायोजक बैंक के कर्मचारियों को छोड़कर)	1680	1743	1484
	इनमें से अधिकारी	1070	1104	1180
4	जमा राशियाँ	11039.79	12610.33	14194.81
	वृद्धि %	9.21	14.23	12.56
5	बकाया उधार राशियाँ	4011.55	5167.05	6456.97
	वृद्धि %	1.96	28.80	24.96
6	बकाया सकल ऋण और अग्रिम	11272.87	12893.00	14840.69
	वृद्धि %	11.57	14.37	15.11
	उपर्युक्त 6 में से, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण	9165.27	10160.90	11395.61
	उपर्युक्त 6 में से, गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण	2107.61	2732.10	3445.09
	उपर्युक्त 6 में से, अजा/ अजना को ऋण	2172.56	3122.21	3593.27
	उपर्युक्त 6 में से, लघु / सीमांत किसानों / कृषि श्रमिकों को ऋण	4378.69	7177.34	7943.33
	उपर्युक्त 6 में से, अल्पसंख्यकों को ऋण	615.73	706.54	742.03
7	ऋण जमा अनुपात %	102.11	102.24	104.55
8	बकाया निवेश	2994.58	2572.49	2382.82
	बकाया एसएलआर निवेश	2919.57	2512.67	2368.82
	बकाया गैर-एलएलआर निवेश (टीडीआरएस सहित)	1928.29	3857.11	5359.66
आ	औसत:			
9	औसत जमा राशियाँ	10377.14	11015.35	13453.73
	वृद्धि %	7.04	6.15	22.13
10	औसत उधार राशियाँ	4031.02	4189.89	5911.15
	वृद्धि %	-3.53	3.94	29.11
11	औसत सकल ऋण और अग्रिम	10374.11	11779.73	13775.94
	वृद्धि %	15.10	13.54	15.44
12	औसत निवेश	4725.34	4641.16	7120.92
	वृद्धि %	-8.44	-1.78	53.42
	औसत एसएलआर निवेश	2998.61	2630.89	2417.17
	औसत जमा राशियों के % के रूप में	28.90	23.88	17.96
	औसत गैर-एसएलआर निवेश	1726.73	2010.27	4703.75
	औसत जमा राशियों के % के रूप में	16.64	18.25	34.96
13	औसत कार्यशील निधियाँ	15957.62	17127.39	21859.29



क्रम सं.	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24
इ	वर्ष के दौरान जारी ऋण:			
14	वर्ष के दौरान जारी ऋण :	7556.45	9847.73	11639.23
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि %	4.89	30.32	18.19
	उपर्युक्त 14 में से, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण	5528.76	6376.04	7688.65
	उपर्युक्त 14 में से, गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण	2027.70	3327.40	3950.58
	उपर्युक्त 14 में से, अजा / अजजा को ऋण	2146.53	2383.86	2099.58
	उपर्युक्त 14 में से, लघु / सीमांत किसानों / कृषि श्रमिकों को ऋण	4053.00	4799.55	9223.56
	उपर्युक्त 14 में से, अल्पसंख्यकों को ऋण	449.61	539.65	581.96
ई	उत्पादकता			
15	प्रति शाखा	52.38	59.73	67.68
	प्रति कर्मचारी	13.28	14.63	15.71
	लाभ प्रति कर्मचारी (सकल)	0.29	0.34	0.29
उ	वसूली निष्पादन :			
16	कुल			
	माँग	7629.65	8719.24	10007.58
	वसूली	5860.29	6739.39	8094.29
	अतिदेय	1769.36	1979.84	1913.29
	वसूली % (जून की स्थिति)	76.81	77.29	80.88
17	कृषि क्षेत्र			
	माँग	7204.11	8249.85	9595.40
	वसूली	5479.41	6315.14	7713.29
	अतिदेय	1724.70	1934.71	1882.10
	वसूली % (जून की स्थिति)	76.06	75.55	80.39
18	कृषीतर क्षेत्र			
	माँग	425.54	469.38	412.18
	वसूली	380.88	424.26	381.00
	अतिदेय	44.66	45.13	31.18
	वसूली % (जून की स्थिति)	89.51	90.39	92.43
ऊ	आस्ति वर्गीकरण :			
19	क) मानक	11003.99	12629.17	14576.02
	ख) अवमानक	121.58	114.20	116.91
	ग) संदिग्ध	138.63	145.77	143.90
	घ) हानि	8.68	3.86	3.87
	कुल	11272.87	12893.00	14840.69
20	बकाया सकल ऋणों और अग्रिमों के % के रूप में आस्तियाँ	97.61	97.95	98.22




क्रम सं.	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24
ए	लाभप्रदता विश्लेषण:			
21	निम्नलिखित पर प्रदत्त ब्याज			
क)	जमा राशियों पर	485.68	526.88	740.86
ख)	उधार राशियों पर	177.34	200.31	315.50
22	वेतन और भत्ते	224.59	261.04	306.17
23	अन्य परिचालन व्यय	103.46	125.87	93.93
24	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान			
क)	अनर्जक आस्तियों के समक्ष	71.81	28.89	24.51
ख)	अन्य प्रावधान	73.85	33.84	5.33
ग)	परिशोधन	1.76	1.38	1.31
25	निम्नलिखित पर प्राप्त ब्याज			
क)	ऋणों और अग्रिमों पर	1046.96	1173.46	1368.13
ख)	एसएलआर निवेश/अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/गैर-एसएलआर/मांग पर प्रतिदेय राशि/ अन्य बैंकों में टीडीआर	307.31	320.27	558.19
26	विविध आय	274.34	254.76	269.95
27	हानि/ लाभ	491.87	599.25	708.66
ऐ	अन्य सूचना			
28	प्राप्त शेयर पूँजी जमा राशियाँ	0.00	0.00	0.00
29	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम			
क)	निपटाए गए संचयी दावे	0.00	0.00	0.00
ख)	प्राप्त किंतु समायोजन लंबित दावे	0.00	0.00	0.00
ग)	निगम में लंबित दावे	0.00	0.00	0.00
30	संचयी प्रावधान	309.99	309.76	315.93
क)	अनर्जक आस्तियों के समक्ष	268.89	263.83	264.68
	मानक आस्तियों के समक्ष	37.70	42.52	47.85
ख)	अमूर्त आस्तियाँ, धोखाधड़ियाँ आदि के समक्ष	3.40	3.40	3.40
31	अमान्य ब्याज			
क)	वर्ष के दौरान	0.00	0.00	0.00
ख)	संचयी	0.00	0.00	0.00
32	वर्ष के दौरान भट्टे खाते डाले गए ऋण			
क)	खार्तों की संख्या	860	9860	4749
ख)	राशि	7.30	29.15	22.45
33	आरक्षित निधियाँ और अधिशेष			
क)	आरक्षित निधियाँ	366.42	464.69	583.31
ख)	लाभ और हानि लेखे में शेष राशि	1150.19	1501.28	1911.74




जमाराशियाँ (रुपये करोड़ में)




अग्रिम (रुपये करोड़ में)




व्यवसाय (रुपये करोड़ में)




प्रति कर्मचारी व्यवसाय (रुपये करोड़ में)




निवल लाभ (रुपये करोड़ में)




प्रति कर्मचारी निवल लाभ (रुपये लाख में)



प्रति शाखा व्यवसाय (रुपये करोड़ में)



प्रति शाखा निवल लाभ (रुपये लाख में)



वर्ष 2023-24 के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट

वर्ष 2023-24 के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट हमें तेलंगाना ग्रामीण बैंक की 19वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखाओं का लेखा-परीक्षित विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और बैंक के व्यवसाय एवं परिचालनों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

बैंक की उत्पत्ति:

तेलंगाना ग्रामीण बैंक की स्थापना 24 मार्च 2006 को स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद द्वारा प्रायोजित चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन से डेक्कन ग्रामीण बैंक के नाम से की गई थी।

बैंक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार 429 शाखाओं के नेटवर्क के साथ तेलंगाना राज्य के 18 जिलों (पहले के पाँच जिले यथा आदिलाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद) में परिचालन रत है।

भारत सरकार ने दिनांक 20.10.2014 की अपनी अधिसूचना द्वारा बैंक के नाम को डेक्कन ग्रामीण बैंक से तेलंगाना ग्रामीण बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया है। दिनांक 01.04.2017 से प्रयोजक बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

व्यवसाय समीक्षा:

बैंक का व्यवसाय 31 मार्च 2023 की तुलना में 13.85% की वृद्धि की दर और ₹ 3,532.17 करोड़ की शुद्ध वृद्धि के साथ 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार ₹ 29,035.50 करोड़ तक पहुँच गया। इसमें 48.89% का योगदान जमा राशियों का था जो ₹ 1,584.48 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 14,194.81 करोड़ के स्तर तक पहुँच गई और शेष 51.11% का योगदान अग्रिमों का रहा जो ₹ 1,947.61 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 14,840.69 करोड़ के स्तर पर पहुँच गए।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2023-24	वृद्धि	% वृद्धि
जमा राशियाँ	12610.33	14194.81	1584.48	12.56
अग्रिम	12893.00	14840.69	1947.69	15.11
कुल	25503.33	29035.50	3532.17	13.85

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 18.26% की वृद्धि दर के साथ ₹ 708.66 करोड़ का सकल लाभ अर्जित किया है जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यह ₹ 599.25 करोड़ था। ब्याज आय ₹ 109.41 करोड़ बढ़ गई।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2023-24	% वृद्धि
ब्याज आय	1492.35	1925.02	28.99
ब्याज व्यय	727.18	1056.36	45.27
गैर-ब्याज आय	254.76	269.95	5.96
गैर-ब्याज व्यय	386.91	400.11	3.41
प्रावधान और आकस्मिकताएँ	33.77	29.84	-11.64
परिचालन लाभ	599.25	708.66	18.87
आस्थगित कर देयता/आस्थगित कर आस्ति	0.12	-1.58	18.67
कर व्यय	150.00	178.00	17.74
निवल लाभ	449.37	529.08	28.99

निवल ब्याज आय:

वर्ष के दौरान अर्जित कुल ब्याज आय ₹ 1925.02 करोड़ रही जबकि कुल ब्याज व्यय ₹ 1056.36 करोड़ रहा। वर्ष के दौरान निवल ब्याज आय 13.25% (₹ 103.49 करोड़) की वृद्धि दर से बढ़कर ₹ 868.65 करोड़ हो गई जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह ₹ 765.16 करोड़ थी।

ब्याज व्यय:

- जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज ₹ 740.86 (वित्तीय वर्ष 2023-24) करोड़ का रहा जबकि गत वर्ष यह ₹ 526.88 (वित्तीय वर्ष 2022-23) करोड़ था।
- बैंक ने उधार राशियों (नाबार्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक, मुद्रा इत्यादि से पुनर्वित्त) पर ब्याज के रूप में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 115.19 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 315.50 करोड़ का भुगतान किया जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान यह ₹ 115.19 करोड़ था।

परिचालन व्यय:

- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान परिचालन व्यय ₹ 13.20 करोड़ बढ़कर ₹ 400.11 करोड़ हो गया जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह ₹ 386.91 करोड़ था।

ब्याज आय:

- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 432.67 करोड़ की (28.99% की दर से) शुद्ध वृद्धि के साथ ब्याज आय बढ़कर ₹ 1925.02 करोड़ हो गई जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान यह ₹ 1492.35 करोड़ थी।



- बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में ऋण और अप्रिमों से ₹ 1368.13 करोड़ की ब्याज आय अर्जित की जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹ 1173.46 करोड़ की ब्याज आय अर्जित की थी. इसमें ₹ 194.67 करोड़ की (16.58% की दर से) वृद्धि हुई
- निवेशों से प्राप्त ब्याज आय वर्ष 2023-24 में ₹ 238 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 556.89 करोड़ तक पहुंच गई जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह ₹ 318.89 करोड़ थी.

अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान:

बैंक न वर्ष 2023-24 के दौरान अनर्जक आस्तियों पर ₹ 24.51 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे अनर्जक आस्तियों पर उपलब्ध कुल प्रावधान बढ़कर ₹ 264.68 करोड़ हो गया (इसमें मानक आस्तियों पर ₹ 47.85 करोड़ का संचयी प्रावधान शामिल नहीं है).

(₹ करोड़ में)

आस्तियाँ	2022-23		2023-24	
	बकाया	प्रावधान	बकाया	प्रावधान
मानक	12629.17	42.52	14576.01	47.85
अवमानक	114.19	114.19	116.91	116.91
अशोध और संदिग्ध	145.78	145.78	143.90	143.90
हानि	3.86	3.86	3.87	3.87
कुल	12893.00	306.59	14840.69	312.53

शेयर पूंजी और प्रदत्त पूंजी:

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2015, 2015 की सं. 14 दिनांक 12/05/2015 के अनुसार, बैंक की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹ 2,000 करोड़ है. बैंक की अभिदत्त प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 18.07 करोड़ (₹ 10/- प्रति शेयर के 1,80,72,295 इक्विटी शेयर) है जिसमें भारत सरकार, प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 50:35:15 के अनुपात में अंशदान दिया गया.

(₹ करोड़ में)

शेयर धारक	प्रदत्त पूंजी
भारत सरकार	903.62
तेलंगाना सरकार	271.08
भारतीय स्टेट बैंक	632.53
कुल	1807.23

आरक्षित निधियाँ और अधिशेष:

इस वर्ष के दौरान ₹ 529.08 करोड़ का निवल लाभ (कर पश्चात्) अर्जित किया गया, जिसमें से ₹ 105.82 करोड़ की राशि को सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरित किया गया, ₹ 12.80 करोड़ की राशि को विशेष आरक्षित निधि में अंतरित किया गया और ₹ 410.46 करोड़ की राशि को लाभ और हानि लेखों में आगे ले जाया गया.

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति की स्थिति के अनुसार कुल आरक्षित निधियाँ और अधिशेष निधियाँ 26.91% की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर ₹ 2495.05 करोड़ हो गई जबकि गत वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति की स्थिति के अनुसार ये ₹ 1965.97 करोड़ थीं.

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2024
शेयर पूंजी	18.07	18.07
शेयर पूंजी जमा	0.00	0.00
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	1965.98	2495.05
कुल	1984.05	2513.25

जमाराशियाँ:

जमाराशियों में मार्च 2023 के स्तर की तुलना में 12.56% की वृद्धि दर के साथ ₹ 1584.48 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई. 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कुल जमाराशियाँ ₹ 14194.81 करोड़ की रहीं जबकि 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार ये ₹ 12610.33 करोड़ की थीं.

जमा सम्पिन्न:

चालू खाता बचत खाता (कासा) जमाराशियाँ 19.92% की दर से ₹ 854.23 करोड़ बढ़कर 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ₹ 5142.04 करोड़ तक पहुँच गई जबकि 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार ये ₹ 4287.81 करोड़ की थीं. मीयादी जमाराशियों में 8.77% की दर से ₹ 730.25 करोड़ की वृद्धि हुई और 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ये जमाराशियाँ ₹ 9052.77 करोड़ तक पहुँच गई जबकि 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार ये ₹ 8322.52 करोड़ की थीं.

(₹ करोड़ में)

जमा सम्पिन्न	2022-23	2023-24
चालू खाता	118.83	148.69
वृद्धि	13.84	29.86
वृद्धि प्रतिशत %	13.18	25.12
बचत बैंक खाता	4168.98	4993.35
वृद्धि	-33.26	824.37
वृद्धि प्रतिशत %	-0.79	19.77
कुल चालू खाता बचत खाता	4287.81	5142.04
वृद्धि	-19.42	854.23
वृद्धि प्रतिशत %	-0.45	19.92
मीयादी जमाराशियाँ	8322.52	9052.77
वृद्धि	1589.96	730.25
वृद्धि प्रतिशत %	23.62	8.77
कुल जमाराशियाँ	12610.33	14194.81
वृद्धि	1570.54	1584.48
वृद्धि प्रतिशत %	14.23	12.56

उधार राशियाँ:

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार बैंक की संकलित उधारराशियाँ ₹ 6456.97 करोड़ की रहीं जबकि 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार ये ₹ 5167.05 करोड़ की थीं.

(₹ करोड़ में)		
संस्था	31.03.2023 तक बकाया	31.03.2024 तक बकाया
नाबार्ड-एसटीएसएओ	615	600.00
नाबार्ड-योजनाबद्ध	2962.87	3521.86
नबार्ड-एसएसएओ	1200.00	1200.00
मुद्रा	0.00	0.00
एनएसएफडीसी/एनएसटीएफडीसी	5.91	7.31
उप-जोड़	4783.78	5329.17
एनएसकेएफडीसी/एनएसटीएफडीसी	2.80	1.92
एनएचबी	88.85	230.53
एनबीसीएफडीसी	0.44	6.19
कुल पुनर्वित्त	4875.83	5567.81
एसबीआई से मीयादी जमाराशियाँ पर ओडी	291.22	889.16
कुल उधार राशियाँ	5167.05	6456.97

बैंक ने फसली ऋण संवितरणों के समक्ष नाबार्ड से ऋण संवितरण के 20% की दर से पुनर्वित्त लिया है. बैंक ने नाबार्ड से एलटीआरसीएफ के तहत पुनर्वित्त प्राप्त किया है.

आस्तियाँ:**निवेश:**

बैंक का कुल निवेश पोर्टफोलियो-एसएलआर और गैर-एसएलआर दोनों, 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार 7.33% की गिरावट दर्ज करते हुए घटकर ₹ 2383.82 करोड़ के हो गए जबकि पिछले वर्ष इनका स्तर ₹ 2572.49 करोड़ का था.

(₹ करोड़ में)		
विवरण	2022-23	2023-24
एसएलआर निवेश	2512.67	2368.82
वृद्धि	-406.91	-143.85
वृद्धि %	-13.94%	-5.72%
गैर-एसएलआर निवेश	59.82	15.00
वृद्धि	-15.18	-44.82
वृद्धि %	-20.24	-74.92%
कुल निवेश	2572.49	2383.82
वृद्धि	-422.09	-188.67
वृद्धि %	-14.10%	-7.33%

अन्य बैंकों में मीयादी जमाराशियाँ:

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार अन्य बैंकों के साथ मीयादी जमाराशियाँ बढ़कर ₹ 5344.66 करोड़ की हो गईं जबकि पिछले वर्ष इनका स्तर ₹ 3797.28 करोड़ का था.

निवेश नीति:

बैंक की निवेश नीति तैयार की हुई है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है / इसमें संशोधन किए जाते हैं और निवेशक मंडल द्वारा इसे अनुमोदित किया जाता है.

एसएलआर निवेश:

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 की शर्तों के अनुसार, एसएलआर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक ने नीति में वर्णित क्षेत्रों में निवेश किए हैं. सभी एसएलआर निवेश केवल भारत सरकार / राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में ही किए गए हैं. सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री का कार्य भारतीय स्टेट बैंक के पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं विभाग द्वारा किया जाता है.

गैर-एसएलआर निवेश:

गैर-एसएलआर निवेशों को म्यूच्युअल फंडों और बॉण्डों में निवेश किया जाता है. बैंक सरकारी प्रतिभूतियों/ बॉण्डों से प्राप्त होने वाले ब्याज की तत्काल प्राप्ति के लिए अनुप्रवर्तन और अनुवर्ती कार्रवाई करता रहता है. गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो से आय के रिसाव का कोई भी दृष्टांत नहीं था.

सीआरआर और एसएलआर:

बैंक ने सीआरआर और एसएलआर के रूप में पर्याप्त शेष राशियों के रखरखाव की विनियामक आवश्यकता को पूरा किया है. बैंक में एनडीटीएल को ध्यान में रखते हुए सीआरआर और एसएलआर की आवश्यकताओं का आकलन करने की एक अच्छी व्यवस्था विद्यमान है. पर्याप्त शेषराशियों के रखरखाव में वर्ष के दौरान कोई भी चूक नहीं हुई है. बैंक ने 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार सीआरआर में ₹ 519.29 करोड़ की राशि और एसएलआर में ₹ 2416.94 करोड़ (इसमें एसएलआर निवेश, हाथ में रोकड़ और चालू खातों में निवल शेषराशियाँ शामिल हैं) की राशि रखी है.

ऋण पोर्टफोलियो

बैंक का ऋण पोर्टफोलियो 15.11% बढ़कर 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 14840.69 करोड़ का हो गया जबकि गत वर्ष इसका स्तर ₹ 12893.00 करोड़ का था, इस प्रकार इसमें ₹ 1935.00 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष ₹ 1947.69 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई. इस प्रकार बैंक अग्रिमों के बजट के अंतर्गत 100.66% की उपलब्धि प्राप्त कर पाया.

कृषि को ऋण

वर्ष के दौरान, कृषि क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत संवितरण 20.02% बढ़ गए और ₹ 1116.18 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 6686.19 करोड़ के स्तर तक पहुँच गए जबकि पिछले वर्ष के दौरान ये ₹ 5570.01 करोड़ के थे. कृषि क्षेत्र में बैंक के उधारकर्ताओं की कुल संख्या 596432 है. एसएचजी वित्त के लिए 80% से अधिक ऋण भी कृषि कार्यों के लिए ही संवितरित किया गया.

संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली के अंतर्गत फसल ऋण

भारत सरकार और नाबार्ड के निर्देशों के अनुसार, हमने खरीफ 2012 से फसल ऋण के उधारकर्ताओं के लिए संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली कार्यान्वित की है. हमने 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ₹ 5593.94 करोड़ के बकाया ऋण के साथ 530813 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जबकि पिछले वर्ष ₹ 5343.74 करोड़ के बकाया ऋण के साथ 505915 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए थे. वर्ष 2023-24 के दौरान हमने 424602 किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ₹ 4403.42 करोड़ की राशि का संवितरण किया है जबकि पिछले वर्ष 355081 कार्ड धारकों को ₹ 3652.02 करोड़ की राशि संवितरित की थी.

स्वयं सहायता समूह

बैंक ने 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ₹ 4209.48 करोड़ के बकाया पोर्टफोलियो के साथ 76709 स्वयं सहायता समूहों (जिनमें लगभग 9.50 लाख ग्रामीण महिलाएं शामिल हैं) को वित्तपोषित किया है, जबकि पिछले वर्ष ₹ 3533.93 करोड़ के बकाया ऋण के साथ 78095 समूहों को वित्तपोषित किया था. स्वयं सहायता समूह घटक के अंतर्गत कुल बकाया ऋणों में वर्ष 2023-24 के दौरान 19.12% की वृद्धि दर के साथ ₹ 675.55 करोड़ की वृद्धि हुई. बैंक ने वर्ष के दौरान 28048 स्वयं सहायता समूहों को ₹ 2719.58 करोड़ का संवितरण किया जबकि पिछले वर्ष के दौरान 30836 स्वयं सहायता समूहों को ₹ 2292.10 करोड़ का संवितरण किया गया था..

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) – आजीविका – ब्याज सहायता योजना

एनआरएलएम के तहत, बैंक ने सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को 7% की ब्याज दर पर ₹ 3.00 लाख तक की सीमा तक ऋण प्रदान किया और 10% की ब्याज दर पर ₹ 3.00 लाख से ₹ 5 लाख तक की सीमा के बीच ऋण प्रदान किया.

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण वितरण

बैंक के कुल अग्रिमों में 79.60% हिस्सा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋणों का रहा जबकि पिछले वर्ष इसका योगदान 81.30% था. मात्रा की दृष्टि से देखा जाए

तो, 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण ₹ 11395.61 करोड़ के रहे जबकि 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार ये ₹ 10160.90 करोड़ के थे. इसमें 12.51% की दर से ₹ 1234.71 करोड़ की वृद्धि हुई है. कमजोर वर्गों को प्रदान किए गए ऋण ₹ 9066.52 करोड़ के रहे, जो कुल ऋण का 61.09% बनते हैं.

राज्य ऋण आयोजनओं के प्रतिभागिता

राज्य की ऋण योजनाओं में बैंक की प्रतिभागिता निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2022-23	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1	फसल ऋण	5502.15	4403.42
2	कुल कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	7627.85	6686.19
3	कृषीतर क्षेत्र	834.75	765.47
4	अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	120.97	236.99
	कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	8583.57	7688.65
5	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	285.98	3950.58
	कुल ऋण संवितरित	8869.55	11639.23
	उपलब्धि का %		131.23%

वर्ष के दौरान संवितरित ऋण:

वर्ष के दौरान संवितरण 18.19% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 11639.23 करोड़ के स्तर तक पहुँच गए जबकि पिछले वर्ष ये ₹ 9847.73 करोड़ के स्तर पर थे. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संवितरण 17.92% की वृद्धि के साथ बढ़कर ₹ 7688.65 करोड़ के स्तर तक पहुँच गए जबकि पिछले वर्ष ये ₹ 6520.33 करोड़ के स्तर पर थे और कुल संवितरणों में इनका योगदान क्रमशः 66.06% और 66.21% था.

खुदरा ऋण

वर्ष के दौरान आवास, शिक्षा ऋण, बंधक ऋण, वैयक्तिक स्वर्ण ऋण, एमएसएमई इत्यादि जैसे खुदरा उत्पादों पर ध्यान बढ़ा है. लाभप्रदता बढ़ाने के लिए ऋण पोर्टफोलियो को विविधीकृत करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के माध्यम से परिचालन स्टाफ के क्षमता निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी गई. हमारे आवास ऋण पोर्टफोलियो में 25.77% की वृद्धि हुई, हमारे स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो में 20.11% की वृद्धि हुई और समग्र खुदरा और एमएसएमई पोर्टफोलियो में 29.88% की वृद्धि हुई. अब बैंक के कुल ऋण पोर्टफोलियो में खुदरा और एमएसएमई के तहत ऋण का हिस्सा 37.85% हो गया. खुदरा और एमएसएमई घटक के अंतर्गत कार्यानिष्पादन निम्नानुसार है.



(₹ करोड़ में)

क्रम.सं.	घटक	31.03.2023 तक बकाया		31.03.2024 तक बकाया	
		खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	आवास ऋण	9427	1608.62	11414	2023.12
2	बंधक ऋण	983	109.16	1053	126.61
3	शिक्षा ऋण	291	14.84	276	17.49
4	माँग ऋण	12986	203.43	11365	189.57
5	कृषीतर क्षेत्र – मीयादी ऋण / एमएसएमई	39211	808.04	79083	1049.48
6	वैयक्तिक ऋण	8598	411.09	8511	527.55
7	वैयक्तिक स्वर्ण ऋण	148007	1392.39	165234	1672.46
	कुल	219503	4547.57	276936	5606.28

ऋण और अग्रिम:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	घटक	31 मार्च 2023		31 मार्च 2024	
		खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
	अ) कृषि क्षेत्र				
1.	फसल ऋण	505915	5343.74	530813	5593.95
2.	कृषि मीयादी ऋण	12314	141.88	6335	207.92
3.	स्वयं सहायता समूह	60487	2847.75	59284	3421.69
	कुल कृषि क्षेत्र	578716	8333.37	596432	9223.56
	आ) कृषीतर क्षेत्र				
4.	जोसीसी	50	0.09	16	0.03
5.	मीयादी ऋण (व्यवसाय)	38419	784.03	35583	907.18
6.	आवास ऋण	8125	1007.00	8700	1106.98
7.	नकदी ऋण	742	23.92	43484	142.27
8.	शिक्षा ऋण	278	12.49	261	15.59
	कुल कृषीतर क्षेत्र (प्राथमिकता-प्राप्त)	47614	1827.53	88044	2172.05
	कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	626330	10160.90	684476	11395.61
	इ) गैर-प्राथमिकता-प्राप्त				
9.	स्वर्ण ऋण	148007	1392.38	165234	1672.45
10.	माँग ऋण+सीके+स्टाफ ऋण+आवास ऋण *(एनपी)+ईएल*(एनपी)+टीएल*(एनपी)	23890	1327.65	23658	1761.77
11.	अन्य	413	12.07	358	10.86
	कुल गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	172310	2732.10	189250	3445.08
	कुल योग (अ+आ+इ)	798640	12893.00	873726	14840.69

*गैर-प्राथमिकता-प्राप्त



भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री (सरसई)

बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सरसई में पंजीकृत है और अनुदेशों का पालन कर रहा है। दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्चना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत बवर होने वाले हमारे सभी ऋणों के संबंध में सभी साम्यिक/पंजीकृत बंधक और दृष्टिबंधक सरसई में पंजीकृत हैं।

इसके माध्यम से बैंक के पक्ष में सृजित प्रतिभूति हित के संबंध में सूचना नागरिकों, अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा सर्च करने पर एक सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हो जाएगी।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

हमारा बैंक सीजीटीएमएसई का सदस्य है और एमएसएमई के अंतर्गत ऋणों के लिए ऋण गारंटी का उपयोग कर रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार खुदरा व्यापार अग्रिमों को छोड़कर उद्योग, सेवा और कारोबार (आईएसबी) क्षेत्र, इनमें छोटे सड़क और परिवहन ऋण भी शामिल हैं, के ₹ 200.00 लाख तक की सीमा के ऋण सीजीटीएमएसई का गारंटी कवर प्राप्त करने हेतु पात्र होते हैं।

अब तक सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत कवर किए गए ऋण खातों के विवरण निम्नानुसार हैं।

(₹ Crores)				
वर्ष 2023-24 के दौरान			संचयी	
ऋण गारंटी का नाम	खातों की संख्या	राशि ₹	खातों की संख्या	राशि ₹
सीजीटीएमएसई	7116	38.99	9155	52.41
सीजीएफएमयू	53701	1800.33	57930	2307.89

ऋण आसूचना कंपनियाँ

हमारा बैंक सिबिल (क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड) का सदस्य है। सिबिल पहली ऐसी ऋण आसूचना कंपनी है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया और जिसका अभिशासन प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत होता है। सिबिल बैंकों और अन्य ऋणदाताओं से व्यक्तियों और गैर-व्यक्तियों (वाणिज्यिक निकायों) के ऋणों और क्रेडिट कार्डों से संबंधित भुगतानों के मासिक आधार पर रिकॉर्ड इकट्ठा करता है और उनका रखरखाव करता है।

हमारा बैंक नियमित रूप से डाटा अपलोडिंग कर रहा है और हमारे सभी क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय और शाखाएं अपने ऋण निर्णय लेते समय आवेदकों की क्रेडिट हिस्ट्री की जानकारी प्राप्त करते रहते हैं।

तीन अन्य ऋण आसूचना कंपनियाँ, नामतः इक्वीफैक्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक्स्पिरियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ

इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 15.01.2015 के अपने पत्र डीबीआर सं. सीआईडी.बीसी.60/20.16.056/2014-15 के माध्यम से यह सूचित किया है कि ऋण देने वाली सभी संस्थाओं को सभी ऋण आसूचना कंपनियों का सदस्य बनना अनिवार्य है। तदनुसार हम उपर्युक्त तीनों ऋण आसूचना कंपनियों के सदस्य हैं।

आस्ति गुणवत्ता-अनर्जक आस्तियों का प्रबंधन:

बैंक पनी अनर्जक आस्तियों को कम करके ₹264.68 करोड़ (सकल) तक रखने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं जो अब चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल अग्रिमों का 1.78% है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यह 2.05% था। निवल अनर्जक आस्तियाँ अब शून्य हैं जबकि 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार ये 0.00% थे। बैंक ने अनर्जक आस्तियों को कम से कम रखने के लिए केन्द्रित दृष्टिकोण और समुचित कार्यनीतियाँ अपनाई हैं। 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार अनर्जक आस्तियाँ ₹264.68 करोड़ हैं जबकि 31.03.2023 तक ये ₹263.83 करोड़ थीं।

सरफेसी अधिनियम और मुकदमा दायर करना:

खाते के अनर्जक आस्ति बन जाने के तुरन्त पश्चात् सरफेसी अधिनियम के तहत नोटिस जारी की गई थी, इसकी निगरानी क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय द्वारा मासिक अंतरालों में की गई। इस संबंध में हमारी कार्रवाइयों के अच्छे परिणाम निकले हैं। हमने सरफेसी के तहत विशेष रूप से प्रत्यक्षदर्शी कार्रवाइयाँ कीं। प्रत्येक क्षेत्र में अनर्जक आस्तियों की निगरानी करने के प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से एक डेस्क अधिकारी को तैनात किया गया है जो सरफेसी के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करने, मुकदमा दायर करने, वाहनों को जब्त करने आदि के साथ-साथ मुकदमा दायर मामलों को बंद करने, एयूसीए वसूली इत्यादि के लिए जिम्मेदार होता है। वापस लिए गए कर्जों/मुकदमा दायर खातों में वसूली पर ध्यान केंद्रित किया गया। मुकदमों के निपटान में तेजी लाने के लिए सभी क्षेत्रों में अधिवक्ताओं के साथ बैठकें आयोजित की गईं।

सरफेसी के तहत कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:

	खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
प्रारंभ कुल सरफेसी	242	32.26
नियमित किए गए	221	30.40
वर्ष के अंत में बचे हुए	21	1.86
उपर्युक्त में से		
जारी माँग नोटिसें	8	0.66
जारी कब्जा नोटिसें	13	0.20
कब्जे में लिए गए	4	0.47



मुकदमा दायर मामलों के अंतर्गत कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:

	खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
मुकदमा दायर	201	7.64
डिफ्ट्री प्राप्त	75	2.58
बेदखली याचिका दायर	16	0.66
मुकदमा दायर करने के पश्चात् वसूली	17	0.52

अनर्जक आस्तियों को कम करने/ रोकने के लिए निम्नानुसार रणनीतियाँ अपनाई गई:

1. प्रत्येक क्षेत्र में अनर्जक आस्तियों की निगरानी करने के प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से एक डेस्क अधिकारी को तैनात किया गया है जो सरफेसी के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करने, मुकदमा दायर करने, वाहनों को जब्त करने आदि के साथ-साथ मुकदमा दायर मामलों को बंद करने, एयूसीए वसूली इत्यादि सुनिश्चित करता है।
2. ₹5.00 लाख और उससे अधिक की अनर्जक आस्तियों का अनुप्रवर्तन संबंधित महाप्रबंधकों द्वारा किया जा रहा है।
3. समीक्षा तंत्र की व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ प्रबंधक (व्यवसाय) और क्षेत्रीय प्रबंधकों के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
4. फसल ऋण के समय पर नवीकरण पर प्रकाश डालते हुए निम्नलिखित का सभी गाँवों में बैठकों के आयोजन, वॉल पोस्टरों, बैनर इत्यादि लगाने के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया, जैसे बढ़ाए गए वित्तमान, फसल बीमा सुविधा, भारत सरकार से ब्याज सहायता प्रोत्साहन और वड्डी लेनि ऋणालु व अन्य सरकार प्रायोजित योजनाएँ।
5. अनर्जक आस्तियों की निगरानी और उनमें कमी लाने के लिए शीर्ष प्रबंधन ने क्षेत्रीय प्रबंधकों, वरिष्ठ प्रबंधकों (व्यवसाय), वसूली अधिकारियों, शाखा प्रबंधकों से छोटे-छोटे अंतरालों में आविधक रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित कीं।
6. क्षमता निर्माण करने और अनर्जक आस्तियों में कमी लाने के लिए कार्यनिष्पादन का अच्छा रिकॉर्ड रखने वाले अधिकारियों को शामिल करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में पाँच से छह क्लस्टर बनाए गए हैं।
7. अतिदेय बन चुके निजी स्वर्ण ऋणों से संबंधित स्वर्णाभूषणों की मासिक अंतरालों में नीलामी आयोजित की गई।

आस्ति वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

आस्तिघाँ	2023-24	
	वकाया	%
मानक	14576.01	98.22
अवमानक	116.91	0.79
अशोध और संदिग्ध	143.90	0.97
हानि	3.87	0.02
कुल अनर्जक आस्तियाँ	264.68	1.78
कुल	14840.69	100.00

पूँजी पर्याप्तता अनुपात:

बैंक ने 31.03.2023 तक की स्थिति के 17.20% की तुलना में 31.03.2024 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार 20.18% का पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) दर्ज किया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% से काफी अधिक है और जो बैंक की मजबूती दर्शाता है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली-लेखापरीक्षा और निरीक्षण

बैंक की सभी गतिविधियाँ आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य के अधीन आती हैं, जिसके अंतर्गत अलग-अलग प्रकार की लेखापरीक्षाएँ की जाती हैं:

जोखिम केन्द्रित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरएफआईए):

हमारे प्रायोजक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के सुझावों के अनुसरण में बैंक में अक्टूबर 2011 से जोखिम केन्द्रित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रणाली कार्यान्वित की जा रही है।

लेखापरीक्षा प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के प्रायोजक बैंक के सुझाव के अनुसार दिनांक 08.12.2017 से बैंक में आरएफआईए का नया प्रारूप प्रारंभ किया गया जिसमें रेटिंग प्रणाली के मानदंडवार अंक निम्नानुसार हैं:

संशोधित रेटिंग		अंकों का दायरा
अच्छी तरह से नियंत्रित	- ए+	>=850
पर्याप्त रूप से नियंत्रित	- ए	700 and <=850
साधारण रूप से नियंत्रित	- बी	>600 and <=699
असंतोषजनक नियंत्रण	- सी	<600

प्रत्येक मानदंड के अंतर्गत आबंटित अंकों को भी निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

क्रम.सं.	एस एन मानदंड	संशोधित प्रारूप के अंक
1	व्यवसाय विकास	100
2	ऋण जोखिम प्रबंधन	450
3	परिचालन जोखिम प्रबंधन	410
4	बाह्य अनुपालन	30
5	स्वयं-लेखापरीक्षा	10



जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरएफआईए) रिपोर्ट के संशोधित प्रारूप में आईएस और आईटी जोखिम संवीक्षा शामिल करके उसे इस वर्ष के दौरान काजोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरएफआईए) रिपोर्ट के संशोधित प्रारूप में आईएस और आईटी जोखिम संवीक्षा शामिल करके उसे उसी वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान कार्यान्वित किया गया।

अच्छी तरह से नियंत्रित-ए+ और पर्याप्त रूप से नियंत्रित-ए रेटिंग प्राप्त करने वाली शाखाओं की लेखापरीक्षा पिछली लेखापरीक्षा की तिथि से 18 महीनों के अंदर की गई वहीं 'साधारण रूप से नियंत्रित-बी' और 'असंतोषजनक नियंत्रण-सी' रेटिंग वाली शाखाओं की लेखा परीक्षा एक वर्ष (12 महीनों) के अंदर ही की गई।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 350 शाखाओं की लेखापरीक्षा होनी थी और सभी 350 शाखाओं की लेखापरीक्षा की गई। इन शाखाओं को प्रदान गई रेटिंग निम्नानुसार है:

रेटिंग	2023-24 के दौरान लेखा परीक्षित 350 शाखाओं में
अच्छी तरह से नियंत्रित - ए+	229
पर्याप्त रूप से नियंत्रित - ए	120
साधारण रूप से नियंत्रित - बी	0
असंतोषजनक नियंत्रण - सी	0
सेवा शाखा को रेटिंग नहीं	1
कुल	350

लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई सभी रिपोर्टों को बंद किया गया/ जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ी, सुधारात्मक उपाय किए गए, लेखापरीक्षा विभाग ने अपने परिचालन, निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के संचालित किए हैं जिससे प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने में सहायता हुई।

संगामी लेखापरीक्षा

हमारे बैंक में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के भाग के रूप में, नाबार्ड द्वारा जारी नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसरण में वित्त वर्ष 2012-13 से संगामी लेखा परीक्षा प्रारंभ की गई। वर्तमान में सत्ताईस (27) लेखापरीक्षकों की सहायता से 149 शाखाओं और 31 एचयूबी में संगामी लेखापरीक्षा संपन्न की जा रही है। आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में संगामी लेखापरीक्षा के अधीन हमने बैंक के ऋण एवं अन्य एक्सपोजरों के कम से कम 50% हिस्से को कवर करने के लिए बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों को सूची में शामिल किया है।

संगामी लेखापरीक्षा की व्याप्ति की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई कि उसके अधीन (क) नकदी का रखरखाव, (ख) प्रतिभूतियों की सुरक्षित अभिरक्षा, (ग) विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग, (घ) विविध और उच्चत खाले, (ङ) समाशोधन अंतर, (च) तुलनपत्रेतर परदे, सुरक्षा संबंधी पहलू, आस्तियों की गुणवत्ता का सत्यापन, नाबार्ड/ आरबीआई दिशानिर्देशों की अनुपालना इत्यादि शामिल हो जाएं।

इसके अतिरिक्त दक्षता के स्तरों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित लेखापरीक्षाएं भी आयोजित की गई हैं:

अनुपालना लेखापरीक्षा:

गत वर्ष की आरएफआईए शाखाओं में से 10% शाखाओं को अनुपालना लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अनुसूची के अनुसार 37 शाखाओं में अनुपालना लेखापरीक्षा आयोजित की गई।

डब्ल्यूबीसीएस (वेब आधारित संगामी लेखापरीक्षा प्रणाली):

सभी चयनित इकाइयों में संगामी लेखा परीक्षा प्रणाली के प्रभावी अनुप्रवर्तन और कामकाज के उद्देश्य से बैंक में 07.10.2023 को एक ऑनलाइन वेब आधारित संगामी लेखापरीक्षा प्रणाली शुरू की गई थी, जो अब स्थिर रूप से कार्य कर रही है और संगामी लेखा परीक्षकों द्वारा निरंतर आधार पर इसका उपयोग किया जा रहा है।

31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार कुल 429 शाखाओं में से 149 शाखाओं में 27 संगामी लेखा परीक्षकों (सीए) द्वारा ऑनलाइन डब्ल्यूबीसीएस एप्लिकेशन के माध्यम से संगामी लेखापरीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें कुल व्यवसाय का 56.43% शामिल है जो आरबीआई द्वारा निर्धारित 50% मानदंडों से अधिक है।

ओटीएमएस (ऑफलाइन लेनदेन अनुप्रवर्तन प्रणाली):

घोखाधड़ियों को रोकने/ हानियों को कम से कम करने के लिए, हमारे बैंक में 12.02.2024 से ओटीएमएस (ऑफसाइट लेनदेन अनुप्रवर्तन प्रणाली) एप्लिकेशन कार्यान्वित किया गया था। ओटीएमएस द्वारा विचलित/ संदिग्ध लेनदेनों/ अपवादों के लिए अलर्ट जारी किए जाते हैं जिनपर शाखाओं/ आरबीओ द्वारा निरंतर आधार पर कार्रवाई की जानी होती है।

हमारे बैंक ने ए एण्ड एस विभाग, एसबीआई, सीसी, मुंबई द्वारा अग्रेषित अपवादों की सूची में से 34 अपवादों की पहचान की है। इन 34 अपवादों में से 7 अपवाद दैनिक रूप से, 18 अपवाद साप्ताहिक रूप से, एक (1) अपवाद पाक्षिक रूप से और 8 अपवाद मासिक रूप से जनरेट होते हैं।

इन अपवादों पर आरबीओ द्वारा अपनी संबंधित शाखाओं के साथ दैनिक आधार पर सुधार/ समापन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। लेखा परीक्षा विभाग, प्रधान कार्यालय, निरंतर आधार पर लंबित ओटीएमएस एलर्टों को बंद/ ठीक करने के लिए, आरबीओ/ शाखाओं के साथ अनुप्रवर्तन करता है।

निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति

निदेशक मंडल की एक उप-समिति है जो आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण की गुणवत्ता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करती है और बैंक में वित्तीय रिपोर्टिंग, प्रकटनों, अनुपालना और जोखिम प्रबंधन का पर्यवेक्षण करती है। भारतीय स्टेट बैंक के दो नामिती निदेशकों और भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड के नामिती निदेशकों के सदस्यों के रूप में लेखापरीक्षा समिति



गठित होती है, निदेशक मंडल के वरिष्ठतम निदेशक समिति के अध्यक्ष होते हैं और उन्हें रोटेशन के आधार वार्षिक रूप से बनाया जा सकता है। समिति की तिमाही अंतरालों में बैठकें होती हैं, यदि कोई विशेष परिस्थिति बनती है तो बैठकें जल्दी-जल्दी भी होती हैं। समिति निम्नलिखित क्षेत्रों की समीक्षा करती है:

- विभिन्न लेखापरीक्षाओं के आयोजन और उनकी अनुपालना की स्थिति।
- (क) जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखापरीक्षाओं में (ख) उच्च लेखापरीक्षा रिपोर्टों (ग) संगामी लेखापरीक्षा आदि में पाई गई सामान्य अनियमितताएँ।
- क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालयों, प्रधान कार्यालय के अन्य विभागों की लेखापरीक्षा
- वर्ष के दौरान की गई विशेष लेखापरीक्षाएँ, यदि हों तो।
- आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई, विशेष रूप से "असंतोषजनक" शाखाओं और बड़ी शाखाओं तथा साथ ही संगामी लेखापरीक्षा के प्रेक्षकों की समीक्षा।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा बड़ी शाखाओं की जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखापरीक्षा और सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में इंगित की गई अनियमितताओं पर अनुवर्ती कार्रवाई।
- ऐसी शाखाएँ जहाँ लेखापरीक्षा की रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है।
- नाबार्ड की निरीक्षण रिपोर्ट, सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, प्रबंधन लेखापरीक्षा, आरएफआईए, उच्च लेखापरीक्षा रिपोर्ट, सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की अनुपालना।
- लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर असंतोषजनक अनुपालना प्रस्तुत करने, अनुपालना प्रस्तुत करने में देरी करने और कमियों को ठीक न करने के लिए जवाबदेही तय करना।
- बाद में सामने आने वाली गंभीर अनियमितताओं का पता लगाने में आंतरिक निरीक्षणकर्ता अधिकारियों/ सांविधिक लेखापरीक्षकों की ओर से होने वाली चूक की समीक्षा।
- बैंक के खातों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से और बैंक द्वारा सामना किए जा रहे जोखिमों अथवा संभावित जोखिमों पर ध्यान देने हेतु लेखांकन नियंत्रणों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए बैंक की लेखांकन नीतियों / तंत्र नियंत्रण प्रणालियों की आवधिक समीक्षा।
- वित्तीय स्थिति – तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाता विवरण और प्रकटन।
- आंतरिक रखरखाव (हाउसकीपिंग) की स्थिति और अंतर कार्यालय समाधान (बीसीजीए) और बकाया प्रविष्टियाँ।
- संगामी लेखापरीक्षक द्वारा प्रत्येक तिमाही में भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट की गई प्रतिभूतियों को धारण करने का प्रमाणन।

- प्रकाश में आई/ नाबार्ड / आरबीआई को रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की स्थिति।

प्रबंधन लेखापरीक्षा

हमारे बैंक की प्रबंधन लेखापरीक्षा हमारे बैंक के प्रायोजक बैंक यानी एसबीआई द्वारा की जाती है। उनकी दिनांक 18.03.2023 की रिपोर्ट के माध्यम से बैंक को 'ए' रेटिंग प्रदान की गई है। हमने प्रबंधन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अपनी अनुपालना निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रस्तुत कर दी है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35(6) के अंतर्गत नाबार्ड का निरीक्षण:

नाबार्ड द्वारा, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35(6) के अंतर्गत निरीक्षण किया जाता है। नाबार्ड द्वारा पिछला निरीक्षण बैंक की 31.03.2023 तक की वित्तीय स्थिति के अनुसार किया गया था और 11.10.2023 की रिपोर्ट पर अनुपालना हमने 08.12.2023 को प्रस्तुत कर दी।

सांविधिक लेखापरीक्षा:

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 19 की उप-धारा (1) के अनुसार बैंक से यह अपेक्षित है कि वह भारत सरकार के अनुमोदन से, अपने यहाँ खातों की सांविधिक लेखापरीक्षा करवाने के लिए लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करे।

तनदुसार, वर्ष 2023-24 के लिए मेसर्स एम भास्कर राव एण्ड कं. को सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। शाखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए हमने भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और नाबार्ड द्वारा संसूचित सूची के अनुसार निम्नलिखित सनदी लेखाकारों की नियुक्ति की है।

- मेसर्स बेल्टी एण्ड एसोसिएट्स, खैरताबाद, हैदराबाद
- मेसर्स अतोटा एण्ड कं., निजामपेट, हैदराबाद
- मेसर्स चक्रधर एण्ड नंदन, एसडी रोड, सिकंदराबाद
- मेसर्स एसवीआरएल एण्ड कं., काजीपेट, वरंगल
- मेसर्स गाँधी एण्ड गाँधी, हैदराबाद
- मेसर्स आकाशम एण्ड एसोसिएट्स, मासाब टैंक, हैदराबाद
- मेसर्स जी.के. राव एण्ड कं., अमीरपेट रोड, हैदराबाद
- मेसर्स सोमांची एण्ड कं., सैफाबाद, हैदराबाद
- मेसर्स सी वी एस बालचन्द्र राव एण्ड कं., सुल्तान बाज़ार, हैदराबाद.
- मेसर्स त्रिवेदी एण्ड बंग, मेहदीपट्टणम, हैदराबाद.
- मेसर्स वाई. तिरुपतैय्या एण्ड कं., न्यू नल्लाकंटा, हैदराबाद
- मेसर्स जीएमके एसोसिएट्स, चिराग अली लेन, हैदराबाद
- मेसर्स सी रामचन्द्रम एण्ड कं., माधापुर, हैदराबाद.
- के एस राव एण्ड कं., हैदराबाद.
- मेसर्स डागा एण्ड कं., बशीरबाग, हैदराबाद.

16. मेसर्स सुनील एण्ड संजय, एसडी रोड, सिकंदराबाद, नाबार्ड द्वारा दिनांक 15.04.2024 के अपने पत्र सं. राबैं.प्रका.आईडीडी/01 /आरआरबी/0027/323(सी)/2024-25 के माध्यम से संसूचित

दिशानिर्देशों के अनुसरण में, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने बैंक की 264 शाखाओं और प्रधान कार्यालय की लेखापरीक्षा संपन्न की और बैंक की लेखा बहियों के समग्र रखरखाव के प्रति संतोष व्यक्त किया।

वित्तीय समावेशन योजना:

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार विभिन्न वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) पहलों के तहत कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:

वित्तीय समावेशन योजना पहल	31.03.2023 तक की स्थिति	31.03.2024 तक की स्थिति
प्रधान मंत्री जन धन योजना खाते (सं.)	12,25,693	17,33,559
खोले गए बचत बैंक-वित्तीय समावेशन खाते (सं.)	2,77,833	2,61,456
सक्रिय किए गए रूपे डेबिट सह एटीएम कार्ड (सं.)	1,57,275	1,65,515
बचत बैंक-वित्तीय समावेशन में बकाया राशि (₹ लाख में)	4067.84	4181.16
जारी रूपे - केसीसी कार्ड (सं.)	3,63,116	3,83,008
वर्ष 2023-24 में शाखाओं द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता जागरूकता बैठकें (वित्तीय साक्षरता केन्द्रों द्वारा आयोजित बैठकों के अतिरिक्त)	2,191	5,628
आरबीआई शिविर वित्तीय साक्षरता समारोह	427	427
प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना - बीमा नामांकन (सक्रिय)	3,86,818	4,70,187
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना - बीमा नामांकन (सक्रिय)	6,16,105	8,77,413
अटल पेंशन योजना - नामांकन - वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान	47,878	51,142
अटल पेंशन योजना - नामांकन - (संचयी)	1,59,817	2,10,959

वित्तीय समावेशन योजना:

सरकार ने बैंकिंग सुविधा से वंचित प्रत्येक परिवार के लिए सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (एनएमएफआई) की शुरुआत की है, जो बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग, असुरक्षित लोगों को सुरक्षित करने, निधिरहित लोगों का निधायन करने और अ-सेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों विशेष रूप से गरीबों और वंचितों की सेवा करने के मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित है।

बैंक भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रहा है। तेलंगाना राज्य के 18 जिलों के 1526 बैंक रहित गांवों को 690 ग्राहक सेवा बिंदुओं (सीएसपी) की मदद से बैंक की एफआईपी के तहत कवर किया गया है।

अति लघु शाखाएँ (यूएसबी):

690 अति लघु शाखाओं के माध्यम से दूरदराज के बैंक रहित गांवों में माइक्रो एटीमों की सहायता से बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

यूएसबी शाखाओं में उपलब्ध सेवाएं:

1. खाता खुलवाना (एसबी/आरडी/टीडीआर),
2. वित्तीय लेनदेन,
3. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर,
4. एनपीए/एयूसीए वसूली,
5. सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे एपीवाई, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई,
6. एसबीआई लाइफ/एसबीआई जनरल/ऋणों का लीड जनरेशन.



ग्राहक सेवा प्रदाताओं का क्षमता निर्माण:

हमारे ग्राहक सेवा प्रदाताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि ग्राहकों को निर्बाध और गुणवत्तात्मक सेवाएं प्रदान की जा सकें. 507 ग्राहक सेवा प्रदाताओं ने बीसी प्रमाणन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है. 58 ग्राहक सेवा प्रदाता डीआरए (क्रुण वसुली एजेंट) प्रमाणित हैं.

महिला ग्राहक सेवा प्रदाता:

हमारे बैंक के साथ 285 महिला सीएसपी कार्यरत हैं जो कुल ग्राहक सेवा प्रदाताओं का 41.30% हैं, महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को सीएसपी

एफडीएलसी के लिए नाबार्ड से प्राप्त अनुदान सहायता:

क्रम सं.	अवधि	आयोजित एसएफडी कार्यक्रम (अ)	आयोजित अन्य जिला कार्यक्रम (आ)	आयोजित कुल कार्यक्रम (अ+आ)	प्राप्त अनुदान सहायता ₹ में
1	01.09.2023 - 31.01.2024	551	1138	1689	₹ 79,60,036/-

नाबार्ड द्वारा दी गई अनुसूची के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हमने वित्तीय डिजिटल साक्षरता शिविरों का 100% आयोजन पूरा कर लिया है।



(मोतीरामगढ़ा गाँव, शामपुर शाखा, आदिलाबाद क्षेत्र)



(लालशोगुडा, ताडिहत्तर शाखा, आदिलाबाद क्षेत्र)

ఆర్థిక అక్షరాస్యతపై అవగాహన సదస్సు

[illegible]

(अव्यवारिगुडा मंडल, याचारम शाखा, हैदराबाद-१ क्षेत्र)

బ్యాంకు సేవలను వినియోగించుకోవాలి

[illegible]

(रायकल मंडल, अलीपुर शाखा, जगित्याल क्षेत्र)

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं (6) ने 519 वित्तीय साक्षरता जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जबकि लक्ष्य था 504.



(वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं ने ग्रामीण गाँवों में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए)

वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू):

करो सही शुरुआत - बनो वित्तीय स्मार्ट : आरबीआई की एक पहल

हमारे बैंक ने 26.02.2024 से 01.03.2024 तक 427 गाँवों में निम्नलिखित तीन उद्देश्यों के साथ वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित किया, यथा -

- अ. बचत और कंपाउंडिंग की शक्ति
- आ. छात्रों के लिए बैंकिंग आवश्यकताएँ
- इ. डिजिटल और साइबर स्वच्छता



श्रीमती वाई.शोभा, अध्यक्ष, श्रीमती के पी शोभा रानी (महाप्रबंधक-आईटी), श्री डी.रमेश (महाप्रबंधक-II), श्री के वी प्रसाद (महाप्रबंधक-III) और टीजीबी का स्टाफ और अन्य बैंकर भारतीय रिज़र्व बैंक की पहल वित्तीय साक्षरता सप्ताह टूके वॉकथॉन में सहभागिता करते हुए.

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) वित्तीय प्रणाली से अधिक लोगों को जोड़ने और वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक वित्तीय समावेशन योजना है। पीएमजेडीवाई का उद्देश्य कमजोर वर्गों को सस्ती लागत पर बैंक खातों, धन-प्रेषण, क्रेडिट सेवाओं, पेंशन और बीमा जैसे वित्तीय उत्पादों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करना है।

जनधन-आधार-मोबाइल (जेएमएम) ट्रिनिटी ने वित्तीय समावेशन की पूरी अवधारणा को ही बदल कर रख दिया है। इससे पात्र नागरिकों को ही डीबीटी का लाभ मिलना सुनिश्चित करने के लिए डीबीटी के लूपहोलों को बंद करने में मदद मिली है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं:

गरीबों और बंचितों को, विशेष रूप से किफायती लागत पर सामान्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार ने पीएमजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई नामक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की हैं।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्रगति नीचे प्रस्तुत की जा रही है:

उत्पाद	वि.व.2023-24 के लिए लक्ष्य	वि.व.2023-24 के लिए उपलब्धि	वि.व. 2023-24 के लिए उपलब्धि में महिलाओं का %	प्राप्त उपलब्धि %	संचयी नामांकन	अखिल भारतीय स्थान (एसबीआई आरआरबी)
एपीवाई	42,700	51,142	73%	120%	2,10,353	3 rd
पीएमजेबीवाई	1,42,694	1,78,723	68%	125%	4,70,187	2 nd
पीएमएसबीवाई	2,94,794	3,17,830	57%	108%	8,77,413	3 rd
पीएमजेडीवाई	1,60,194	2,30,033	75%	144%	17,33,559	2 nd

टीजीवी के आंतरिक अभियान:

लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित टीजीवी आंतरिक अभियान चलाए गए

1. पेंशन विदाउट टेंशन 2.0 - सभी पात्र ग्राहकों को एपीवाई के अंतर्गत शामिल करने के लिए
2. रैतु मित्र 2.0 - केसीसी उधारकर्ताओं के लिए एसएसएस का कवरेज
3. टीजीवी नानी शक्ति 3.0 - महिला ग्राहकों के लिए एसएसएस का कवरेज
4. टीजीवी जनसुरक्षा 2.0 - सभी पीएमजेडीवाई खातों को शामिल करना
5. शक्ति - वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समयबद्ध अभियान
6. जनसुरक्षा लीग - वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतर-क्षेत्र प्रतियोगिता

आधार नामांकन केन्द्र:

आधार नामांकन/ अपडेट सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारे 49 आधार नामांकन केन्द्र स्थापित हैं।

वित्तीय वर्ष	वि.व. 2022-23	वि.व. 2023-24	वार्षिक वृद्धि
नामांकनों और अपडेटों की संख्या	1,02,572	1,65,993	62%

हमारा बैंक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत बीमा और पेंशन योजनाएं प्रदान करके सामाजिक सरोकार का एक हिस्सा बन रहा है।

पीएमजेबीवाई - यह पॉलिसी प्राकृतिक और दुर्घटना वश मृत्यु को कवर करती है। प्रवेश की आयु केवल 18 से 50 वर्ष तक ही है और पॉलिसी 55 वर्ष तक जारी रहती है। इसमें स्वतः नवीकरण की सुविधा (बशर्ते कि खाते में शेष राशि की उपलब्ध रहती है) के साथ ₹436/- प्रति वर्ष के प्रीमियम पर ₹2,00,000/- का पॉलिसी कवरेज मिलता है।

पीएमएसबीवाई - यह पॉलिसी दुर्घटनावश मृत्यु और स्थायी (आंशिक और पूर्ण) अशक्तता को कवर करती है। इसमें प्रवेश की आयु 18 से 70 वर्ष तक है। इसमें स्वतः नवीकरण सुविधा (बशर्ते कि खाते में शेष राशि उपलब्ध रहती है) के साथ ₹20/- प्रति वर्ष के प्रीमियम पर ₹2,00,000/- का पॉलिसी कवरेज मिलता है।

एपीवाई - 18-40 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में शामिल हो सकता है, चाहे उसकी नियोजन स्थिति कुछ भी हो, आयकर दाताओं को छोड़कर।

ग्रीन चैनल काउंटर (शाखाओं में माइक्रो एटीएम):

नाबार्ड की अनुदान सहायता से शाखाओं में 461 माइक्रो एटीएम (इनमें 36 बैक-अप उपकरण भी शामिल हैं) लगाए गए हैं। ग्राहकों को डिजिटल लेनदेन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और शाखाओं में काम के दबाव को कम करने के लिए 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमने निम्नलिखित अभियान चलाए।

अभियानों की अवधि के दौरान लेनदेनों में प्रगति संबंधी विवरण निम्नानुसार है।

क्रम सं.	कार्यक्रम	अवधि	लेनदेनों की संख्या
1	फ्रीडम कैम्पेन	15.08.2021 से 31.10.2021 तक	1,39,545
2	फ्रीडम कैम्पेन 2.0	01.06.2022 से 31.03.2023 तक	9,12,560
3	फ्रीडम कैम्पेन 3.0	01.04.2023 से 31.03.2024 तक	9,80,816

ग्रीन चैनल काउंटर के फायदे:

ग्राहकों को	शाखाओं को
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वाउचर लिखने से मुक्ति ✓ देरियों से मुक्ति – त्वरित और दक्ष सेवा ✓ अन्य लोगों पर निर्भरता से मुक्ति (विशेष रूप से अशिक्षित ग्राहकों के लिए) ✓ विकल्पों से मुक्ति – ईपीएस या डेबिट कार्ड 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ आधे-अधूरे भरे/ त्रुटिपूर्ण वाउचरों से मुक्ति ✓ हस्ताक्षर सत्यापन से मुक्ति ✓ वाउचर प्रमाणीकरण से मुक्ति ✓ वीवीआर जांच से मुक्ति ✓ लेखन-सामग्री व्यय से मुक्ति

मोबाइल एटीएम वैन:

वर्ष 2019 में नाबार्ड की अनुदान सहायता से दो एटीएम मोबाइल वैन नियोजित की गई ताकि ग्राहकों को उनके स्थान पर ही बैंकिंग प्रौद्योगिकियाँ प्रदर्शित की जा सकें और बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जा सकें। ये मोबाइल एटीएम वाहन हमारे बैंक के परिचालन क्षेत्रों में चल रही हैं और वित्तीय साक्षरता और डिजिटल बैंकिंग उत्पादों के संबंध में जागरूकता प्रसारित करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं।

पहलें:

- **आर्थिक स्वालंबन:** हमने जन धन प्लस (महिला केंद्रित कार्यक्रम) को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड और महिला विश्व बैंकिंग द्वारा

प्रायोजित परियोजना के पूरक के रूप में 10 नवंबर 2023 को "आर्थिक स्वालंबन" का शुभारंभ किया। जिसके परिणामस्वरूप महिला विश्व बैंकिंग की टीम ने 566 ग्राहक सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया, जिनमें 215 महिला ग्राहक सेवा प्रदाता भी शामिल थीं जिन्होंने फील्ड स्तर पर प्रशिक्षण में भाग लिया। यह प्रशिक्षण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ पीएमजेडीवाई खाताधारकों के संचुरेशन की दिशा पर केंद्रित है।

- इससे हमारे परिचालन क्षेत्र की महिलाओं के कौशल भी सामने आते हैं और क्षेत्र में हस्तशिल्प और हथकरघा (महिला मुद्रा योजना) को भी प्रोत्साहन मिलता है जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति बेहतर होती है।



श्रीमती वाई.शोभा, अध्यक्ष, डॉ. श्री वाई.हरगोपाल, महाप्रबंधक, नाबार्ड ने 10 नवंबर 2023 को "आर्थिक स्वालंबन" का शुभारंभ किया

➤ **टीजीबी परिष्कार:**

पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और पीएमजेडीवाई रुपे कार्ड दुर्घटना बीमा के अंतर्गत बाधारहित दावा निपटान प्रक्रिया उपलब्ध कराने के लिए एक पोर्टल को प्रारंभ किया गया है।

समुदाय आधारित गतिविधियां - भारत सरकार की एक पहल:

➤ **स्वच्छता ही सेवा 3.0 अभियान :**

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ जीवनयापन हेतु स्वच्छता की महत्ता पर जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान. ये कार्यक्रम 02.10.2023 से 31.10.2023 तक आयोजित किए गए.
- शाखाओं ने ग्राम पंचायत परिसरों, रेलवे स्टेशनों, पाठशालाओं, सार्वजनिक सड़कों, खेल प्रांगणों और बाग-बगीचों में 13 स्वच्छता

अभियान चलाए.

- स्वच्छता की महत्ता पर जागरूकता पैदा करने के लिए 15 एफडीएलसी कार्यक्रम आयोजित किए.
- हमारे बैंक की रिकॉर्ड रिटेंशन नीति के अनुसार शाखाओं में सभी पुराने रिकॉर्डों का निपटान किया गया.
- अवधि के दौरान 38,857 निष्क्रिय खातों को सक्रिय किया गया.
- हमने 25 शाखाओं में भिन्न क्षमता वालों की सरल पहुंच के लिए रैपों का निर्माण करवाया.
- अभियान की अवधि के दौरान पेंशन परिवार निवारण बैठकों का आयोजन किया गया.



(श्रीमती वाई.शोभा, अध्यक्ष ने पेंशन परिवार निवारण बैठक में सहभागिता की)



(श्री वेंकट राम रेड्डी-क्षेत्रीय प्रबंधक आदिलाबाद और स्टाफ ने स्वच्छता अभियान आयोजित किया)



(श्री पी.नवीन कुमार-क्षेत्रीय प्रबंधक निज़ामाबाद स्वच्छता की महत्ता पर संबोधित करते हुए)
(तंगालापल्ली ग्राम, तांडूर शाखा, मंचेरियाल क्षेत्र)



- **विकसित भारत संकल्प यात्रा:** हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा में सहभागिता की और भारत सरकार की योजनाओं का संचालन प्राप्त करने हेतु आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए अपने परिचालन क्षेत्र में 1,199 बैठकें आयोजित कीं।

उद्देश्य:

- उन तक पहुंचना जिनके पास अब तक पहुंचा न जा सका - उन असुरक्षित लोगों तक पहुंचना जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र तो हैं किंतु अब तक लाभान्वित नहीं हो सके हैं।
- योजनाओं के संबंध में सूचना प्रसारित करना और ग्राहकों में जागरूकता पैदा करना।
- सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बात-चीत द्वारा निजी अनुभवों और कहानियों को साझा करने के माध्यम से ज्ञानार्जन करना
- यात्रा के दौरान अर्जित विवरणों के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन।



माननीय राज्यपाल श्रीमती तमिलसाई सौंदरराजन, श्री के वी प्रसाद (महाप्रबंधक-III) और श्री सय्यद यूसुफ (क्षेत्रीय प्रबंधक हैदराबाद-I) ने पुलिमामिडी शाखा मीरखानपेट गाँव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सहभागिता की।



श्री रीतेश पटेल, उप निदेशक और सचिव (एफएस) के ओएसडी, वित्तीय सेवाएं विभाग, श्री डी.रमेश (महाप्रबंधक-II), श्री रमण कुमार (समप्र, एसबीआई, एलएचओ) और श्री सय्यद यूसुफ (क्षेत्रीय प्रबंधक हैदराबाद-I) ने श्रीगिरिपुर गाँव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सहभागिता की



శ్రీ డి.రమేశ (మహాప్రबंधక-II) ने महेश्वरम शाखा के श्रीगिरिपुर गाँव में वीबीएसवाई बैठक की महत्ता पर संबोधित किया.

श्री पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, श्री डीबीएस रामा राव, क्षेत्रीय प्रबंधक, निर्मल ने कड़ताल शाखा के सिद्दुलकुंटा गाँव में वीबीएसवाई बैठक में सहभागिता की.

पुरस्कार

- **1. पीएफआरडीए :** हमारे बैंक ने एपीवाई पीएफआरडीए द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित 16 अभियानों में अर्हता प्राप्त की.
- मई 2023 से मार्च 2024 के लिए एपीवाई विजेता बुधवार अभियान - II पुरस्कार (वॉन्डरस वॉरियर्स ऑफ विनिंग वेन्स्टे)
- 02.06.2023 से 30.06.2023 तक आरआरबी के चेयरपर्सन के लिए शाइन एण्ड सक्सीड कैम्पेन
- **उत्कृष्टता पुरस्कार**
- 01-07-2023 से 16-08-2023 तक क्षेत्रीय प्रमुखों/ नोडल अधिकारियों के लिए राइज एबव द रेसुट कैम्पेन - उत्कृष्टता पुरस्कार
- 01-09-2023 से 30-09-2023 तक क्षेत्रीय प्रमुखों/ नोडल अधिकारियों के लिए एपीवाई ओल्ड एज फ्रीडम फ़ाइटर्स कैम्पेन - श्रेष्ठ उत्कृष्टता पुरस्कार
- 03.10.2023 से 10.11.2023 तक बैंक के लिए एपीवाई अल्टीमेट चैम्पियन्स कप कैम्पेन - सिल्वर कप
- 01-04-2023 से 31-03-2024 तक एपीवाई सेवा प्रदाता (टीजीबी) के लिए एपीवाई एनुवल अवार्ड कैम्पेन - एपीवाई अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस अचीवर
- **2. संकल्पअभियान:** हमारे बैंक ने 01.10.2023 से 31.12.2023 तक आयोजित "संकल्प" अभियान (प्रायोजित क्षेत्रा बैंकों के लिए भारतीय स्टेट बैंक के कारपोरेट कार्यालय द्वारा आयोजित) में दो उत्पादों अर्थात् पीएमजेडीवाई (193.03%) और पीएमएसबीवाई (100.37%) के तहत अर्हता प्राप्त की है.
- **पीएमजेडीवाई -**
 1. हम अकेले क्षेत्रा बैंक बने जिन्होंने एसबीआई एमडी (सीबी एण्ड एस) से सम्मानित होने की अर्हता प्राप्त की.
 2. अध्यक्ष को एसबीआई एमडी (सीबी एण्ड एस) द्वारा स्मृति चिह्न और प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया गया.
 3. महाप्रबंधक (आईटी व एफआई) को महाप्रबंधक (आरआरबी) के हस्ताक्षर से प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ.
- **पीएमएसबीवाई -**
 1. अध्यक्ष को एसबीआई एमडी (सीबी एण्ड एस) द्वारा स्मृति चिह्न और प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया गया.
 2. महाप्रबंधक (आईटी व एफआई) को महाप्रबंधक (आरआरबी) के हस्ताक्षर से प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ.



प्रायोजक बैंक के साथ सहमति ज्ञापन की तुलना में बैंक का कार्यनिष्पादन:

वर्ष 2023-24 के लिए प्रायोजक बैंक के साथ निष्पादित सहमति ज्ञापन के अनुसार मानदंडों के संबंध में बैंक की स्थिति निम्नानुसार प्रस्तुत है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक सहमति ज्ञापन								
(₹ करोड़ में)								
क्रम.स	विवरण	31.03.2022 तक वास्तविक	31.03.2023 तक वास्तविक		31.03.2024 तक का एमओयू सतर		31.03.2024 तक की उपलब्धि	
		राशि	राशि	वृद्धि %	राशि	प्रस्तावित एमओयू	वास्तविक स्तर	वृद्धि
1	जमाराशियाँ:							
	(अ) कुल जमाराशियाँ	11039.79	12610.33	14.23%	14000.33	11%	14194.81	12.56%
	इनमें से (i) कासा जमाराशियाँ	4307.23	4287.81				5142.04	19.92%
	(आ) कासा (%)	39.02%	34.00%		36.00%		36.22%	2.22%
2	अग्रिम:							
	(अ) कुल अग्रिम	11272.87	12893.87	14.37%	14828.00	15%	14840.69	15.11%
	(आ) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को न्यूनतम ऋण	81.30%	78.81%		---	75%	79.60%	---
	(इ) आवास ऋण	1243.53	1608.62	29.31%	1937.62		2023.12	25.77%
	(ई) स्वर्ण ऋण	1092.71	1392.40	27.38%	1812.40		1672.46	20.11%
3	अनर्जक आस्तियाँ							
	(अ) सकल एनपीए (%)	2.39%	2.05%		---	< 2.50%	1.78%	-0.27%
	(B) एससीए/ बड़े खाते से बसूली (₹ करोड़)	1.73	2.24	29.48%	4.40	आधार स्तर से 10% अधिक (घोषाघोड़ी को छोड़कर)	3.35	1.11%
4	आय और व्यय:							
	(अ) अन्य आय	274.34	254.76	-7.68%	285.00	11.86%	269.95	5.96%
5	लाभ और हानि:							
	(अ) निवल लाभ/ हानि (कर पश्चात्)	373.16	449.37	20.42%	525	16.83%	529.08	17.73%
6	महत्वपूर्ण अनुपात और दक्षता मानदंड							
	(अ) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ करोड़)	13.82	14.63		---	16.00	15.71	15.71%
	(आ) अग्रिमों पर प्रतिफल	10.14%	10.01%		---	9.95%		9.93%
	(इ) जमाराशियों की लागत	4.68%	4.78%		---	4.55%		5.51%
	(ई) निवल ब्याज मार्जिन	4.58%	4.66%		---	5.00%		4.16%
	(उ) प्रावधान कवरेज अनुपात	100.00%	100.00%		---	70.00%		100%
	(ऊ) व्यय अनुपात	33.97%	37.93%		---	35%		35.14%



वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक सहमति ज्ञापन (₹ करोड़ में)								
क्रम.स	विवरण	31.03.2022 तक वास्तविक	31.03.2023 तक वास्तविक		31.03.2024 तक का एमओयू सतर		31.03.2024 तक की उपलब्धि	
		राशि	राशि	वृद्धि %	राशि	प्रस्तावित एमओयू	वास्तविक स्तर	वृद्धि
	(ए) आस्तियों पर प्रतिलाभ	2.34%	2.62%		—	2.50%		2.42%
	(ऐ) आरओई	27.10%	25.48%		—	23.30%		23.41%
	(ओ) ऋण जमा अनुपात	102.11%	102.24%		—	105.93%		104.55%
7	बचत बैंक/चालू खाता खाते	186451	172045		—	189250	179287	—
8	मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण	27763	36687	32.14%	—	40360	51946	41.59%
9	नए खोले गए खातों का यी-केवाईसी %	17000	29230		—	20%	29230	12.84%
10	अटल पेंशन योजना	74867	111001	140.16%	—	34160	47878	119.78%
11	प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना	136354	154606	105.26%	—	294794	317830	107.81%
12	प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	120044	124283	129.14%	—	142694	178723	125.25%



प्रति विक्रय

एस बी आईजीवन बीमा:

गैर-ब्याज आय अर्जन के साथ-साथ, बैंक के ग्राहकों की जीवन बीमा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन लिमिटेड के कारपोरेट एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने ₹ 39.35 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष ₹ 44.23 करोड़ के फ्रेश एड्जेस्टेड रेटेड प्रीमियम का संग्रहण किया और ₹ 8.19 करोड़ का कमीशन अर्जित किया जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 30.26 करोड़ का फ्रेश एड्जेस्टेड रेटेड प्रीमियम संग्रहित किया था और ₹ 6.47 करोड़ का कमीशन अर्जित किया था।

एसबीआई सामान्य बीमा:

वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने ₹ 34.00 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष ₹ 33.73 करोड़ के प्रीमियम का संग्रहण किया और ₹ 3.51 करोड़ का कमीशन अर्जित किया जबकि पिछले वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने ₹ 23.68 करोड़ का प्रीमियम संग्रहित किया था और ₹ 2.46 करोड़ का कमीशन अर्जित किया था।

सुरक्षा उपाय – सीसीटीवी, बर्लर अलार्म सिस्टम और अग्निशामक उपकरणों की व्यवस्था:

डकैती इत्यादि की बढ़ती घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए बैंक की आस्तियों, ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा के ही एक भाग के रूप में बैंक ने अपनी सभी शाखाओं में सीसीटीवी प्रणालियाँ (निगरानी), बर्लर अलार्म प्रणालियाँ और अग्निशामक उपकरण उपलब्ध कराए हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विकसित आई.टी. की पहलें

I. सी-एड्ज के साथ समन्वय से नई आईटी की पहलों को कार्यान्वित किया गया है -

1. लोन ओरिजिनेटिंग सिस्टम (एलओएस)

हमारे एसपी मेसर्स सी-एड्ज ने मेसर्स ईजी.एआई के साथ समन्वय से एलओएस विकसित किया और उसे हमारे सीबीएस के साथ एकीकृत किया है तथा प्रयोग के रूप में केसीसी का कार्यान्वयन किया है।

2. वॉट्सएप बैंकिंग सेवाएं

- ★ वॉट्सएप बैंकिंग, ग्राहकों को अनेक प्रकार की गैर-वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, जो ग्राहकों को उनकी उंगली की हरकत मात्र से ही अनेक बैंकिंग विशिष्टताओं तक पहुंचा देती है।
- ★ ग्राहकों को अपने फोन में बस एक वॉट्सएप बैंकिंग नंबर सेव करना होगा, जो है "9278031313". इसके बाद सेट-अप प्रक्रिया शुरू करने के लिए उन्हें वॉट्सएप के माध्यम अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से इन नंबर पर एक 'Hi' संदेश भेजना होगा।

★ वॉट्सएप बैंकिंग में निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं-

- क) खाता सेवाएं
- ख) लोकेशन सेवाएं
- ग) शिकायत निवारण
- घ) दरों की सूचनाएं (ब्याज की दरें और प्रभार).

3. आधार ओटीपी के माध्यम से यूपीआई ऑनबोर्डिंग

इस अभिनव दृष्टिकोण से ग्राहकों को आधार-आधारित प्रमाणीकरण (ओटीपी) के माध्यम से अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर यूपीआई सक्रिय करने की सुविधा मिल जाती है, जिसमें डेबिट कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

4. यूपीआई-अंतरप्रचालनीय कार्ड-रहित नकदी आहरण (आईसीसीडल्यू)

इस अभिनव दृष्टिकोण से एटीएम से यूपीआई के माध्यम से नकदी आहरण की जा सकती है जिससे डेबिट कार्ड की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है।

5. इंटरनेट बैंकिंग/ मोबाइल बैंकिंग में निम्नलिखित सेवाएं सक्षम की गईं

- क) पीएम योजनाओं में ऑनलाइन नामांकन
- ख) एफडी/ आरडी खातों का ऑनलाइन खोला और बंद किया जाना।

II. बैंक में ही विकसित नई आईटी की पहलें

अग्रिम:

1. केसीसी आईएसएस पूरी तरह से स्वचालित मोड में

★ केसीसी का स्वचालीकरण - ब्याज सहायता योजना के आंकड़ों की प्रस्तुति 2 चरणों में:

- (i) किसान विवरण - प्रत्येक किसान के लिए एक बार
- (ii) ऋण विवरण - एक ही किसान को मंजूर सभी ऋण, ब्याज सहायता (आईएस) और समय पर चुकौती हेतु प्रोत्साहन (पीआरआई) के दावों की एपीआई के माध्यम से प्रस्तुति के लिए एक मिडिलवेयर विकसित किया गया है।

2. केसीसी/ स्वर्ण ऋण दस्तावेजीकरण में पूर्व में भरे हुए एसएसएस नामांकन फॉर्मों का ऑटो-जनरेशन

दस्तावेजीकरण चरण के दौरान, विभिन्न सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में ग्राहक की स्थितियों का आकलन होता है और ग्राहक की आयु के आधार पर पात्र योजनाओं के पूर्व में भरे हुए नामांकन फॉर्म स्वतः तैयार हो जाते हैं।



3. स्वर्ण ऋणों का द्वितीय मूल्यांकन

सभी स्वर्ण ऋणों के पुनः मूल्यांकन विवरणों को कैप्चर करने के लिए निम्नानुसार ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई:

क. शाखा प्रबंधक तिमाही के दौरान मंजूर किए गए सभी स्वर्ण ऋणों के पुनः मूल्यांकन के विवरण उपलब्ध कराएंगे.

ख. क्षेत्रीय प्रबंधक तिमाही में एक बार उनकी प्राप्ति की पुष्टि करेंगे.

4. केसीसी डेटा डैशबोर्ड

31.03.2021 से पहले संवितरित किए गए केसीसी ऋणों के भूमि संबंधी विवरणों जैसे पट्टाकृत भूमि, आबंटित भूमि और हलफनामा भूमि आदि का पता लगाने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया.

5. टीजीबी महिला मुद्रा योजना

हमारे बैंक ने एक नया स्मॉल टिकेट एमएसएमई ऋण उत्पाद शुरू किया है जिसका लक्ष्य हैं छोटे व्यवसाय चलाने वाले स्वयं सहायता समूह सदस्य, पूरी प्रक्रिया डिजिटाइज्ड है. आवेदन भरने से लेकर दस्तावेजीकरण और मंजूरी तक पूरी प्रक्रिया डिजिटाइज्ड है. पेंडेंसी, वृद्धि और अन्य मापदंडों के अनुपवर्तन के लिए एक संपूर्ण डैशबोर्ड सृजित किया गया है. संवितरण का डेटा सीजीएफएमयू डैशबोर्ड तक पहुंचेगा ताकि गारंटी कवर से संबंधित औपचारिकताएं पूरी हो सकें.

6. केसीसी किसान उत्सव 2.0:

"केसीसी-किसान उत्सव 2.0" अभियान को 17 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 तक की अवधि के केसीसी खातों के नवीकरण के लिए विकसित किया गया.

7. अपना कारोबार अभियान

"अपना कारोबार अभियान" टीजीबी-महिला मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म ऋणों के लिए शुरू किया गया था.

8. किसान कल्याण - मिशन 500

यह केसीसी खातों की वसूली और नवीकरण के लिए अभियान था. अवधि थी 16-10-2023 से 30-11-2023 तक.

9. एचडीएफ केसीसी अभियान

01 मई 2023 से 31 मार्च 2024 तक केसीसी पशुपालन, डेयरी और मात्सिकी (एचडीएफ) अभियान

10. टीजीबी स्वर्ण कलश

स्वर्ण ऋण अग्रिमों में वृद्धि को प्रेरित करने के लिए 30.01.2024 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए एक नए अभियान "टीजीबी-स्वर्ण कलश स्वर्ण ऋण अभियान" की शुरुआत की गई ताकि स्वर्ण ऋणों में ₹ 464.52 करोड़ के बजट अंतराल को पूरा किया जा सके.

11. महिला महोत्सव

इस अभियान को सीसी-एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण वितरण में सुधार के माध्यम से एसएचजी पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए 01.07.2023 से 30.09.2023 तक चलाया गया.

12. टीबीएल पोर्टल

टीबीएल (टीबीएल व्यवसाय ऋण) पोर्टल के अंतर्गत एमएसएमई ऋण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संसाधित की जाती है. आवेदन भरने से लेकर दस्तावेजीकरण और मंजूरी तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है. सिस्टम सभी महत्वपूर्ण अनुपातों की गणना स्वतः करता है और दस्तावेज को एमएच में मंजूरी हेतु फ्लो करने से पहले मूलभूत पात्रता की जांच करता है.

विभिन्न योजनाओं जैसे सीजीटीएमएसई, सीजीएफएमयू, पीएमएमवाई, एसटीएपी, एससीएपी, एसयूआई, पीएमएफएमई, पीएमईजीपी के तहत मंजूर ऋणों को ट्रैक करने के लिए डैशबोर्ड निर्मित किया गया है. दस्तावेज का प्रवाह विवेकाधिकार पर आधारित होगा. नमूना प्रवाह इस प्रकार है यथा शाखा स्टाफ -> शाखा प्रबंधक -> एमएच संसाधक अधिकारी -> एमएच प्रबंधक -> एसएमओ -> एसएमबी -> एचओसीसी-II-> एचओसीसी-I.

13. महिला शक्ति अभियान की दैनिक प्रगति

अवधि: 15.07.2023 से 15.08.2023. स्टैंड अप इंडिया (एसयूआई) योजना के तहत महिला उद्यमियों ऋण, शाखावार प्रगति, क्षेत्रवार सारांश.

14. एमएसएमई यूआरएन अपडेशन

सभी एमएसएमई के लिए यूआरएन के अपडेशन के लिए पोर्टल, शाखाएं खातों के लिए यूआरएन भरेंगी. क्षेत्रवार लंबित मामलों का सारांश दिया जाता है. घटकवार प्रगति भी जाती है जैसे एसएचजी, फेरी वाले, टीबीएल, टीएमएमवाई आदि.

15. अग्रिमों के प्रमुख घटकों में प्रगति

सभी प्रमुख घटकों की प्रगति इसमें दी गई है. इसमें शामिल घटकों - एसएचजी, जेएल, केसीसी, एचएल, एचएल टॉप अप, एटीएल, एफटीडी, एमटीडी, वाईटीडी का डेटा डिस्प्ले किया जाता है. एक अलग मार्किंग यथा धनात्मक वृद्धि के लिए हरे रंग में और ऋणात्मक वृद्धि के लिए लाल रंग की मार्किंग उपलब्ध कराई गई है.

16. क्षेत्रवार वाईटीडी डाटा

अग्रिमों में घटकों के आंकड़े क्षेत्रवार दर्शाए जाते हैं. प्रत्येक घटक और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक ही पृष्ठ पर वाईटीडी उपलब्ध कराई गई है. प्रबंधन एक ही नजर में आंकड़े देख सकते हैं जैसे कौनसा क्षेत्र किन-किन घटकों में अच्छा कार्यनिष्पादन कर रहा है.



17. ऋण माफी आंकड़े

उन खातों की सूची प्रबंध सूचना प्रणाली में रखी जाती है जिनमें ऋण माफी की राशि प्राप्त हुई है। शाखाओं के लिए उन खातों को नवीकृत करने हेतु यह एक सरल दिशासूचक बन जाती है जिन खातों में ऋण माफी की राशि जमा होती है, बसूली में सुविधा हो इसके लिए एनपीए खातों को हाइलाइट किया जाता है। इस सुविधा ने हमें प्रगति की ट्रैकिंग करने और राज्य सरकार को नियमित रिपोर्टें प्रस्तुत करने में सहायता की है।

18. मुद्रा पोर्टल के आंकड़े

मुद्रा पोर्टल में मुद्रा ऋणों की सामाहिक प्रगति प्रस्तुत करनी होती है। डाटा को विभिन्न सामाजिक और भौगोलिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। हमने इस पोर्टल को विकसित करके इस कार्य को सरल बनाया है ताकि प्रत्येक सप्ताह अपलोड करने लायक एक फॉर्मेट जनरेट हो सके।

सामान्य बैंकिंग/समाधान/एडीसी:

19. धन वृद्धि - चालू खाता बचत खाता प्रगति

अवधि: 01-04-2023 से 31-07-2023 धन वृद्धि 1.0

अवधि: 01-10-2023 से 31-12-2023 धन वृद्धि 2.0

20. शाखाओं में कासा वृद्धि के लिए अभियान

खोले गए चालू और बचत खातों की संख्या इस अभियान का माप होती है। प्रगति के क्षेत्रवार और शाखावार डाटा को कार्यान्वित किया गया है।

21. टीजीबी व्यापार अभियान

अवधि: 01-07-2023 से 31-08-2023. चालू खातों की वृद्धि के लिए अभियान. दिनांक-वार खोले गए चालू खातों की सूची इसका माप होती है। प्रत्येक दिन, खोले गए खातों की सूची संचयी गिनती सहित दर्शाई जाती है। क्षेत्रवार सारांश भी उपलब्ध होता है।

22. मीट एण्ड ग्रीट कैम्पेन डैशबोर्ड

अवधि: 09-07-2023 से 30-09-2023. यह अभियान देयता और आस्ति उत्पादों के लिए अवसर जनरेट करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें शाखाओं द्वारा अवसरों की प्रविष्टि की जानी होती है। इसमें क्षेत्र-वार और शाखा-वार सारांश सृजित करने की सुविधा दी गई है।

23. अचल आस्तियों का पोर्टल

अचल आस्तियों के विवरणों का रखरखाव करने के लिए इस पोर्टल का विकास किया गया है। इसमें शाखा-वार, श्रेणी-वार और वित्तीय वर्ष वार अचल आस्तियों का वर्गीकरण किया गया है ताकि मूल्यहास की गणना की जा सके। इस पोर्टल में नई आस्ति की अधिप्राप्ति और आस्तियों के निपटान के लिए भी मॉड्यूल उपलब्ध है।

24. निवेश पोर्टल

आस्तियों अथवा देयताओं को दर्शाने के लिए इस पोर्टल का सृजन किया गया है। इसमें आस्तियों/ देयताओं यथा बॉण्डों, म्यूचुअल फंडों, अन्य बैंकों के टीडीआरों, एसएलआर निवेशों को जोड़ने का विकल्प दिया गया है। इससे बैंक को दैनंदिन आधार पर तरलता की स्थिति की निगरानी करने में सहायता होगी।

वित्तीय समावेशन:

25. जन सुरक्षा अभियान

वित्तीय समावेशन विभाग द्वारा शुरू की गई पीएम योजनाओं के अंतर्गत सभी पात्र ग्राहकों को शामिल करने हेतु जन सुरक्षा अभियान की प्रगति का अनुप्रवर्तन करने के लिए एक पेज विकसित किया गया।

26. नारी शक्ति 3.0 अभियान

वित्तीय समावेशन विभाग द्वारा शुरू की गई पीएम योजनाओं के अंतर्गत सभी महिला ग्राहकों को शामिल करने हेतु नारी शक्ति 3.0 अभियान की प्रगति का अनुप्रवर्तन करने के लिए एक पेज विकसित किया गया।

27. रेतु मित्र 2.0 अभियान

वित्तीय समावेशन विभाग द्वारा शुरू की गई पीएम योजनाओं के अंतर्गत सभी केसीसी ग्राहकों को शामिल करने हेतु रेतु मित्र 2.0 अभियान की प्रगति का अनुप्रवर्तन करने के लिए एक पेज विकसित किया गया।

28. जनधन 2.0 अभियान

वित्तीय समावेशन विभाग द्वारा नए पीएमजेडीवाई खाते खुलवाने के लिए शुरू किए गए जन धन मित्र 2.0 अभियान की प्रगति का अनुप्रवर्तन करने के लिए एक पेज विकसित किया गया।

29. दस का दम अभियान

वित्तीय समावेशन विभाग द्वारा शुरू किए गए दस का दम अभियान की प्रगति का अनुप्रवर्तन करने के लिए एक पेज विकसित किया गया।

30. पेंशन विदाउट टेंशन

वित्तीय समावेशन विभाग द्वारा एपीवाई योजना के लिए शुरू किए गए पेंशन विदाउट टेंशन अभियान के अंतर्गत प्रगति का अनुप्रवर्तन करने के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया गया।

31. एफएलसी/एफडीएलसी बैठक

एफएलसी/ एफडीएलसी द्वारा आयोजित बैठकों से संबंधित विवरण अपडेट करने और चित्रों को अपलोड करने के लिए एक मॉड्यूल विकसित किया गया।



32. केसीसी/स्वर्ण ऋण सोर्स करने वाले सीएसपी का विवरण

उन ग्राहक सेवा प्रदाताओं के विवरण ऑनलाइन कैप्चर करने हेतु प्रावधान दिया गया जिन्होंने केसीसी और / अथवा स्वर्ण ऋणों के लिए ग्राहक अर्जित किए,

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली:

33. टॉगल-प्रधान कार्यालय में स्टाफ की उपस्थिति

विभागाध्यक्षों को अपने विभागों में कार्यरत स्टाफ सदस्यों की उपस्थिति मार्क करने का विकल्प प्रदान किया गया है, यथा उपस्थिति / इयूटी पर/छुट्टी पर.

34. एचआरआईएस - शाखा प्रबंधकों / आरबीओ / प्रका के अधिकारियों के लिए मोबाइल हैंडसेटों की खरीद

वे शाखा प्रबंधक जिनकी मोबाइल हैंडसेट खरीदने की वैधता 4 वर्ष से अधिक की हो गई है वे अपनी पात्रता के अनुसार नए मोबाइल हैंडसेट की खरीद की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. आरबीओ / प्रका में पदस्थापित अधिकारी ऑनलाइन अनुमोदन मांग सकते हैं. अनुमोदन के पश्चात् वे अपनी पात्रता के अनुसार नए मोबाइल हैंडसेट की खरीद की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं.

35. आयकर के लिए स्टाफ की सहमति

वित्तीय वर्ष हेतु टीडीएस की कटौती के लिए स्टाफ से आयकर विकल्प प्राप्त करने की वर्ष की एक बार की गतिविधि.

36. मेडिकलेम बीमा पॉलिसी के लिए स्टाफ आश्रित विवरण

वित्तीय वर्ष हेतु मेडिकलेम पॉलिसी का उपयोग करने के प्रयोजन के लिए स्टाफ के आश्रितों के विवरणों को संशोधित करने की वर्ष की एक बार की गतिविधि.

37. टॉगल-एक्सेस प्रिविलेज

विभागों के अध्यक्षों को बीओजी / वाट्स न्यू / बैनर पोस्ट करने के लिए एक्सेस प्रिविलेज. सभी विभागाध्यक्षों को टॉगल में अपने विभाग की विशिष्ट गतिविधियों से संबंधित बीओजी / वाट्स न्यू / बैनर पोस्ट करने / उन्हें एडिट करने के अधिकार दिए गए.

38. लीगों/अभियानों की लाइव स्ट्रीमिंग

विभिन्न अभियानों के लिए मैच डे के दौरान दो क्षेत्रों / तीन क्षेत्रों बीच आयोजित होने वाली लीग के लिए लाइन अपडेट फीचर के साथ स्कोरकार्ड विकसित किया गया.

39. रीजन 360°

रीजन 360° नियंत्रकों के लिए निम्नलिखित मापदंडों को देखने का एक वन स्टाफ सोल्यूशन है. व्यवसाय मापदंड जैसे अग्रिम, जमाराशियां, एनपीए प्रति विक्रय और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, लंबित विवरण -

बीएमडीपी, वीवीआर, सी-केवाईसी, अपवाद इत्यादि जैसे मूलभूत क्षेत्रीय विवरण.

40. अभियान दर्शक

प्रत्येक अभियान के दर्शकों की सूची तैयार करने के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया गया.

41. बीजीएल बकाया प्रविष्टियां डैशबोर्ड

बीजीएल बकायों की आयु-वार सूची तैयार करने के लिए डैशबोर्ड. शाखा को दैनिक आधार पर बकाया प्रविष्टियों के कारण उपलब्ध कराने पड़ते हैं.

42. हेल्पडेस्क

सुझावों का एकीकरण / आरईसीओएन टूल्स से एपीआई के माध्यम से लेनदेन की स्थिति की स्वतः प्राप्ति.

वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों के आरईसीओएन टूल्स के प्रतिसादों से प्रविष्ट किए गए आरआरएन के विवरण प्राप्त करने के लिए एपीआई का विकास किया गया. इससे शाखाओं को विवाद की नवीनतम स्थिति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा की जाने वाली आगे की कार्यवाई प्राप्त होती है.

43. उड़ान अभियान डैशबोर्ड

8 वर्ष से अधिक के समय से निष्क्रिय रहने वाले खातों के सक्रियण की प्रगति का दैनिक आधार पर अनुप्रवर्तन करने के लिए डैशबोर्ड.

44. डीईएफ खाते 100 डेज़ 100 पेस

100 डेज़ 100 पेस अभियान के अंतर्गत सक्रिय किए गए/ दावे किए गए खातों की स्थिति जानने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया.

45. बीएमडीपी अपडेशन

द्वितीय अधिकारी द्वारा मंजूर ऋण के लिए नोटिंग करने हेतु शाखा प्रबंधक स्तर का विकल्प सक्षम किया गया. एचयूबी द्वारा आरबीओ को मंजूर ऋण को अप्प्रेषित करने के लिए एचयूबी स्तर पर विकल्प सक्षम किया गया.

46. तीनमार अभियान

सभी अनवीकृत एसबीआई सामान्य खातों को प्रबंध सूचना प्रणाली में रखा गया.

शाखाएँ शेष राशियाँ सहित खातों को देख सकती हैं.

शाखाएँ, एसबीआईजी खातों को नवीकृत करने के लिए आंकड़ों का उपयोग कर सकती हैं.

47. किसान उन्नति अभियान

एसबीआई सामान्य बीमा अभियान, 1 जून 2023 से 25 जुलाई 2023 तक.

**48. एसबीआई म्यूचुअल फंड: शुभारंभ**

एसबीआई म्यूचुअल फंडों के लिए 1 मई 2023 से 30 जून 2023 तक अभियान रोल आउट किया गया।

49. एसबीआईजी अनवीकृत डाटा

सभी अनवीकृत एसबीआई जनरल खातों के आंकड़े प्रबंध सूचना प्रणाली में रखे गए।

शाखाएँ शेष राशियों सहित खातों को देख सकती हैं।

शाखाएँ, एसबीआईजी खातों को नवीकृत करने के लिए आंकड़ों का उपयोग कर सकती हैं।

50. टॉगल रीवैम्प

टॉगल को पुराने सर्वर से नए सर्वर में रीवैम्प किया गया है।

पीएचपी और डेटाबेस एमवाईएसक्यूएल में कोड के संस्करणों को अपग्रेड किया गया है।

III. आईबीए टेक्नोलॉजी एवार्ड्स

बैंक को 09.02.2024 को संपन्न आईबीए सम्मेलन में निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए।

1. सर्वोत्तम एआई और एमएल बैंक में विजेता
2. सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी बैंक में उप-विजेता
3. फिनटेक और डीपीआई अपनाने में उप-विजेता
4. सर्वोत्तम डिजिटल प्रयासों में विशेष पुरस्कार

मानव संसाधन प्रबंधन

वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति की स्थिति के अनुसार बैंक की स्टाफ संख्या (इसमें माह मार्च 2024 में सेवानिवृत्ति/ त्यागपत्र के कारण बैंक की सेवा छोड़ने वाले भी शामिल हैं) और उसकी रचना निम्नानुसार है:

क्रम सं.	संवर्ग	31.03.2024
1	अधिकारी वेतनमान - V	4
2	अधिकारी वेतनमान - IV	33
3	अधिकारी वेतनमान - III	104
4	अधिकारी वेतनमान - II	356
5	अधिकारी वेतनमान - I	683
6	कार्यालय सहायक	644
7	कार्यालय परिचारक	24
	कुल	1848

वर्ष के दौरान बैंक की सेवा से 36 स्टाफ सदस्य सेवानिवृत्त हुए, 51 स्टाफ सदस्यों ने त्यागपत्र दिया, 01 स्टाफ सदस्य ने वीआरएस लिया, 02 स्टाफ सदस्यों को बैंक की सेवा से बर्खास्त किया गया और 5 स्टाफ सदस्य दिवंगत हुए।

भर्तियाँ

वर्ष 2009-10 से, बैंक थोरात समिति की सिफारिशों, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मित्रा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार किए गए श्रमशक्ति आकलन के अनुसार आईबीपीएस के माध्यम से स्टाफ की भर्ती करता आ रहा है।

पिछले सात वर्षों में बैंक से उन कर्मचारियों की बड़ी संख्या में सेवानिवृत्तियाँ हुई हैं जो 1980 के दशक के उत्तरार्ध में पूर्व के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्ती हुए थे।

तदनुसार, व्यवसाय परिमाणों के आधार पर 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, बैंक ने विभिन्न ग्रेडों में स्टाफ बढ़ाने के लिए भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की, इसमें सामान्य बैंकिंग और विधि, आईटी, विपणन, सीए इत्यादि जैसे विशेषज्ञताओं वाले अधिकारियों की वेतनमान - II और वेतनमान - III में पार्ष्णिक भर्ती भी शामिल है।

क्रम सं.	संवर्ग	वर्ष के दौरान भर्ती किए गए सदस्यों की सं.
1	कार्यालय सहायक	127
2	अधिकारी वेतनमान - I	68
3	अधिकारी वेतनमान - II	12
4	अधिकारी वेतनमान - III	0

बैंक नए भर्ती हुए स्टाफ सदस्यों को कौशल प्रदान करने और उन्हें सभी क्षेत्रों के इनपुट देने के लिए निरंतर कार्यरत है ताकि वे दिन-प्रतिदिन के कार्यों को अच्छी तरह से संभाल सकें और मौजूदा स्टाफ सदस्यों को फिर से प्रशिक्षित किया जा सके। सभी भर्तियाँ आईबीपीएस द्वारा आयोजित साक्षात्कार सहित सामान्य लिखित परीक्षा के माध्यम से पूरी की गई हैं।

नए और पुराने स्टाफ सदस्यों की संख्या की तुलना:			
वर्ष	नए	पुराने	कुल
2013-14	154	992	1146
2014-15	412	967	1379
2015-16	529	929	1458
2016-17	565	900	1465
2017-18	636	842	1478
2018-19	987	803	1790
2019-20	1085	669	1754
2020-21	1358	373	1731
2021-22	1356	324	1680
2022-23	1509	234	1743
2023-24	1667	181	1848



पदोन्नतियाँ

कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति देने की बैंक की नीति को ध्यान में रखते हुए, हमने 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार श्रमशक्ति आकलन के संदर्भ में पदोन्नति अभ्यास पारंप्र किया और विभिन्न संवर्गों में 201 लोगों को अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया। पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा आईबीपीएस के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की गई।

क्रम सं.	को पदोन्नत	पदों की संख्या
1	अधिकारी वेतनमान - I	60
2	अधिकारी वेतनमान - II	113
3	अधिकारी वेतनमान - III	16
4	अधिकारी वेतनमान - IV	10
5	अधिकारी वेतनमान - V	2
6	कार्यालय सहायक	0
	कुल	201

बैंक ने लिखित परीक्षा से पहले पदोन्नति के लिए पात्र सभी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण देने की वैधानिक आवश्यकता को पूरा किया है। इससे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार लिखित परीक्षा देने के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार करने में सक्षम हुए।

प्रशिक्षण – स्टाफ ज्ञानार्जन केन्द्र

बैंक ने एक प्रशिक्षण नीति निर्धारित कर रखी है जिसके अंतर्गत सभी अधिकारियों को दो वर्ष में कम से कम एक बार और सभी कार्यालय सहायकों को तीन वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षण देने की परिकल्पना की गई है। वर्ष के दौरान, हमारे बैंक ने विभिन्न केंद्रों पर 1260 स्टाफ सदस्यों को भौतिक/ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रतिभागियों में स्टाफ के सभी संवर्ग (अधिकारी-933 और कार्यालय सहायक-327) शामिल थे।

बैंक ने सभी संवर्गों के अधिकारियों को, बर्ड (लखनऊ), भारतीय रिजर्व बैंक (सीएबी, पुणे), बर्ड (मंगलूरु), एसबीआईआरबी, गच्छीबाउली, हैदराबाद एवं बरंगल केंद्रों जैसे प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों में वसूली प्रबंधन, एएमएल ब केवाईसी, आरटीआई अधिनियम, राजकोष प्रबंधन, व्यवसाय विकास, ऋण मूल्यांकन कौशल, आरिस्ट प्रबंधन हब आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया।

हमारा बैंक महिला कर्मचारियों की ओर निरंतर ध्यान देता आ रहा है। महिलाएं कुल कार्यबल का 25.76 प्रतिशत हैं। बैंक ने संगठन के भीतर महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। महिलाएं

प्रतिभाशाली और अत्यधिक उद्यमी हैं। यह अति प्रसन्नता की बात है कि अधिकतर महिला अधिकारियों ने स्वेच्छा से शाखा प्रमुख और फील्ड अधिकारी के रूप में काम करना स्वीकार किया है। बैंक की विकास गाथा में महिला स्टाफ सदस्यों का योगदान महत्वपूर्ण है।

आंतरिक शिकायत समिति

हमने, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिरोध) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू करके बैंक में महिला कर्मचारियों के लिए कार्य करने का एक सुरक्षित वातावरण स्थापित किया है। यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्य करने के लिए हमने 8 क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालयों और प्रधान कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। हम दोनों वर्गों के कर्मचारियों को एक स्वस्थ और प्रवाहकीय कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए जागरूक करते आ रहे हैं।

स्टाफ कल्याण उपाय

मेडिकलेम पॉलिसी:

भारत सरकार के दिनांक 20.10.2016 के पत्र सं एफ.8/1/ 2015-आरआरबी के अनुसरण में हमारे बैंक ने कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ-साथ उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए अनुसूची IV में वर्णित 10वें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार चिकित्सा बीमा योजना लागू की है। इस योजना में कर्मचारी + पति / पत्नी + आश्रित बच्चे + 2 आश्रित माता-पिता / सास-ससुर शामिल हैं, जिनकी बीमा राशि क्रमशः अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ₹ 4,00,000 और ₹ 3,00,000 है। यदि अस्पताल में भर्ती होने का खर्च बीमा राशि से अधिक का होता है, तो हमने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए क्रमशः ₹ 4.00 लाख और ₹ 3.00 लाख तक के अतिरिक्त व्यय को कवर करने के लिए एक कॉरपोरेट बफर भी लिया हुआ है। इस योजना में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों सहित अनुमोदित अस्पतालों में तुरंत नकदीरहित सुविधा के साथ अस्पताल में बिना किसी परेशानी के प्रवेश की सुविधा के अलावा, 10% बीमा राशि तक के घरेलू उपचार खर्च भी शामिल हैं। इस योजना के तहत स्टाफ के परिवार के सदस्यों सहित लगभग 7407 सदस्यों को शामिल किया गया है।

सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी:

हमारे अधिकांश स्टाफ सदस्य युवा हैं और अक्सर विभिन्न आधिकारिक कार्यों जैसे नकदी प्रेषण, वसूली के लिए फील्ड दौरे, इकाइयों के निरीक्षण, समीक्षा बैठकों इत्यादि के लिए सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं और सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम और जान के खतरे का भी सामना करते हैं।

हमने कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने और स्टाफ सदस्यों के मनोबल को ऊँचा रखने के लिए प्रति कर्मचारी ₹15.00 लाख की सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी ले रखी है।



ग्रेच्युटी, पेंशन और छुट्टी नकदीकरण निधि

बैंक ने ग्रेच्युटी, पेंशन और छुट्टी नकदीकरण के संबंध में प्रावधान संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखा है। 31.3.2024 की स्थिति के अनुसार कुल ग्रेच्युटी के रूप में ₹ 49.30 करोड़, पेंशन के रूप में कुल ₹ 465.65 करोड़ और छुट्टी नकदीकरण के रूप में ₹ 40.90 करोड़ का कॉर्पस रखा है।

औद्योगिक संबंध:

प्रबंधन और अधिकारी संघ व कर्मचारी संघ ने वर्ष के दौरान सामने आने वाले नेमी प्रकार के मुद्दों के अनुकूल समाधान निकालते हुए स्टाफ सदस्यों के कल्याण और बैंक के व्यवसाय के विकास के लिए मिलकर काम किया है। वर्ष के दौरान कार्य का सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण वातावरण बना रहा।

अनुसूचित जाति / जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का कल्याण:

बैंक ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे और भर्ती, पदोन्नति आदि से संबंधित पहलुओं में वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया। बैंक ने कल्याण संघों के प्रतिनिधियों और उनके संपर्क अधिकारियों के साथ उनकी शिकायतों के निवारण के लिए नियमित बैठकें आयोजित कीं। बैंक ने कर्मचारियों के मनोबल और अभिप्रेरणा को ऊँचा बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाए हैं।

सेवानिवृत्ति लाभों का निपटान:

बैंक ने यह नीति बना रखी है कि सभी सेवानिवृत्ति लाभों का निपटान स्टाफ सदस्यों की सेवानिवृत्ति की तिथि पर ही पूरा कर लिया जाए। यह प्रक्रिया सेवानिवृत्ति से दो महीने पहले शुरू हो जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवानिवृत्ति की तिथि पर भुगतान करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी हो सकें।

स्टाफ सदस्यों को पेंशन का भुगतान:

बैंक ने सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों / सेवानिवृत्त और दिवंगत स्टाफ सदस्यों के आश्रितों को 01.04.2018 से प्रभावी पेंशन के भुगतान के लिए भारत सरकार के दिनांक 23 अक्टूबर 2018 के पत्र संख्या एफ. 20/2010-आरआरबी में निहित अनुदेशों को लागू किया है। बैंक ने 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार पेंशन के भुगतान की देयता पूरी करने के लिए ₹ 465.65 करोड़ का प्रावधान (बीमांकिक मूल्य पर) किया है।

अनुकंपा के आधार अनुकंपा नियुक्ति की योजना:

बैंक ने दिनांक 31.12.2018 के अपने पत्र संख्या 7/38/ 2014-आरआरबी के माध्यम से भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसरण में

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लागू योजना के अनुसार अपने यहां अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए संशोधित मॉडल योजना लागू की है। हमारे बैंक में दोनों विकल्प मौजूद हैं अर्थात् अनुकंपा नियुक्ति / अनुकंपा नियुक्ति के बदले एकमुश्त अनुग्रह राशि का भुगतान।

नई पहलें:

त्यौहार अग्रिम:

स्टाफ त्यौहार अग्रिम का ऑनलाइन संसाधन और मंजूरी, पात्र होने पर स्टाफ के लिए पात्र राशि के साथ आवेदन विंडो खुल जाती है और वे आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मंजूरी करने वाले प्राधिकारी अनुरोध को अनुमोदित करते हैं और संबंधित शाखा को सूचित करते हैं। संबंधित शाखा प्रबंधक ऋण का संवितरण करते हैं और प्रक्रिया पूरी करते हैं।

चिकित्सक (डॉक्टर) - स्टाफ रिश्तेदार:

हमारे स्टाफ के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है ताकि वे उनके परिवार में यदि कोई डॉक्टर हों तो उनके विवरण अपडेट कर पाएं जिससे कि अन्य स्टाफ चिकित्सा संबंधी अपनी आवश्यकताओं में उनसे संपर्क कर पाएं।

ब्रीफकेस भत्ता - ब्रीफकेस भत्ते के लिए स्टाफ द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रस्तुति को सक्षम कर दिया गया है।

वार्षिक पीएल नकदीकरण - पीएल नकदीकरण के लिए स्टाफ द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रस्तुति को सक्षम कर दिया गया है।

ज्ञानार्जन और पीएलआई बकाए - ज्ञानार्जन भत्ते और पीएलआई के लिए प्रदत्त बकायों के विवरणों पर रिपोर्ट।

वार्षिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति - वार्षिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ते के लिए स्टाफ द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रस्तुति को सक्षम कर दिया गया है।

विशेष स्थानांतरण - कार्मिक विभाग के अनुसार, एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले स्टाफ सदस्यों और चिकित्सकीय कारणों से विशेष स्थानांतरण के अनुरोध को टॉगल में सक्षम कर दिया गया है।

मोबाइल हैंडसेट - मोबाइल हैंडसेट भत्ते के लिए स्टाफ द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रस्तुति को सक्षम कर दिया गया है।

निदेशक मंडल:

बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल की 7 बैठकें आयोजित कीं।

स्थानांतरण / सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की रचना में निम्नानुसार परिवर्तन हुए हैं और उनके स्थान पर नए अधिकारियों को नामांकित किया गया है:

1. श्री अनिल कुमार कलभोरे, सहायक महाप्रबंधक (एफआईडीडी), भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद के स्थान पर श्री उमेश रामलिंग स्वामी, सहायक महाप्रबंधक (आईबीडी), भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद को भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया।
2. श्री एम रघुनंदन राव, कृषि आयुक्त, तेलंगाना के स्थान पर श्री बी गोपी, कृषि निदेशक, तेलंगाना को तेलंगाना सरकार के आदेशों के अनुसार तेलंगाना राज्य सरकार की ओर से निदेशक के रूप में नामित किया गया।

बैंक, रिपोर्ट के वर्ष के दौरान पदत्याग करने वाले निदेशकों द्वारा अपनी बहुमूल्य सेवाएँ और मार्गदर्शन प्रदान करने के प्रति सराहना और आभार अभिलेखबद्ध करता है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह:

"भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" के प्रमुख विषय के साथ बैंक में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालयों और सभी शाखाओं में सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया।

सभी स्टाफ सदस्यों द्वारा पूरी स्फूर्ति और उत्साह के साथ प्रायोजक बैंक के निर्देशों के अनुसार सभी गतिविधियों का आयोजन किया गया और हमने अनंतिम लक्ष्यों के अनुसार सभी उद्देश्यों को प्राप्त किया।

बैंक ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जागरूकता ग्राम सभाओं, वाद-विवादों / भाषणों / परिचर्चाओं, परिवार निवारण शिविरों इत्यादि का आयोजन किया, प्रमुख स्थानों पर बैनर लगाए, नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं पर सभी स्टाफ सदस्यों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया, इत्यादि।

सभी स्टाफ सदस्यों और ग्राहकों को अपने दैनंदिन कार्यों में सतर्क रहने हेतु सुग्राही बनाने के लिए सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और समीक्षा बैठकों में एक सत्र का आयोजन किया गया।

बैंक ने प्रमुख स्थानों पर पिडपी के तेलुगु और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के बैनर और पोस्टर लगाए और "पिडपी (लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण)" के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए अभियानों का आयोजन किया।

कामकाज का निर्बाध और प्रभावशाली रूप से चलता रहना सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को आवश्यक सामर्थ्य और कौशल का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक होता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2023 के अवसर बैंक ने क्लास रूम आधारित और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के

माध्यम टीओटी (ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स) के अंतर्गत प्रशिक्षित अधिकारियों के माध्यम से सभी स्टाफ के लिए नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण आयोजित किए।

व्हिसल ब्लोअर नीति:

विजिल (व्हिसल ब्लोअर) तंत्र कामकाज के दौरान उच्चतम नैतिक, सदाचारी और व्यावसायिक मानकों को सुनिश्चित करने और बैंक के भीतर कॉरपोरेट अभिशासन की एक स्थायी और मजबूत संस्कृति का निर्माण करने के लिए होता है। इस नीति का उद्देश्य बैंक के सभी कर्मचारियों को अवैध, अनैतिक या अनुचित कार्यों, व्यवहारों अथवा पद्धतियों की संभावित अथवा वास्तविक घटना को प्रतिशोध से डरे बिना रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना है। कर्मचारी इस नीति के माध्यम से अनियमितताओं, कदाचारों और अन्य दुष्कर्मों पर अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकते हैं। बैंक में व्हिसल ब्लोअर नीति वर्ष 2006 से प्रचलन में है।

तेलंगाना ग्रामीण बैंक

PUBLIC INTEREST DISCLOSURE & PROTECTION OF INFORMER RESOLUTION, 2004 (PIDPI)

WHAT IS PIDPI?

- PIDPI is a resolution of Government of India
- Identity of the complainant is kept confidential for all complaints lodged under it

HOW IS PIDPI COMPLAINT FILED?

- The complaint should be addressed to secretary, CVC and the envelope should be superscribed as "PIDPI"
- Name and address of the complainant should NOT be mentioned on the envelope but in the letter inside in a closed cover

GUIDELINES TO ENSURE IDENTITY OF COMPLAINANT REMAINS CONFIDENTIAL

- Complaints that are personally related to the complainant or addressed to other authorities may lead to disclosure of identity
- Complaints should not be sent in open condition or on public portal.
- Documents that reveal identity should not be enclosed or mentioned in the complaint e.g.: documents received under RTI
- Name and address should be mentioned on the letter inside the envelope for confirmation purposes.
- Complaints where confirmation is not received are closed.
- Anonymous/pseudonymous letters are not entertained

VIGILANCE AWARENESS WEEK 2023

For more details visit <https://www.cvc.gov.in>



आभारोक्तियां

बैंक का निदेशक मंडल, बैंक द्वारा किए गए प्रयासों के प्रति अपनी सराहना अभिलेखबद्ध करता है, जिससे वे बेहतर कार्यनिष्पादन प्रदर्शित करने में सक्षम हुए। बैंक के निदेशक गण बैंक के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए उन ग्राहकों से निरंतर प्राप्त विश्वास और संरक्षण के प्रति भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। निदेशक मंडल भविष्य में भी अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है।

निदेशक गण बैंक के विकास के लिए प्रत्येक स्तर पर मिले मूल्यवान सहयोग के लिए भारत सरकार, तेलंगाना सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

बैंक का निदेशक मंडल समय-समय पर बैंक को मिले बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रति भी असीम आभार प्रकट करता है।

बैंक का निदेशक मंडल पूर्व के आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, रंगारेड्डी और हैदराबाद जिलों के कलेक्टरों और जिला मजिस्ट्रेटों और जिला प्रशासन से हमेशा प्राप्त हुए लगातार सहयोग के प्रति भी आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल बैंक की लेखापरीक्षा को समय पर पूरा करने में केंद्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों मेसर्स एम. भास्कार राव एण्ड कं. और शाखा लेखापरीक्षकों के सहयोग, मार्गदर्शन और तत्परता के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता है।

बैंक के विकास और कामकाज में समर्पित भागीदारी के लिए बोर्ड बैंक के सभी स्टाफ सदस्यों की सराहना करता है। यह उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि बैंक इस वर्ष के दौरान अच्छा प्रदर्शन कर सका और सहमति ज्ञापन के तहत अनेक मापदंडों के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त कर सका। निदेशक मंडल भविष्य में भी बैंक के समग्र विकास के लिए स्टाफ सदस्यों की अभिप्रेरित भागीदारी और निरंतर प्रयासों की कामना करता है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से,


(वाई शोभा)
अध्यक्ष



स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेबामें

भारत सरकार के माननीय राष्ट्रपति

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

1. अभिमत

हमने तेलंगाणा ग्रामीण बैंक ("बैंक") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि लेखों और नकदी प्रवाह विवरणों, वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरणमूलक सूचनाओं सहित इन वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित से संबंधित विवरणियां शामिल हैं-

- (i) प्रधान कार्यालय;
- (ii) हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 29 शाखाओं; और
- (iii) अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 235 शाखाओं.

जिन शाखाओं की लेखापरीक्षा हमने की है और जिन शाखाओं की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, उनका चयन बैंक ने उसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ("नाबार्ड") द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया है. तुलन पत्र, लाभ हानि खाते और नकदी प्रवाह विवरण में लेखापरीक्षा नहीं की गई 165 शाखाओं की विवरणियां भी सम्मिलित हैं. इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का बैंक के अग्रिमों में हिस्सा 24.96 प्रतिशत है, जमाशायियों में हिस्सा 24.78 प्रतिशत है, ब्याज आय में हिस्सा 24.45 प्रतिशत है और ब्याज व्यय में हिस्सा 22.87 प्रतिशत है.

हमारी राय में और हमें प्राप्त सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976, ("उक्त अधिनियम") भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई"), नाबार्ड द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, निदेशों और दिशानिर्देशों द्वारा अपेक्षित जानकारी देते हैं और बैंक के लिए वांछित तरीके और भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं, और:

- क) अपनी टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र, एक पूर्ण और सही तुलन-पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण सम्मिलित हैं और उसे समुचित रूप से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार बैंक के कार्यकलापों का सही और स्पष्ट चित्र दर्शाया जा सके.
- ख) अपनी टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि लेखा लाभ का सही शेष दर्शाता है; और

- ग) नकदी प्रवाह विवरण, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी के प्रवाहों का सही और स्पष्ट चित्र दर्शाता है.

2. अभिमत का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है. इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का और अधिक विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नाम के खंड में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों के अंतर्गत दिया गया है. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं और साथ ही भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं, के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरण हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसरण में अपनी नैतिक जिम्मेदारियां पूरी की हैं. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा प्रमाण हमने प्राप्त किए हैं वे हमारे अभिमत को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

3. मामलों पर जोर

स्वयं सहायता समूहों को दिए गए अग्रिमों को जमानती और गैर-जमानती ऋणों के रूप में वर्गीकृत करने के तरीके पर टिप्पणी सं.18.5.घ.

4. लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे

हमारे व्यावसायिक मत के अनुसार लेखापरीक्षा से संबंधित प्रमुख मद्दे वे हैं जो वर्तमान अवधि के लिए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे. इन मद्दों पर वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र आधार पर विचार किया गया है और उन पर अपने अभिमत पर पहुंचने में हम प्रमुख लेखापरीक्षा मद्दों पर अलग अभिमत नहीं देते हैं.

हमारे व्यावसायिक मत के अनुसार लेखापरीक्षा से संबंधित प्रमुख मद्दे वे हैं जो 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे. इन मद्दों पर एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र आधार पर विचार किया गया है और उन पर अपने अभिमत पर पहुंचने में हम प्रमुख लेखापरीक्षा मद्दों पर अलग अभिमत नहीं देते हैं. हमने अपनी रिपोर्ट में संसूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट किया है.



महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मद	उसे कैसे निपटाया गया है
<p>अग्रिम: अनर्जक अग्रिमों ("एनपीए") की पहचान और अग्रिमों का प्रावधान तथा नाबार्ड और आरबीआई द्वारा जारी आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण मानदंडों ("आईआरएसी") का अनुपालन.</p> <p>बैंक की कुल आस्तियों में ऋणों और अग्रिमों का हिस्सा 62.22% है. वित्तीय विवरणों की नोट सं. 9 देखें.</p> <p>बैंक की लेखांकन नीति (वित्तीय विवरणों के बिंदु सं. 17.ग.2 देखें) के अनुसार इन अग्रिमों का वर्गीकरण और प्रावधानन. आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन (आईआरएसी) मानदंडों और नाबार्ड/ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अन्य परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं.</p> <p>अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान करने के लिए एक समुचित व्यवस्था होनी आवश्यक होती है. बैंक अग्रिमों से संबंधित अपने सभी लेनदेनों की सूचना अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) में दर्ज करता है जिसे कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) कहा जाता है जो इसकी भी पहचान करती है कि अग्रिम अर्जक हैं या अनर्जक हैं. इसके अलावा, अनर्जक आस्ति वर्गीकरण सीबीएस के माध्यम से किया जाता है और आईआरएसी मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का प्रावधानन (अर्जक और अनर्जक) इस प्रणाली से बाहर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे टूल्स के माध्यम से किया जाता है.</p> <p>चूंकि अनर्जक अग्रिमों की पहचान और अग्रिमों के प्रावधानन के लिए आकलन / निर्धारण के उल्लेखनीय स्तर की अपेक्षा रहती है और विनियामक फोकस के कारण समग्र लेखापरीक्षा पर इसके उल्लेखनीय प्रभाव के चलते, हमने अनर्जक अग्रिमों की पहचान और अग्रिमों के प्रावधानन को लेखापरीक्षा का महत्वपूर्ण मामला माना है.</p>	<p>आईआरएसी मानदंडों और भारतीय रिजर्व बैंक / नाबार्ड द्वारा जारी किए गए अन्य संबंधित परिपत्रों / निदेशों और बैंक की आंतरिक नीतियों एवं प्रक्रियाओं के संदर्भ में अग्रिमों के प्रति हमारी लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण में निम्नलिखित का परीक्षण शामिल है:</p> <ul style="list-style-type: none"> • अनर्जक अग्रिमों की पहचान और प्रावधानन से संबंधित बैंक की नीतियों को पढ़ा और आईआरएसी मानदंडों की अनुपालना का आकलन किया. • आईआरएसी पर प्रवर्तमान दिशानिर्देशों के आधार पर अनर्जक खातों पर प्रमुख नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालनगत प्रभावशीलता को समझा. • हमने मौलिक प्रक्रियाओं की प्रकृति, सामयिकता और विस्तार निर्धारित करने के लिए अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता और बैंक की अनुप्रवर्तन व्यवस्था के अनुसार आयोजित की गई विभिन्न लेखापरीक्षाओं (आंतरिक लेखापरीक्षा / संगामी लेखापरीक्षा / सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा / साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा, आदि) एवं नाबार्ड के निरीक्षण के प्रेक्षकों के अनुपालन की जांच की है. • सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा जारी रिपोर्टों, एमओसी, प्रमाणपत्रों और एलएफएआर के प्रेक्षकों की समीक्षा की. • हमें आबंटित शाखाओं के विषय में, आय के निर्धारण, अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के रूप में वर्गीकरण पर नमूना जांच लेखापरीक्षा की प्रक्रिया का प्रयोग किया. • हमने आईटी सिस्टम के बाहर प्रावधानों की गणना, उसकी सटीकता और लेखा बहियों से उसके समाधान के सत्यापन की गहनता से जांच की है. • हमने कोविड 19 संबंधी मामलों के लिए विशेष रूप से जारी परिपत्रों सहित आरबीआई परिपत्रों के अनुसरण में अनर्जक अग्रिमों के वर्गीकरण और प्रावधानन के लिए प्रकटन अपेक्षाओं का भी आकलन किया.

निवेश: निवेशों का वर्गीकरण और मूल्य निर्धारण, अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधानन की पहचान

निवेशों में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बॉण्डों, डिबेंचरों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल हैं। वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 8 देखें।

बैंक की कुल आस्तियों में निवेशों का हिस्सा 10.18% है।

इनका अभिशासन नाबार्ड/ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निदेशों के अनुसार होता है। इन निदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्य-निर्धारण, निवेशों का वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, आय की तदनुसंगी अमान्यता व उसके समक्ष प्रावधानन से संबंधित निदेश शामिल हैं।

उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्य निर्धारण नाबार्ड / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निदेशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना होता है जिसमें विभिन्न स्रोतों से आंकड़ों / सूचनाओं को इकट्ठा करना शामिल रहता है जैसे कि एफबीआईएल दरें, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दरें।

इसके अलावा, बैंक निवेश रजिस्टर का रखरखाव एक्सेल टूल में कर रहा है और सभी गणनाएं भी एक्सेल टूल के माध्यम से ही की जा रही हैं।

मूल्य निर्धारण के कार्य की जटिलताओं और निर्धारण की सीमा, लेन-देन की मात्रा, हाथ में निवेश और नियामक फोकस की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए, इसे लेखापरीक्षा के एक प्रमुख मामले के रूप में निर्धारित किया गया है।

तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेशों के मूल्य निर्धारण, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधानन पर केंद्रित थी।

भारतीय रिजर्व बैंक / नाबार्ड के परिपत्रों / निर्देशों के संदर्भ में निवेशों के प्रति हमारी लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल है:

- हमने निवेश करने संबंधी बैंक की नीतियों को पढ़ा।
- हमने निवेशों, उनके मूल्य निर्धारण, वर्गीकरण, श्रेणियों के बीच अदला-बदली और अनर्जक निवेशों की पहचान के संबंध में प्रमुख नियंत्रणों (एप्लिकेशन नियंत्रण सहित) के डिजाइन और परिचालनगत प्रभावशीलता को समझा।
- हमने अनर्जक निवेशों के मूल्य निर्धारण, वर्गीकरण और पहचान के संबंध में नाबार्ड / भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और उसे समझा।
- हमने निवेशों के बही मूल्य का पता लगाने हेतु विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्रित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया है।
- हमने प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के मूल्य निर्धारण को पुनःनिष्पादित करके नाबार्ड / आरबीआई के निर्देशों की अनुपालना और सटीकता की नमूना जांच की।
- हमने एक्सेल में रखे गए निवेशों और उनसे संबंधित दस्तावेजों का वित्तीय विवरणों के साथ मिलान करते हुए जांच की है ताकि प्रकटीकरण संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक / नाबार्ड के निर्देशों के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
- हमने निवेशों की एचटीएम श्रेणी पर प्रीमियम के परिशोधन की नमूना जांच की।
- हमने एचटीएम और एफएस के बीच निवेशों की श्रेणियों की निवेशों के मूल्य निर्धारण की नमूना जांच की।



प्रबंधन और एकल वित्तीय विवरणों के अभिशासन के लिए प्रभावित व्यक्तियों के दायित्व

- बैंक के निदेशक मंडल का यह दायित्व है कि वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों, आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) एवं भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार इन संलग्न वित्तीय विवरणों को तैयार करे जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों। इस दायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उचित लेखा नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन करना तथा लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे पर्याप्त ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव करना शामिल हैं जिनका परिचालन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित था कि वे धोखाधड़ी या त्रुटि और निष्पक्ष चित्रण करने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए संगत लेखा अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित कर सकें।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय निरंतर चलने वाली संस्था के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता का आकलन करने, निरंतर चलने वाली संस्था से संबंधित मामलों में यथालागू प्रकटन करने और प्रबंधन द्वारा बैंक को परिसमाप्त करने या परिचालनों को बंद करने की मंशा रखने या ऐसा करने के अलावा और कोई व्यावहारिक विकल्प न होने की स्थितियों को छोड़कर लेखांकन को निरंतर आधार पर प्रयोग करते रहने के लिए प्रबंधन और निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व

- हमारा उद्देश्य इस बात का तर्काधारित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण समग्रतः धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हैं और एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। तर्काधारित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन तो है, किन्तु इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानदंडों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा किसी विद्यमान महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता हमेशा लगा ही लेगी। दुष्प्रस्तुतियां धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब वे एकल रूप से या समग्रतः इन वित्तीय विवरणों के

आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को एक तर्कपूर्ण सीमा तक प्रभावित कर सकती हों।

लेखा मानकों के अनुसार, लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में पूरी लेखापरीक्षा के दौरान हम अपनी व्यावसायिक निर्णय क्षमता का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं। साथ ही:

- हम धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोखिमों के प्रतिसाद में लेखापरीक्षा कार्य पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं और उनका कार्यान्वयन करते हैं और महत्वपूर्ण मद्दों के लिए ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त और उपयुक्त होते हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से बड़ा होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, गलत मंशा से उपेक्षा करना, गलत प्रस्तुति आदि शामिल हो सकते हैं या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना की गई हो सकती है।
- हम लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। ऐसा, विद्यमान परिस्थितियों के लिए उचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जाता है।
- हम बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाई जा रही लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।
- हम लेखांकन के 'निरंतर चल रही संस्था' आधार का प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह देखते हैं कि क्या किसी ऐसी घटना या परिस्थिति से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान तो नहीं है जो 'निरंतर चलने वाली संस्था' के रूप में बैंक की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करती हो। अगर हमारा निष्कर्ष यह होता है कि ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकृष्ट करें, अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपने अभिमत को आशोधित करें, हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि भविष्यगत घटनाएं या परिस्थितियां बैंक के निरंतर चलने वाली संस्था नहीं बने रहने का कारण बन सकती हैं।
- हम प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और उनमें निहित विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को इस तरह अभिव्यक्त करते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति का उद्देश्य पूरा हो।

भौतिकता एकल वित्तीय विवरणों में दुष्प्रस्तुतियों का परिमाण होती है जो व्यक्तिगत रूप से अथवा समग्र रूप से, वित्तीय विवरणों को पढ़ने का समुचित ज्ञान रखने वाले उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव डाल सकती है।



हम (i) अपने लेखापरीक्षा के कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचानी गई कोई दुष्प्रस्तुति के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के दायरे और समय की योजना तथा उल्लेखनीय लेखापरीक्षा निष्कर्ष संप्रेषित करते हैं जिनमें आंतरिक नियंत्रण में उन महत्वपूर्ण कमियों को शामिल किया जाता है जो हमारी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान में आती हैं।

हम अनिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को ऐसा अभिकथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने अपनी निष्पक्षता और हमारी निष्पक्षता को समुचित रूप से प्रभावित करने वाले, माने जाने वाले सभी संबंधों तथा अन्य विषयों को उन्हें संप्रेषित करने के संबंध में और जहां प्रयोजनीय हो वहां संबंधित रक्षोपायों के बारे में सभी संगत नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है।

हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को संप्रेषित मर्दों के आधार पर ऐसी मर्दों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हों और इस कारण वे प्रमुख लेखापरीक्षा मर्द हों।

हम इन मर्दों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णित करते हैं जब तक कि विधि या विनियम द्वारा उन मर्दों के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को निषिद्ध न किया गया हो, या जब विरलातिविरल परिस्थितियों में हम यह तय करें कि हमें अपनी रिपोर्ट में उस मद को संप्रेषित नहीं करना चाहिए क्योंकि संप्रेषित करने से सार्वजनिक हित को होने वाले संभावित लाभ ऐसे संप्रेषण के प्रतिकूल परिणामों की अपेक्षा कम होंगे।

8. अन्य मामले

हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 235 शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है इन शाखाओं की वित्तीय विवरणियाँ / वित्तीय सूचनाएं दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार ₹ 9228,76,28 की कुल आस्तियों और उक्त तारीख को ही समाप्त वर्ष के लिए ₹ 1049,72,87.67 हजार के कुल राजस्व को प्रतिबिंबित करती हैं। ये शाखाएं 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 24.96% के अग्रिमों, 24.78% की जमाराशियों और 64.90% की अनर्जक आस्तियों को कवर करती हैं और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 75.55% के राजस्व को कवर करती हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्टें हमें प्रस्तुत की गई हैं। हमारी राय में, इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गई राशियाँ और

प्रकटन, पूरी तरह उन शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ही हैं।

इस मामले में हमारे अभिमत में कोई परिवर्तन नहीं है।

9. अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं

बैंक के तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं।

उपर्युक्त पैरा 5 से 7 में दर्शाई गई लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन रहते हुए और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की अपेक्षाओं के अनुसार तथा उसमें निहित प्रकटन की सीमाओं के अधीन रहते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- क. हमने सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो कि लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक हैं तथा हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
- ख. हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं; और
- ग. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पाई गई हैं।

10. हम सह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

- क. हमारी राय में, बैंक द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए बही खातों की जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक ने विधि की अपेक्षाओं के अनुसार अपने बही खातों का रखरखाव समुचित रूप से किया है और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त रूप से समुचित विवरणियाँ प्राप्त हुई हैं;
- ख. इस रिपोर्ट के अंतर्गत विचार किए गए तुलन-पत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण खाता बहियों के साथ और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियों से मेल खाते हैं जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है;
- ग. बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्टें हमें प्रेषित की गईं और हमने हमारी रिपोर्ट बनाने के लिए उसका समुचित रूप से उपयोग किया है; और
- घ. हमारी राय में, तुलन-पत्र, लाभ और हानि खाता विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखांकन मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं जिस सीमा तक वे भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं।

कृते एम.भास्करा एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफआर 000459एस

ह/-

(एम वी. रमण मूर्ति)

साझेदार

स.सं.206439

यूडीआईएन: 2420643बीकेएसीएक्सईक्सई4874

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 30.04.2024



31.03.2024 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(₹ 000' में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पूंजी और देयताएं			
पूंजी	1	180723	180723
आरक्षित निधियां और अधिशेष	2	24950512	19659758
जमा राशियां	3	141948138	126103278
उधार राशियां	4	64569730	51670526
अन्य देयताएं और प्रावधान	5	2602437	1878529
कुल		234251540	199492814
आस्तियां			
आरबीआई में नकदी और शेष	6	5662407	5144407
बैंकों में शेष राशियां और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	53681034	38228540
निवेश (निवल)	8	23838152	25724927
अग्रिम (निवल)	9	145760169	126291716
अचल आस्तियां	10	501933	488466
अन्य आस्तियां	11	4807845	3614758
कुल		234251540	199492814
आकस्मिक देयताएं	12	697728	402828
वसूली हेतु बिल		0	0

उपर्युक्त अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न हिस्सा हैं।

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स एम. भास्करा राव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000459S

ह/-
(श्री एम.वी.रमण मूर्ति)
भागीदार
सदस्यता सं. 206439

ह/-
(श्री वी.शिव कुमार)
मप्र (आरआबी) एसबीआई कॉर्पोरेट केंद्र
निदेशक

दिनांक : 30.04.2024
स्थान : हैदराबाद

कृते तेलंगाना ग्रामीण बैंक

(श्री टी. चंद्र शेखर)
ह/-

महाप्रबंधक-I

(श्रीमती वाई.शोभा)
ह/-
अध्यक्ष

ह/-
(श्री उमेश रामलिंग स्वामी)
समप्र आरबीआई
निदेशक

ह/-
(श्री बिनोद कुमार सिन्हा)
उमप्र (एबीयू-एसएसएस) एसबीआई स्था.प्र.का.
निदेशक



31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(₹ 000' में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
I. आय			
(क) अर्जित ब्याज	13	19250154	14923463
(ख) अन्य आय	14	2699523	2547637
कुल		21949677	17471100
II. व्यय			
ब्याज व्यय	15	10563606	7271846
परिचालन व्यय	16	4001065	3869085
प्रावधान और आकस्मिकताएं		298398	337696
कुल		14863069	11478627
III. लाभ / हानि			
वर्ष के लिए लाभ / हानि (-) - करपूर्व		7086608	5992473
घटा: आयकर के लिए प्रावधान		-1780000	-1500000
घटा (जोड़ें) : आस्थगित कर देयता / (आस्ति)		-15854	1220
कर पश्चात् लाभ		5290754	4493693
पिछले वित्तीय वर्ष से लाया गया लाभ		15012833	11501878
लाभ का विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण		1058151	898738
पूँजीगत आरक्षित निधियों में अंतरण		-	-
राजस्व व अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण		-	-
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(i)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियों में अंतरण		128000	84000
तुलन-पत्र में ले जाई गई शेष राशि		19117436	15012823

उपर्युक्त अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न हिस्सा हैं।

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **मेसर्स एम. भास्करा राव एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000459S

ह/-
(**श्री एम.वी.रमण मूर्ति**)
भागीदार
सदस्यता सं. 206439

ह/-
(**श्री वी.शिव कुमार**)
मप्र (आरआबी) एसबीआई कॉर्पोरेट केंद्र
निदेशक

दिनांक : 30.04.2024
स्थान : हैदराबाद

कृते **तेलंगाना ग्रामीण बैंक**

(**श्री टी. चंद्र शेखर**)
ह/-
महाप्रबंधक-I

(**श्रीमती वाई.शोभा**)
ह/-
अध्यक्ष

(**श्री विनोद कुमार सिन्हा**)
उमप्र (एबीयू-एसएसएस) एसबीआई स्था.प्र.का.
निदेशक

ह/-
(**श्री उमेश रामलिंग स्वामी**)
समप्र आरबीआई
निदेशक



अनुसूची-1		
शेयर पूंजी		₹ 000' में
विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
प्राधिकृत पूंजी	20000000	20000000
(₹.10/- प्रत्येक के 2000000000 शेयर)		
निर्गमित पूंजी	180723	180723
(₹.10/- प्रत्येक के 18072295 शेयर)		
अभिदत्त पूंजी और प्रदत्त पूंजी	180723	180723
(₹.10/- प्रत्येक के 18072295 शेयर)		
कुल	180723	180723

अनुसूची-2			
आरक्षित निधियां और अधिशेष			₹ 000' में
	विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I	सांविधिक आरक्षित निधियां		
	अधिशेष	4213812	3315073
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1058151	898738
	वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
	कुल	5271963	4213811
II	पूंजीगत आरक्षित निधियां		
	अधिशेष	49114	49114
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
	कुल	49114	49114
III	शेयर प्रीमियम		
	अधिशेष	0	0
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
	कुल	0	0
IV	धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित निधियां		
	अधिशेष	384000	300000
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	128000	84000
	वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
	कुल	512000	384000
V	राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां		
	अधिशेष	0	0
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
	कुल	0	0
VI	लाभ और हानि खाते की शेष राशि	19117435	15012833
	कुल (I, II, III, IV & V)	24950512	19659758



अनुसूची-3			
जमाराशियां		₹ 000' में	
	विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
अ.	I मांग जमाराशियां		
	i. बैंकों से	0	0
	ii. अन्य से	1486969	1188278
	II बचत बैंक जमाराशियां	49933397	41689792
	III मीथादी जमाराशियां		
	i. बैंकों से	26220559	24345172
	ii. अन्य से	64307213	58880036
	कुल (I II और III का)	141948138	126103278
आ.	I. भारत स्थित बैंकों की जमाराशियां	141948138	126103278
	II. भारत से बाहर की जमाराशियां	0	0
	कुल	141948138	126103278

अनुसूची-4			
उधारराशियां		₹ 000' में	
	विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I	भारत में उधार		
	i. भारतीय रिजर्व बैंक से	2100000	1900000
	ii. अन्य बैंकों से (एसबीआई व एफ़ॉब)	6791614	1012150
	iii. अन्य संस्थाओं व एजेंसियों से		
	क) नाबार्ड	53218586	47778696
	ख) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)	2305280	888520
	ग) एनएसएफडीसी	154250	91160
II	भारत से बाहर का उधार	0	0
	कुल (I और II)	64569730	51670526
	I और II में शामिल रक्षित उधार	64569730	51670526
	कुल I और II	64569730	51670526

अनुसूची-5			
अन्य देयताएं और प्रावधान		₹ 000' में	
	विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
1	देय बिल	250668	237466
2	अंतर-कार्यालय समायोजन (घटा)	1991	9268
3	उपचित ब्याज	197426	156026
4	अन्य (प्रावधानों सहित)		
	मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान	478469	425170
	पेंशन व एनपीएस के लिए प्रावधान	0	0
	आयकर के लिए प्रावधान	0	0
	अन्य देयताएं	1673883	1050599
	कुल	2602437	1878529



अनुसूची-6			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेषराशियां			₹ 000' में
	विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I	हाथ में नकदी	469552	606675
II	भारतीय रिज़र्व बैंक में शेषराशि		
	i. चालू खातों में	5192855	4537732
	ii. अन्य खातों में	0	0
	कुल (I और II)	5662407	5144407
अनुसूची-7			
बैंकों में शेषराशियां और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि			₹ 000' में
	विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I	भारत में:		
	i) बैंकों में शेष राशियां :		
	क. चालू खातों में	234466	255694
	ख. अन्य जमा राशि खातों में	53446568	37972846
	ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
	क. बैंकों के साथ	0	0
	ख. अन्य संस्थानों के साथ	0	0
	कुल (i और ii)	53681034	38228584
II	भारत के बाहर:		
	i. चालू खातों में	0	0
	ii. अन्य जमा राशि खातों में	0	0
	iii. मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	0	0
	कुल (i ii iii)	0	0
	कुल योग (I और II)	53681034	38228540
अनुसूची-8			
निवेश			₹ 000' में
	विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I	निम्नलिखित में भारत में निवेश		
	i. सरकारी प्रतिभूतियों में	23688152	25126687
	घटा: प्रावधान / मूल्यह्रास	0	0
	निवल एसएलआर	23688152	25126687
	ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	0	0
	iii. शेयरों में	0	0
	iv. डिबेंचरों और बॉण्डों में	150000	348240
	घटा: प्रावधान	0	0
	उप जोड़ गैर-एसएलआर	150000	348240
	v. सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम	0	0
	vi. अन्य		
	ईदिरा विकास पत्र / किसान विकास पत्र आदि	0	0
	म्युचुअल फंड	0	250000
	घटाएं : प्रावधान	0	0
	उप जोड़ गैर-एसएलआर	0	250000
	कुल योग गैर-एसएलआर (निवल)	150000	598240
	कुल - भारत में निवल निवेश	23838152	25724927
II	भारत से बाहर निवेश	0	0
	घटाएं : प्रावधान / मूल्यह्रास	0	0
	कुल II का निवल	0	0
	कुल योग (I+II)	23838152	25724927



अनुसूची-9

अग्रिम

₹ 000' में

	विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
अ	i. खरीदे और भुनाए गए बिल	0	0
	ii. नकदी ऋण ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती-योग्य ऋण	99835169	89005511
	iii. मीयादी ऋण	45925000	37286205
	कुल	145760169	126291716
आ	i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	117383267	94187250
	ii. बैंक / सरकारी गारंटी द्वारा प्रतिभूत	0	0
	iii. अप्रतिभूत	28376902	32104466
	कुल	145760169	126291716
इ	भारत में अग्रिम		
	i. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	111443252	99141334
	घटाएं: जारी आईबीपीसी	0	0
	उप जोड़	111443252	99141334
	ii. सार्वजनिक क्षेत्र	0	0
	iii. बैंक	0	0
	iv. अन्य	34316917	27150382
	कुल	145760169	126291716
	भारत से बाहर अग्रिम:		
	i. बैंकों से देय	0	0
	ii. अन्य से देय	0	0
	कुल	0	0
	सकल अग्रिम	148406944	128930007
	घटाएं: आईएनसीए	0	0
	घटाएं: अज्ञात व सक्षिप्त कर्ज के लिए प्रावधान	2646775	2638291
	निवल अग्रिम	145760169	126291716

अनुसूची-10

अचल आस्तियां

₹ 000' में

	विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I	परिसर		
	31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	146646	3422
	i. वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	143224
	ii. वर्ष के दौरान कटौती	0	0
	iii. वर्ष के दौरान मूल्यहास	80	59
	iv. उक्त दिनांक तक मूल्यहास	1008	928
	कुल I	145638	145718
II	अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर और फिक्स्चर्स सहित)		
	31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	850505	794907
	i. वर्ष के दौरान परिवर्धन	84595	79088
	ii. वर्ष के दौरान कटौती	378	262
	iii. वर्ष के दौरान मूल्यहास	70670	61021
	iv. उक्त दिनांक तक मूल्यहास	578427	530985
	कुल II	356295	342748
III	पूँजीगत कार्य प्रगति पर		
	31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	0	0
	i. वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	ii. वर्ष के दौरान कटौती	0	0
	कुल III	0	0
	कुल I, II & III	501933	488466



अनुसूची-11			
अन्य आस्तियां			₹ 000' में
	विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I	अंतर-कार्यालयीन समायोजन (निवल)	0	0
II	उपचित ब्याज	1891742	1120192
III	प्रदत्त अग्रिम कर / स्रोत पर कर कटौती*	62858	126165
IV	लेखन सामग्री और स्टैम्प	25	15
V	दावों के निपटान में अधिगृहित गैर-बैंकिंग आस्तियां	0	0
VI	अन्य		
	क) भारत सरकार/ नाबार्ड से प्राप्य ब्याज सहायता	2724676	2258641
	ख) विविध आस्तियां (धोखाधड़ियाँ, चुराई गई नकदी)	0	0
	ग) अन्य (संदिग्ध जनोपयोगी सेवाएं आदि)	128544	109745
	कुल	4807845	3614758

* प्रावधानों को घटाने के बाद

अनुसूची-12			
आकस्मिक देयताएं			₹ 000' में
	विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकारा नहीं गया	48316	48316
II	आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	0	0
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	0	0
IV	संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां		
	क. भारत में	67605	97046
	ख. भारत से बाहर	0	0
V	स्वीकृतियां, परांकन और अन्य दायित्व	0	0
VI	अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है (डीईएफ खाता)	581807	257466
	कुल	697728	402828

अनुसूची -13			
अर्जित ब्याज			₹ 000' में
	विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I	अग्रिमों / डिस्काउंट बिलों पर ब्याज	13681271	11734557
II	निवेशों पर ब्याज	1749035	1929773
	घटाएं : प्रीमियम का परिशोधन	-13055	-13820
III	भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	3815627	1233429
IV	अन्य	17276	39524
	कुल	19250154	14923463



अनुसूची -14

अन्य आय		₹ 000' में	
	विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I	कमीशन, विनिमय और दलाली	1378459	1299853
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ	15470	9858
	घटाएं: निवेशों की बिक्री पर घाटा		
III	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	0	0
	घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर घाटा		
IV	भूमि, भवनों और अन्य आस्थितियों की बिक्री पर लाभ	0	0
	घटाएं: भूमि, भवनों और अन्य आस्थितियों की बिक्री पर घाटा	-21	156
V	विनिमय लेनदेनों पर लाभ	0	0
	घटाएं: विनिमय लेनदेनों पर घाटा	0	0
VI	विदेशों में/ भारत में स्थित सहायक संस्थाओं/ कंपनियों और/ अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांशों इत्यादि के माध्यम से अर्जित आय	0	0
VII	विविध आय	1305615	1237770
	कुल	2699523	2547637

अनुसूची-15

व्यय किया गया ब्याज		₹ 000' में	
	विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I	जमा राशियों पर ब्याज	7408625	5268777
II	भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधाराशियों पर ब्याज	0	0
III	अन्य		
	क. एसबीआई-अन्य बैंक ओवरड्राफ्ट	276651	29435
	ख. नाबार्ड-पुनर्वित्त	2654593	1832724
	ग. एनएचबी-पुनर्वित्त	111416	46108
	घ. मुद्रा, एनएसएफडीसी आदि	112321	30068
IV	आईबीपीसी में सहभागिता पर ब्याज	0	64734
	कुल	10563606	7271846



अनुसूची -16			
परिचालन व्यय			₹ 000' में
	विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	3061745	2610421
II	किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था	172550	164119
III	मुद्रण और लेखन सामग्री	18252	17769
IV	विज्ञापन और प्रचार	93	211
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	70692	61081
VI	निदेशकों के शुल्क भत्ते और व्यय	0	0
VII	लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	3920	5280
VIII	विधि प्रभार	558	302
IX	डाक, टेलीग्राम, टेलीफोन, इत्यादि	3872	4106
X	मरम्मत और रखरखाव	136359	129213
XI	बीमा	158112	177279
XII	अन्य व्यय	374912	699304
	कुल	4001065	3869085

अनुसूची-17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

अ. तैयारी का आधार:

बैंक के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत निरंतर चल रही संस्था का अनुपालन करते हुए लेखों के संचित आधार पर तैयार किए गए हैं जो उन मामलों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लिखित है भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप हैं, इनमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) / भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 और उनमें किए गए संशोधनों द्वारा निर्धारित यथा लागू संवैधानिक प्रावधान विनियामक मानदंड/ मार्गनिर्देश और भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में विद्यमान पद्धतियां शामिल हैं।

आ. अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरण तैयार करने के क्रम में प्रबंधन से यह अपेक्षित होता है कि वे वित्तीय विवरणों की तिथि तक आस्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की प्रतिवेदित राशि और प्रतिवेदन की अवधि के दौरान प्रतिवेदित आय और व्यय पर विचार करते समय आकलनों और अनुमानों का उपयोग करें। प्रबंधन का यह विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और समुचित हैं और वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों के प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन पर आधारित हैं, भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और

वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच की भिन्नताओं को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात होंगे/ भौतिक रूप धारण करेंगे।

इ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

1. राजस्व निर्धारण:

- 1.1) अन्यथा सूचित को छोड़कर आय और व्यय को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- 1.2) जैसे-जैसे ब्याज/ डिस्काउंट आय उपचित होती है उसे लाभ और हानि लेखा में दर्शाया जाता है, निम्नलिखित को छोड़कर (i) अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से प्राप्त आय जिसमें अग्रिम और निवेश शामिल होते हैं और इनका निर्धारण इनकी उगाही पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है। (ii) निवेशों पर अतिदेय ब्याज।
- 1.3) निवेशों की बिक्री से हुए लाभ/ हुई हानि को लाभ और हानि लेखा में दर्शाया जाता है, तथापि "परिपक्वता अवधि तक धारित (एचटीएम)" श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त लाभ (लागू करों और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण हेतु अपेक्षित राशि को छोड़कर) को "पूँजीगत आरक्षित निधि खाते" में विनियोजित किया जाता है, परिपक्वता अवधि तक धारित श्रेणी में निवेशों के अधिग्रहण पर यदि कोई छूट मिलती है तो उसका लेखांकन बिक्री/ मोचन के समय किया जाता है।



- 1.4) लाभांश का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है.
- 1.5) कमीशन और विनिमय तथा लॉकर का किराया उगाही के आधार पर निर्धारित किया गया है.
- 1.6) अतिदेय मीयादी जमाराशियों पर ब्याज को नवीकरण आधार पर लेखांकित किया जाता है
- 1.7) मुकदमा दायर खातों के मामले में किए गए कानूनी एवं अन्य व्ययों को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और ऐसे व्ययों को बसूली के समय आय के रूप में लेखांकित किया जाता है.

2. निवेश:

सरकारी प्रतिभूतियों और सरकारी प्रतिभूतियों से इतर प्रतिभूतियों में लेनदेनों को "निपटान की तारीख" पर रिकॉर्ड किया जाता है.

2.1) वर्गीकरण:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी).

2.2) वर्गीकरण का आधार:

- बैंक जिन निवेशों को परिपक्वता तक धारित रखना चाहता है उन्हें "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है.
- ऐसे निवेश जिन्हें प्रधानतया खरीदी की तिथि से 90 दिनों के अंदर पुनः बेचने के लिए धारित किया जाता है उन्हें "व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
- किसी भी निवेश को खरीदी के समय एचटीएम/ एचएफटी/ एएफएस में वर्गीकृत किया जाता है फिर बाद में विनियामक मानदंडों के अनुरूप उन्हें श्रेणियों में परिवर्तित कर दिया जाता है.

2.3) तुलन पत्र में प्रकटन:

- तुलन-पत्र में निवेशों को सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों और बॉण्डों, सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों तथा अन्यो के रूप में वर्गीकृत और प्रकटित किया जाता है.

- 2.4) मूल्य निर्धारण: प्रत्येक वर्गीकरण में प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में निम्नानुसार किया जाता है:

i. किसी निवेश की अधिग्रहण लागत का निर्धारण करने में:

- (क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/ कमीशन को लागत में से घटाया जाता है.
- (ख) निवेश के अधिग्रहण के संबंध में किए गए दलाली, कमीशन, प्रतिभूति, लेनदेन कर आदि के भुगतान पहले ही कर दिए जाते हैं और उन्हें लागत से घटा दिया जाता है.
- (ग) ऋण लिखतों पर प्रदत्त/ प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना जाता है और उसे लागत या बिक्री प्रतिफल से हटा दिया जाता है.
- (घ) म्युचुअल फंडों के अधिग्रहण पर प्रदत्त स्टाम्प शुल्क मूल्य को खरीद मूल्य अथवा लेखाबहियों में पूंजीकृत माना जाता है.
- (ङ) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) तथा ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणी में लागत का निर्धारण लागत की भारित औसत पद्धति पर किया जाता है तथा परिपक्वता पर धारित (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों का लागत निर्धारण एफआईएफओ (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) आधार पर किया जाता है.

- ii. एचएफटी/ एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण के दिन रहने वाली अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाजार मूल्य से कम लागत पर किया जाता है. ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, तो उसका पूरा प्रावधान किया जाता है. तथापि एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण अधिग्रहण मूल्य/ बही मूल्य पर किया जाता है. अंतरण के पश्चात् इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और यदि कोई परिणामी मूल्यहास होता है तो उसका प्रावधान किया जाता है.

- iii. परिपक्वता तक धारित श्रेणी : परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत निवेश, अधिग्रहण लागत पर ऐसे समय पर किए जाते हैं जब उनका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक होता है. ऐसे मामलों में परिपक्वता की शेष अवधि के लिए प्रीमियम का



परिशोधन स्थिर प्रतिफल के आधार पर किया जाता है, प्रीमियम के ऐसे परिशोधन को "निवेशों पर ब्याज" शीर्ष के अंतर्गत समायोजित किया जाता है।

- iv. अन्य कपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेशों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है, अस्थायी मूल्यहासों को छोड़कर प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है।
- v. बिक्री के लिए उपलब्ध और ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणियां : एफएस और एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत निवेशों के लिए बाजार मूल्य पर या विनियामक मानदंडों के अनुसार निर्धारित उचित मूल्य पर अलग-अलग पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी के लिए हर एक समूह के निवल मूल्य हास (यानी सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, शेयर, डिबेंचर और बॉण्ड, सहायक संस्थाएं और संयुक्त उद्यम और अन्य) के लिए प्रावधान किया जाता है तथा निवल मूल्यवृद्धि की उपेक्षा की जाती है। बाजार भाव पर दशानि के बाद मूल्यहास के लिए प्रावधान करने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य यथावत् रह जाता है।
- vi. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को अर्जक और अनर्जक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, निवेश अनर्जक तब माने जाते हैं जब :
 - क) ब्याज अथवा किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय हो जाती है और वह 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अदत्त रह जाती है।
 - ख) इक्विटी शेयरों के मामले में नवीनतम तुलन-पत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य रु.1/- प्रति कंपनी के रूप में आंका जाता है तो ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाता है।
 - ग) यदि किसी इकाई द्वारा ली गई कोई क्रेडिट सुविधा बैंक की बहियों में अनर्जक आस्ति है तो उस इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी अनर्जक निवेश और इसके विपरीत माना जाता है।
 - घ) डिबेंचरों/ बॉण्डों में निवेश जिसे अग्रिम की प्रकृति का माना जाता है वे भी अनर्जक निवेश के मानदंडों के अधीन होते हैं जैसा कि निवेशों पर लागू होता है।

2.5. रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए लेखांकन:

बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पुनर्खरीद और रिवर्स पुनर्खरीद लेनदेन निष्पादित कर रखे हैं। पुनर्खरीद लेनदेन ऐसे उधार का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके अंतर्गत पुनः खरीद के समझौते के साथ प्रतिभूतियों को बेचकर उधार लिया जाता है, जबकि दूसरी ओर रिवर्स रेपो लेनदेन में प्रतिभूतियों को खरीदकर उधार दिया जाता है।

- क) तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लेनदेन को संपार्श्विक उधार और उधार लेनदेन के रूप में माना जाता है।
- ख) रेपो खाते में शेषराशि को अनुसूची-4 (उधारराशियां) के तहत वर्गीकृत किया जाता है और रिवर्स रेपो खाते में शेषराशि को अनुसूची-7 (बैंकों के साथ शेषराशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत वर्गीकृत किया जाता है।
- ग) रेपो लेनदेन की उधार लागत और रिवर्स रेपो लेनदेन पर राजस्व को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ क्रमशः ब्याज व्यय और ब्याज आय के रूप में लिया जाता है।

3. ऋण अथवा अग्रिम और उनके लिए प्रावधान:

3.1 ऋणों और अग्रिमों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अर्जक और अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऋण आस्तियां तब अनर्जक आस्तियां (एनपीए) बनती हैं जब:

• कृषि अग्रिमों के संबंध में:

- i) अल्पावधि फसलों के मामले में जहां मूल राशि अथवा ब्याज की किस्त दो फसलीय मौसमों के लिए अतिदेय रह जाती है, और
- ii) दीर्घावधि फसलों के मामले में जहां मूल राशि अथवा ब्याज की किस्त एक फसलीय मौसम के लिए अतिदेय रह जाती है।

• कृषीतर अग्रिमों के संबंध में:

- i) मीयादी ऋणों के संबंध में ब्याज और/ अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रह जाती है।
- ii) ओवरड्राफ्ट अथवा नकदी ऋण अग्रिमों के संबंध में जब खाता "अनियमित" हो जाता है यानी खाते में बकाया राशि लगातार 90 दिनों तक मंजूर सीमा/ आहरण शक्ति से अधिक रह जाती है अथवा खाते में



तुलन-पत्र की तिथि तक लगातार 90 दिनों के लिए किसी भी प्रकार की जमाराशियां नहीं डाली जाती हैं अथवा उक्त अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को कवर करने के लिए जमाराशियां पर्याप्त नहीं रहती हैं।

3.2 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित निवर्तमान दिशानिर्देशों/ निदेशों के अनुसार किए गए हैं:

क) सभी अग्रिमों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है मानक आस्तियाँ, अवमानक आस्तियाँ, संदिग्ध आस्तियाँ और हानि आस्तियाँ।

ख) अग्रिमों के लिए प्रावधान निम्नानुसार किए जाते हैं:

i. **मानक आस्तियाँ :** मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान निम्नलिखित दरों पर किए जाते हैं:

कृषि एवं एसएमई क्षेत्रों को प्रत्यक्ष अग्रिमों के लिए 0.25%.

वाणिज्यिक भूखंड क्षेत्र के लिए 1%.

उपर्युक्त (1) और (2) में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी अग्रिमों के लिए 0.40%.

यह सामान्य प्रावधान तुलन-पत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं और प्रावधान-अन्य प्रावधान" शीर्ष के तहत परिलक्षित होता है और निबल एनपीए की गणना करने के लिए इस पर विचार नहीं किया जाता है.

ii. **अवमानक आस्तियाँ:** कोई भी ऋण आस्ति जो 12 महीने तक या उससे कम की अवधि के लिए अनर्जक रह जाती है तो वह अवमानक आस्ति बन जाती है.

विवरण	आईआरएसी मानदंडों के अनुसार विनिर्दिष्ट दरें (नाबार्ड दिशानिर्देश)
प्रतिभूत अंश	10%
अप्रतिभूत अंश	20%

iii. **संदिग्ध आस्तियाँ:** कोई भी ऋण आस्ति जो 12 महीनों की अवधि तक अवमानक आस्ति की श्रेणी में बनी रहती है तो वह संदिग्ध आस्ति बन जाती है.

विवरण	आईआरएसी मानदंडों के अनुसार विनिर्दिष्ट दरें (नाबार्ड दिशानिर्देश)	
प्रतिभूत अंश	1 वर्ष तक	20%
	1 से 3 वर्ष तक	30%
	3 वर्ष से अधिक	100%
अप्रतिभूत अंश		100%

iv. **हानि आस्तियाँ :** हानि आस्ति वह होती है जिसमें हानि की पहचान तो की जा चुकी है किंतु राशि को पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाला गया है. बकाया अग्रिमों पर 100% प्रावधान

3.3 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण प्रावधान, वसूला नहीं गया ब्याज, निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे घटाए गए हैं.

3.4 पुनर्संचित और पुनः अनुसूचित आस्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रावधान किए गए हैं.

3.5 ऋण खातों को अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किए जाने के मामले में किसी खाते को अर्जक आस्ति के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है यदि वह विनियामकों द्वारा विहित मार्गनिर्देशों के अनुरूप हो.

3.6 पिछले वर्षों में बट्टे खाते डाले गए ऋणों के समक्ष वसूली गई राशियों को वसूली के वर्ष में राजस्व के रूप में निर्धारित किया जाता है.

3.7 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक के निवर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी तैयार किए गए हैं. ये प्रावधान तुलन-पत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं और प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए हैं और निबल अनर्जक आस्तियों की गणना हेतु इन पर विचार नहीं किया गया है.

3.8 अनर्जक आस्तियों पर वसूल किए गए ब्याज को आय खाते में लिया जाता है बशर्ते कि ब्याज के रूप में खाते में जमा की गई राशि संबंधित उधारकर्ता को स्वीकृत नई/ अतिरिक्त ऋण सुविधाओं में न ली गई हो.

4. अस्थायी प्रावधान:

बैंक में अग्रिमों, निवेशों और सामान्य प्रयोजनों के लिए अलग-अलग अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग के लिए अपनी नीति विद्यमान है. सृजित किए जाने वाले अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का आकलन वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है.

5. अचल आस्तियाँ, मूल्यहास और परिशोधन:

5.1 अचल आस्तियों का मूल्य संचित मूल्यहास/ परिशोधन को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है.



- 5.2 आस्ति को उपयोग में लाने से पहले उसकी लागत में खरीद की लागत और उक्त आस्ति को प्राप्त करने के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से या उसके संबंध में किए गए सभी व्यय शामिल होते हैं, उपयोग में लाई गई आस्तियों पर होने वाले परवर्ती व्ययों का पूंजीकरण केवल तभी किया जाता है जब उस आस्ति अथवा उसकी कार्यक्षमता से भविष्य के लाभों में वृद्धि हो सकती है।
- 5.3 मूल्यहास/परिशोधन का प्रावधान निम्नलिखित दरों पर सीधी रेखा पद्धति के अनुसार किया जाता है:

अचल आस्ति का विवरण	मूल्यहास/परिशोधन की दरें
भवन	1.667%
बिजली के उपकरणों को छोड़कर फर्नीचर और फिक्स्चर	10%
कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अंतर्निहित अंग है; कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अंतर्निहित अंग नहीं है और सॉफ्टवेयर विकास की लागत	33.33%
ऑटोमेटेड टेलर मशीन/ नकदी जमा मशीन/ कॉइन डिस्पेंसर/ कॉइन वेंडिंग मशीन और बिजली के अन्य उपकरण	20.00%
सर्वर	25.00%
नेटवर्क उपकरण	20.00%
मोटर वाहन	20.00%
सुरक्षा जमा लॉकर, अग्नि रोधी डाटा सेफ	5.00%

- 5.4 वर्ष के दौरान अधिप्राप्त की गई आस्तियों के संबंध में आनुपातिक आधार पर यानी वर्ष के दौरान आस्तियों का उपयोग किए जाने वाले दिनों के हिसाब से मूल्यहास प्रभारित किया जाता है।
- 5.5 ₹ 1000/- से कम लागत वाली प्रत्येक आस्ति को खरीदी के वर्ष में ही चार्ज-ऑफ किया जाता है।

6. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता:

जब कोई घटना घटित होती है अथवा परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण ऐसा लगता है कि किसी आस्ति की अंकित राशि की बसूली भी नहीं हो सकती है तब उन अचल आस्तियों की क्षतिग्रस्तता के लिए समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयुक्त की जाने वाली आस्तियों की बसूलीयोग्यता को उस आस्ति की अंकित राशि के साथ उसके द्वारा सृजित होने वाले भावी निवल बट्टागत नकदी प्रवाह

की तुलना के माध्यम से मापा जाता है। यदि ऐसी आस्तियां क्षतिग्रस्त होती हैं तो पहचान की जाने वाली क्षतिग्रस्तता को उस राशि से मापा जाता है जो आस्ति की अंकित राशि से उसके उचित मूल्य से अधिक हो जाती है।

7. कर्मचारी लाभ:

7.1 अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभों जैसे चिकित्सा लाभ इत्यादि जिनका भुगतान कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में अपेक्षित है, की अबद्धाकृत राशि उसी अवधि के लिए मानी गई है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं।

7.2 दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

i) परिभाषित लाभ योजना:

क) उपदान: बैंक अपने सभी पात्र कर्मचारियों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपदान देयता का प्रावधान करता है, "तेलंगाना ग्रामीण बैंक कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट" में अंशदान द्वारा इस देयता का निधीयन किया जाता है।

ख) छुट्टी नकदीकरण: बैंक पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अपने सभी कर्मचारियों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर छुट्टी नकदीकरण देयता का प्रावधान करता है।

ग) पेंशन: बैंक 31.03.2010 को या उससे पहले भर्ती होने वाले अपने सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह परिलाभ मासिक भुगतान के रूप में नियमानुसार पात्र कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या सेवा अवधि के दौरान उनकी मृत्यु पर या सेवा से हटाए जाने पर प्रदान किया जाता है। यह भुगतान नियमानुसार विभिन्न चरणों में किया जाता है। बैंक वेतन के 10% की दर से पेंशन निधि में मासिक योगदान करता है। बैंक इस देयता के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान करता है। पेंशन देयता की गणना स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से की जाती है और पेंशन विनियमनों के अंतर्गत पेंशन के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए बैंक निधि में समय-समय पर अतिरिक्त अंशदान करता रहता है।

ii) परिभाषित अंशदान योजना:

क) भविष्य निधि में किए गए अंशदानों को व्यय के रूप में माना जाता है और उसे उपचय आधार पर लाभ और हानि लेखे को प्रभारित किया जाता है।



राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस): बैंक अपने उन सभी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित करता है जो 31.03.2018 के बाद बैंक में शामिल हुए हैं, जो कर्मचारी 01.04.2010 से 31.03.2018 के बीच बैंक में शामिल हुए हैं उन्हें स्वेच्छा से एनपीएस में शामिल होने का विकल्प दिया गया है। इस योजना के अनुसार, योजना के अंतर्गत शामिल किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% का योगदान में अंशदान करते हैं। इसी की मिलती-जुलती राशि का योगदान बैंक भी करता है। संबंधित कर्मचारियों की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा के रूप में रखा जाता है और भविष्य निधि शेष के चालू खाते के समान दर पर ब्याज अर्जित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक योगदान और ब्याज को उस वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है जिससे वे संबंधित हैं, स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित योगदान राशि एनपीएस ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

8. आयकर व्यय:

आयकर, यदि लागू हो, की गणना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू आयकर अधिनियम 1961 के तहत प्रासंगिक कर प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

आयकर व्यय, वर्तमान कर और आस्थगित कर की कुल राशि होता है। वर्तमान करों के और आस्थगित करों के व्यय का निर्धारण क्रमशः आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार और लेखांकन मानक 22- "आय पर करों के लिए लेखांकन" एवं भारत में प्रचलित कर कानूनों के अनुसार किया जाता है।

आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों अथवा देयताओं में किए गए परिवर्तन शामिल होते हैं। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को चालू वर्ष के लिए कर योग्य आय और लेखागत आय, आगे ले जाई गई हानियों के बीच समय के अंतरों के प्रभाव पर विचार करके मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जो बैलेंस शीट की तारीख पर अधिनियमित या पूर्ण रूप से अधिनियमित की हुई हों। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है। समुचित/ लगभग निश्चित रूप से प्राप्ति होने के प्रबंधन के पूर्वानुमान के आधार पर आस्थगित कर आस्तियों को रिपोर्टिंग की प्रत्येक तिथि को निर्धारित और पुनः आकलित किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों को अवशोषित न हुए मूल्यह्रास और कर

हानियों को आगे ले जाए जाने के माध्यम से केवल तब ही पहचाना जा सकता है यदि विश्वसनीय प्रमाणों द्वारा समर्थित यह आभासी सुनिश्चितता हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों को भविष्य के लाभों के समक्ष बसूला जा सकता है।

9. सरकारी अनुदान:

उद्यम के लिए उपलब्ध सरकारी अनुदानों पर निम्नानुसार विचार किया जाता है:-

- जहां एक समुचित आश्वस्ति रहती है कि उद्यम उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगा,
- जहां उद्यम द्वारा इस तरह के लाभ अर्जित किए गए हैं और यह निश्चित रूप से सुनिश्चित है कि अंतिम संग्रह किया जाएगा।

विशिष्ट अचल आस्तियों के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान को इसके अंकित मूल्य की गणना के लिए संबंधित आस्ति के सकल मूल्य से कटौती के रूप में दिखाया जाता है।

10. आकस्मिक देयताएं और प्रावधान:

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक-29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ" के अनुसरण में बैंक प्रावधानों को केवल तभी मान्यता प्रदान करता है जब उसपर किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होता है और उस दायित्व को पूरा करने के लिए आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों का संभावित बहिर्गमन होता हो एवं दायित्वों की राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता हो।

निम्नलिखित मामलों में प्रावधान को मान्य नहीं किया जाता :

- अतीत की घटनाओं से उत्पन्न कोई संभावित दायित्व जिसका होना या न होना भविष्य की एक या अनेक आनश्चित घटनाओं पर निर्भर करता है जिन पर बैंक का पूरी तरह कोई भी नियंत्रण नहीं होता है; अथवा
 - कोई भी वर्तमान दायित्व जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होता है परंतु उसे मान्यता नहीं दी गई क्योंकि:
- यह संभावित नहीं है कि उस दायित्व को पूरा करने के लिए आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी; अथवा
 - दायित्व की राशि का विश्वसनीय आकलन तैयार नहीं किया जा सका।



ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, इनका आकलन नियमित अंतरालों में किया जाता है और कुछ अत्यंत विरल परिस्थितियों जहाँ विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है, उनको छोड़कर दायित्व के केवल उस अंश, जिसके संदर्भ में आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों का बहिर्गमन संभावित हो, के लिए प्रावधान किया जाता है.

- iii. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को नहीं दर्शाया जाता है.

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स एम. भास्करा राव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 000459S

ह/-
(श्री एम.वी. रमण मूर्ति)
भागीदार
एम नं. 026439

11. विशेष प्रारक्षित निधि:

राजस्व और अन्य प्रारक्षित निधियों में आयकर आधिनियम, 1961 की धारा 36(i)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष प्रारक्षित निधियां शामिल हैं.

12. पट्टे:

पट्टे जहां पट्टाकर्ता पट्टे पर दी गई मद के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. परिचालन पट्टा भुगतानों को लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है.

कृते तेलंगाना ग्रामीण बैंक

ह/-
(श्री टी. चंद्र शेखर)
महाप्रबंधक-I

ह/-
(श्रीमती वाई शोभा)
अध्यक्ष

तेलंगाना ग्रामीण बैंक
प्रधान कार्यालय : हैदराबाद
वित्तीय विवरणों में प्रकटन - 'लेखों पर टिप्पणियाँ'

1. विनियामक पूंजी
क) विनियामक पूंजी की रचना

क्रम सं	विवरण	चालू वर्ष 31.03.2024	पिछला वर्ष 31.03.2023
i)	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) / प्रदत्त शेयर पूंजी और प्रारक्षित निधियां (कटौतियों, यदि कोई हों, को घटाकर)	2513.12	1984.05
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी* / अन्य टियर 1 पूंजी		
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	2513.12	1984.05
iv)	टियर 2 पूंजी	47.85	42.52
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	2560.97	2026.57
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	12691.74	11783.49
vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए में प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) / आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में प्रदत्त शेयर पूंजी और प्रारक्षित निधियां	19.80	16.84
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)	19.80	16.84
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)	0.38	0.36
x)	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	20.18	17.20
xi)	लीवरेज अनुपात	NA	NA
xii)	शेयरधारिता का प्रतिशत		
	क) भारत सरकार	50.0	50.0
	ख) राज्य सरकार	15.0	15.0
	ग) प्रायोजक बैंक	35.0	35.0
xiii)	वर्ष के दौरान उगाही गई प्रदत्त ईक्विटी पूंजी की राशि	शून्य	शून्य
xiv)	वर्ष के दौरान उगाही गई गैर-ईक्विटी टियर 1 पूंजी, जिसमें से : लिखत के प्रकार के अनुसार सूची दें (स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयर, स्थाई कर्ज लिखत, आदि.) वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) यह भी स्पष्ट करें कि क्या लिखत बासेल I अथवा बासेल II का पालन करते हैं.	शून्य	शून्य
xv)	वर्ष के दौरान उगाही गई टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से : लिखत के प्रकार के अनुसार सूची दें (स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयर, स्थाई कर्ज लिखत, आदि.) वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) यह भी स्पष्ट करें कि क्या लिखत बासेल I अथवा बासेल III का पालन करते हैं.	शून्य	शून्य

आरक्षित निधियों में से निकासी: बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सांविधिक और सामान्य आरक्षित निधियों में से कोई भी राशि नहीं निकाली है.



2. आस्ति देयता प्रबंधन

ख) आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता क्रम

(₹ करोड़ में)

विवरण	पहले दिन से 14 दिन	15 से 30 दिन	30 दिन से 3 माह	3 माह से अधिक और 6 माह तक	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से ऊपर	कुल
जमाराशियां	743.85	306.02	1165.25	826.23	4272.05	6656.15	118.05	107.21	14194.81
अग्रिम	188.56	383.41	1390.80	1881.31	5683.51	3985.36	607.70	455.36	14576.02
निवेश	0.00	101.00	615.21	182.22	4411.09	272.37	701.41	1445.18	7728.47
उधाराशियां	889.16	0.00	269.19	1548.96	1242.77	1644.91	832.77	29.21	6456.97
विदेशी मुद्रा आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विदेशी मुद्रा देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



3. निवेश

क) 31.03.2024 तक निवेश पोर्टफोलियो की रचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	भारत में निवेश						भारत से बाहर निवेश			
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर और बॉण्ड	सहायक संस्थाएँ और/अथवा संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	सहायक संस्थाएँ और/अथवा संयुक्त उद्यम	अन्य
परिपक्वता तक धारित										
सकल	1427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1427.82	0.00	0.00	0.00
घटाएँ: अनर्जक निवेशों (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	1427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1427.82	0.00	0.00	0.00
निक्री के लिए उपलब्ध										
सकल	941.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00
घटाएँ: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	941.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00
व्यापार के लिए धारित										
सकल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएँ: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निवेश	2368.82	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	2383.82	0.00	0.00	0.00
घटाएँ: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएँ: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	2368.82	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	2383.82	0.00	0.00	0.00



(₹ करोड़ में)

31.03.2024 तक निवेश पोर्टफोलियो की रचना

विवरण	भारत में निवेश						भारत से बाहर निवेश					कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर और बॉण्ड	सहायक संस्थाएं और/अथवा संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	सहायक संस्थाएं और/अथवा संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत से बाहर कुल निवेश	
परिपक्वता तक धारित												
सकल	1856.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1856.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1856.36
घटाएं : अनर्जक निवेशों (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	1856.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1856.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1856.36
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	656.31	0.00	0.00	34.82	0.00	0.00	716.13	0.00	0.00	0.00	0.00	716.13
घटाएं : मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	656.31	0.00	0.00	34.82	0.00	0.00	716.13	0.00	0.00	0.00	0.00	716.13
व्यापार के लिए धारित												
सकल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएं : मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निवेश	2512.67	0.00	0.00	34.82	0.00	25.00	2572.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2572.49
घटाएं : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएं : मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	2512.67	0.00	0.00	34.82	0.00	25.00	2572.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2572.49



ख) मूल्यह्रास और निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि के लिए प्रावधानों में घट-बढ़

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
i) निवेशों के मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
क. अथशेष	0.00	0.00
ख. जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00	221.77
ग. घटाएं: वर्ष के दौरान अपलिखित / प्रतिलिखित अतिरिक्त प्रावधान	0.00	221.77
घ. इतिशेष	0.00	0.00
ii) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि में घट-बढ़		
क. अथशेष	0.00	0.00
ख. जोड़े: वर्ष के दौरान अंतरित राशि	0.00	0.00
ग. घटाएं: आहरण	0.00	0.00
घ. इतिशेष	0.00	0.00
iii) बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित / चालू श्रेणी में निवेशों के इतिशेष के प्रतिशत के रूप में निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि में इतिशेष	0.00	0.00

ग) परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी को / से बिक्री और अंतरण

बैंक ने चालू वित्त वर्ष में परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी में / से न तो प्रतिभूतियां बेची हैं और न ही अंतरित की हैं.

बैंक ने 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी में/ से ₹427.24 करोड़ (पिछले वर्ष यह ₹711.40 करोड़ थी) की राशि अंतरित की है

घ) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
i)	अथशेष	59.82	75.00
ii)	वर्ष के दौरान 1 अपैल से परिवर्धन	35.00	0.00
iii)	उपर्युक्त अवधि के दौरान हुई कमियां	79.82	15.100
iv)	इतिशेष	15.00	59.82
v)	धारित कुल प्रावधान	0.00	0.00



1) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संघटना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	जारीकर्ता	राशि		निजी नियोजन की राशि		'निवेश ग्रेड से नीचे' की प्रतिभूतियां		'रेट न की गई' प्रतिभूतियों की राशि		'अनलिस्टेड' प्रतिभूतियों की राशि	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	पीएसयू	15.00	15.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख)	वित्तीय संस्थाएं	0.00	0.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग)	बैंक	0.00	0.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ)	निजी कॉर्पोरेट	0.00	19.82	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ड)	सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च)	अन्य	0.00	25.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
छ)	मूल्यहास के लिए धारित प्रावधान	0.00	0.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल *	15.00	59.82	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ड) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के रूप में)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार बकाया
i) रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
क) सरकारी प्रतिभूतियां	11.94	224.83	193.60	223.80
ख) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां				
ग) कोई अन्य प्रतिभूतियां				
ii) रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
क) सरकारी प्रतिभूतियां	62.29	267.17	21.96	—
ख) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां				
ग) कोई अन्य प्रतिभूतियां				



1) आस्ति गुणवत्ता

क) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

(₹ करोड में)

विवरण	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और अनर्जक आस्तियां						
अथशेष	126291716.00	1141942.97	1457714.35	38633.70	2638291.01	128930007.01
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0	0	0	6284756.52	
घटाएं: वर्ष के दौरान हुई कमियां	0	0	0	0	6276273.03	
इतिशेष	145760168.71	1169083.48	1438967.63	38723.39	2646774.50	148406943.21
सकल अनर्जक आस्तियों में निम्नलिखित के कारण कमियां हुई:	0	0	0	0		
i) उन्नयन	0	0	0	0	5088073.22	
ii) बसूलियां (उन्नयन किए गए खातों से बसूलियों को छोड़कर)	0	0	0	0	894149.68	
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन	0	0	0	0	294050.13	
iv) उपर्युक्त (iii) से इतर अपलेखन	0	0	0	0	0.00	6276273.03
प्रावधान (अस्थाई प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का अथशेष	425169.94	1141942.97	1457714.35	38633.70	2638291.01	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान	0	0	0	0	245099.04	
घटाएं: रिवर्स / बट्टाकृत किया गया अधिक प्रावधान	0	0	0	0	236615.55	
धारित प्रावधानों का इतिशेष	478469.19	1169083.48	1438967.63	38723.39	2646774.50	
निवल अनर्जक आस्तियां						
अथशेष	0				0.00	
जोड़ें : वर्ष के दौरान नए परिवर्धन	0	0	0	0	0.00	
घटाएं : वर्ष के दौरान की गई कमियां	0	0	0	0	0.00	
इतिशेष	0				0.00	

(₹ करोड़ में)

विवरण	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	
अस्थाई प्रावधान	0	0	0	0	0	0
अथशेष	0	0	0	0	0	0
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	0	0	0	0	0	0
घटाएं: वर्ष के दौरान आहरित राशि	0	0	0	0	0	0
अस्थाई प्रावधानों का इतिशेष	0	0	0	0	0	0
						0
						0
तकनीकी अपलेखन और उनपर की गई वसूलियां	0	0	0	0	0	0
तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन लेखों का अथशेष	0	0	0	0	0	0
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन	0	0	0	0	0	0
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व में तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन किए गए खातों से की गई वसूलियां	0	0	0	0	0	0
इतिशेष	0	0	0	0	0	0

अनुपात (प्रतिशत में)	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
सकल एनपीए के प्रति सकल अग्रिम	1.78	2.05
निवल एनपीए के प्रति निवल अग्रिम	0.00	0.00
प्रावधान व्याप्ति अनुपात	100	100

ख) क्षेत्र-वार अग्रिम और सकल अनर्जक आस्तियां

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र *	31.03.2024 तक			31.03.2023 तक		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत
अ	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र						
i.	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	922356	223.49	2.42	9019.56	227.50	2.53
	केसीसी	5593.95	185.76	3.32	5343.74	167.31	3.13
	स्वयं सहायता समूह	3421.69	31.70	0.93	3533.93	50.34	1.42
ii.	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत पात्र व्यवसाय/उद्योगों को	121.35	8.54	7.03	97.85	14.84	15.17
iii.	सेवाएं	928.12	16.63	1.79	24.00	1.52	6.37
	नकदी ऋण	928.12	16.63	1.79	23.91	1.45	6.07
iv.	वैयक्तिक ऋण	1122.57	2.62	0.23	1019.49	2.91	0.29
	आवास ऋण	1106.98	2.38	0.21	1006.99	2.11	0.21
	उप-जोड़ (अ)	11395.60	251.28	2.20	10160.90	246.76	2.43
आ	गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र						
i.	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ii.	उद्योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	सेवा क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	वैयक्तिक ऋण	3445.09	13.40	0.39	2732.10	17.07	0.62
	आभूषण ऋण	1672.46	0.31	0.02	1392.38	0.66	0.05
	डीएल/ सीडीएल	282.55	1.16	0.41	203.42	1.34	0.01
	उप-जोड़ (आ)	3445.09	13.40	0.39	2732.10	17.07	0.62
	जोड़ (अ + आ)	14840.69	264.68	1.78	12893.00	263.83	2.05

*क्षेत्रीय कुल के 10% से अधिक की बकाया शेष राशि वाले उप-क्षेत्रों का प्रकटन अलग से किया गया है।

ग) विदेशों में आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
कुल आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल अनर्जक आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	शून्य	शून्य



घ) समाधान योजना और पुनःसंरचना के विवरण

i) नःसंरचना के अधीन खातों के विवरण

(₹ करोड़ में)

		कृषि और संबद्ध गतिविधियां		कॉर्पोरेट (एमएसएमई को छोड़कर)		सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)		खुदरा (कृषि और एमएसएमई को छोड़कर)		कुल	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मानक	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	48	71	397	434	445	505
	सकल राशि (₹ करोड़)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1.19	2.17	46.34	53.30	47.53	55.47
	धारित प्रावधान (₹ करोड़)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.12	0.22	4.63	5.33	4.75	5.55
अवमानक	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	23	शून्य	6	10	29	10
	सकल राशि (₹ करोड़)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.69	शून्य	0.54	0.86	1.23	0.86
	धारित प्रावधान (₹ करोड़)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.69	शून्य	0.54	0.86	1.23	0.86
संदिग्ध	उधारकर्ताओं की संख्या	127	205	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	128	205
	सकल राशि (₹ करोड़)	0.52	0.83	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.03	शून्य	0.55	0.83
	धारित प्रावधान (₹ करोड़)	0.52	0.83	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.03	शून्य	0.55	0.83
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या	127	205	शून्य	शून्य	71	71	404	444	602	720
	सकल राशि (₹ करोड़)	0.52	0.83	शून्य	शून्य	1.88	2.17	46.91	54.16	49.31	57.16
	धारित प्रावधान (₹ करोड़)	0.52	0.83	शून्य	शून्य	0.81	0.22	5.20	6.19	6.53	7.24



ड) ऋण एक्सपोजरों के अंतरण का प्रकटन

i) दबावग्रस्त ऋणों के अंतरण अथवा उनकी अधिप्राप्ति के मामले में निम्नलिखित प्रकटन किए जाने चाहिए:

वर्ष के दौरान अंतरित दबावग्रस्त ऋणों के विवरण (एनपीए और एसएम्ए के रूप में वर्गीकृत ऋणों के लिए अलग-अलग बनाए जाएं)			
(सभी राशियां ' करोड़ में)	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को	अनुमतिप्राप्त अंतरितियों को	अन्य अंतरितियों को (कृपया स्पष्ट करें)
संख्या: खातों की	शून्य	शून्य	शून्य
अंतरित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	शून्य	शून्य	शून्य
अंतरित ऋणों का भारित औसत शेष परिपक्वता काल	शून्य	शून्य	शून्य
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय)	शून्य	शून्य	शून्य
संकलित प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य
पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में उगाहा गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान अधिप्राप्त ऋणों के विवरण			
(सभी राशियां ₹ करोड़ में)	आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित रास बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों, रास बैंकों, जिमस बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से	
अधिप्राप्त ऋणों का संकलित बकाया मूलधन	शून्य	शून्य	
प्रदत्त संकलित प्रतिफल	शून्य	शून्य	
अधिप्राप्त ऋणों का भारित औसत शेष परिपक्वता काल	शून्य	शून्य	

च) धोखाधड़ी वाले खाते

बैंक निम्नलिखित टेम्पलेट के अनुसार धोखाधड़ियों की संख्या और राशि तथा साथ ही उनके लिए किए गए प्रावधान का प्रकटन करेगा।

	31.03. 2024 तक	31.03. 2023 तक
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या	6	2
धोखाधड़ी में शामिल राशि (' करोड़)	1.42	0.04
ऐसी धोखाधड़ियों के लिए किए गए प्रावधान की राशि (' करोड़)	0.78	0.00
'अन्य प्रारक्षित निधियों' में से नामे की गई अपरिशोधित प्रावधान की राशि (' करोड़)	0	0

*धोखाधड़ी में शामिल ₹ 1.42 करोड़ की राशि में से ₹ 0.64 करोड़ की राशि वसूली गई और शेष राशि के लिए 100% प्रावधान किया गया।

छ) चोरियाँ: बुसापुर शाखा (निर्मल क्षेत्र)

वित्तीय वर्ष 2022-23 में 03.07.2022 (रविवार) को निर्मल क्षेत्र में बुसापुर शाखा (413) में चोरी हो गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹7,22,821/- की नकदी शेष की हानि हुई और 8343 ग्राम के सकल भार वाले 247 खातों के सोने के गहने चोरी हो गए, बैंक ने इससे ₹4,14,75,877/- के नुकसान का अनुमान लगाया और तदनुसार प्रावधान किया गया। बैंक ने ₹3,29,88,211/- की आभूषण हानि और ₹7,22,821/- की नकद हानि का आकलन किया और बैंक की खाता बहियों में इन राशियों को बट्टे खाते डाल दिया। वर्ष के दौरान ₹77,64,844/- के अतिरिक्त प्रावधान को खाता बहियों में वापस प्रविष्ट कर दिया गया। बैंक ने संबंधित उधारकर्ताओं के बचत बैंक खातों में ₹2,37,34,836/- की राशि के आभूषण ऋण की बकाया राशि के समायोजन के बाद ₹92,53,376/- की राशि संबंधित खातों में जमा कर दी है। बैंक ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को ₹3,41,02,362/- का दावा प्रस्तुत किया। नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने ₹2,29,69,871/- रुपये का भुगतान किया है जो सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मंजूर निवल समायोजित हानि राशि का 75% है। पुलिस विभाग द्वारा अंतिम जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् बीमा कंपनी द्वारा शेष 25% की राशि का भुगतान किया जाएगा।



ज) कोविड-19 संबंधी दबाव से निपटने के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटन

"समाधान ढांचा 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधी दबावों का समाधान" पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 05.05.2021 के परिपत्र सं.आरबीआई/2021-22/31 के दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक ने मार्च 2023 के दौरान ₹ 5633.35 लाख की राशि के 515 आवास ऋण और ट्रेक्टर ऋण खातों को पुनर्निर्धारित किया है और ₹ 563.35 लाख के 10% का प्रावधान किया है. 515 ऋण खातों में से 40 ऋण खाते वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बंद कर दिए गए हैं और ₹ 126.47 लाख के 30 खाते अनर्जक आस्ति की श्रेणी में फिसल गए, जिसके लिए 100% का प्रावधान किया गया है. शेष 445 खाते ₹ 4852.28 लाख की बकाया राशि के साथ मानक श्रेणी में हैं, जिसके लिए 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ₹ 475.23 लाख का प्रावधान किया गया है.

मार्च 2024 को समाप्त छमाही में किए जाने वाले प्रकटनों के लिए प्रारूप

(₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर पिछली छमाही की समाप्ति तक की स्थिति (अ)	(अ) में से, छमाही के दौरान अनर्जक आस्ति बन जाने वाला संकलित ऋण	(अ) में से छमाही के दौरान अपलिखित राशि	(अ) में से छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा अदा की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर वर्तमान छमाही की समाप्ति तक की स्थिति
वैयक्तिक ऋण	5416.40	57.34	0	725.09	4633.97
कॉर्पोरेट व्यक्ति *	0	0	0	0	0
इनमें से एमएसएमई	216.95	69.13	0	29.51	118.31
अन्य	0	0	0	0	0
कुल	5633.35	126.47	0	754.60	4752.28

*दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में दी गई परिभाषा के अनुसार.

2) एक्सपोजर

क) भूसंपदा क्षेत्र को एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
i) प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
क) आवासीय बंधक - ऐसी आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित उधार देना जो उधारकर्ता द्वारा कब्जा की गई अथवा की जाएगी अथवा किराए पर दी गई है. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों में शामिल किए जाने हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋणों को अलग से दिखाया जाएगा. एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सीमाएं भी शामिल होंगी.	2229.11	1734.13
ख) वाणिज्यिक भूसंपदा - वाणिज्यिक भूसंपदा (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम परिसर, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण कार्य, आदि) पर बंधक द्वारा सुरक्षित उधार देना. एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सीमाएं भी शामिल होंगी;	1.93	2.76
ग) बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश - i. आवासीय ii. वाणिज्यिक भूसंपदा	शून्य	शून्य
ii) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर राष्ट्रीय आवास बैंक और आवास वित्त कंपनियों में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर		
भूसंपदा क्षेत्र को कुल एक्सपोजर	2231.04	1736.89



ख) पूंजी बाज़ार को एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
i) इक्विटी शेयरों, संपरिवर्तनीय बॉण्डों, संपरिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी समूह निधि को पूरी तरह से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है;	शून्य	शून्य
ii) शेयरों / बॉण्डों / डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ / ईसॉप सहित), संपरिवर्तनीय बॉण्डों, संपरिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों के यूनिटों में निवेश के लिए क्लीन बेसिस पर अग्रिम;	शून्य	शून्य
iii) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहां शेयर अथवा संपरिवर्तनीय बॉण्ड अथवा संपरिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	शून्य	शून्य
iv) किसी अन्य प्रयोजन के लिए शेयरों की संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा संपरिवर्तनीय बॉण्डों अथवा संपरिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों के यूनिटों द्वारा प्रतिभूत सीमा तक अग्रिम यानी जहां शेयरों/ संपरिवर्तनीय बॉण्डों / संपरिवर्तनीय डिबेंचरों / इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों के यूनिटों को छोड़कर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती;	शून्य	शून्य
v) शेयर दलालों को प्रतिभूतियुक्त और प्रतिभूतिरहित अग्रिम तथा शेयर दलालों और बाज़ार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	शून्य	शून्य
vi) संसाधन जुटाने वाली नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के रूप में अंशदान करने के लिए शेयरों / बॉण्डों / डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा अथवा क्लीन बेसिस पर कॉर्पोरेट्स को स्वीकृत ऋण;	शून्य	शून्य
vii) प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों / निर्गमों के समक्ष कंपनियों को पूरक ऋण;	शून्य	शून्य
viii) शेयरों अथवा संपरिवर्तनीय बॉण्डों अथवा संपरिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुखी म्यूच्युअल फंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	शून्य	शून्य
ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों का वित्तपोषण;	शून्य	शून्य
x) जोखिम पूंजी निधि (पंजीकृत और गैर-पंजीकृत दोनों) में सभी एक्सपोज़र	शून्य	शून्य
पूंजी बाज़ार में कुल एक्सपोज़र	शून्य	शून्य

ग) जोखिम श्रेणी-वार देश एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31.03.2024 तक एक्सपोज़र (निवल)	31.03.2024 तक धारित प्रावधान	31.03.2023 तक एक्सपोज़र (निवल)	31.03.2023 तक धारित प्रावधान
नगण्य	अनु	अनु	अनु	अनु
निम्न	अनु	अनु	अनु	अनु
मामूली रूप से निम्न	अनु	अनु	अनु	अनु
मामूली	अनु	अनु	अनु	अनु
मामूली रूप से उच्च	अनु	अनु	अनु	अनु
उच्च	अनु	अनु	अनु	अनु
अति उच्च	अनु	अनु	अनु	अनु
कुल	अनु	अनु	अनु	अनु

घ) अप्रतिभूत अग्रिम

बैंक ने एसएचजी को दी गई ऋण सुविधाओं को ₹ 10 लाख की सीमा तक स्वीकृत खातों को अप्रतिभूत अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया है और ₹ 10 लाख की मंजूर सीमा से ऊपर के खातों के लिए, सूक्ष्म इकाइयों हेतु सीजीएफएमयू क्रेडिट गारंटी निधि के तहत कवर की गई बकाया राशि के 75% को प्रतिभूत और शेष को अप्रतिभूत के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	2837.69	3272.90
उपर्युक्त में से, उन अग्रिमों की राशि जिनके लिए अधिकारों, लाइसेंसों, प्राधिकार आदि पर ऋण-भार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ली गईं:	शून्य	शून्य
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	शून्य	शून्य

ड) फैक्टरिंग एक्सपोजर

फैक्टरिंग एक्सपोजर का प्रकटन अलग से किया जाएगा।

च) अंतःसमूह एक्सपोजर

संबंधित पक्षों के उल्लेखनीय लेनदेनों का सारांश नीचे प्रस्तुत है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त	शून्य	शून्य
भारतीय स्टेट बैंक को प्रदत्त ब्याज	1682.89	146.06
निम्नलिखित में किए गए निवेश:		
भारतीय स्टेट बैंक-एसटीडीआर के रूप में	10460.82	10128.46
एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	0.00	0.00
भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त ब्याज	5.72	299.91
एसबीआई में निवेश की बिक्री से प्राप्त लाभ	0.00	0.00
एसबीआई लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड में उपदान निधि में अंशदान	1589.12	0.00
एसबीआई लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड में समूह छुट्टी नकदीकरण पॉलिसी में अंशदान	0.00	0.00
एसबीआई लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड में पेंशन ट्रस्ट पॉलिसी में ट्रस्ट की ओर से अंशदान	15404.81	8051.90
भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता शेष	3341.95	2554.96
अंतःसमूह एक्सपोजरों में सीमाओं का उल्लंघन और उनपर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो तो	शून्य	शून्य

3) जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजरों और अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण**क) जमाराशियों का संकेन्द्रण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
बीस सर्वाधिक जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	3026.53	2720.23
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सर्वाधिक जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	21.32%	21.57%

ख) अग्रिमों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	26.35	23.38
बैंक द्वारा उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को एक्सपोजर का प्रतिशत	0.18%	0.18%

ग) एक्सपोजरों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	26.35	23.38
बैंक की कुल अग्रिम राशियों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं की अग्रिमराशियों का प्रतिशत	0.18%	0.18%

घ) अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
सबसे बड़े बीस अनर्जक आस्ति खातों को कुल एक्सपोजर	3.10	0.98
कुल सकल अनर्जक आस्तियों में सबसे बड़े बीस अनर्जक आस्ति खातों को एक्सपोजर का प्रतिशत	1.17%	0.37%

4) व्युत्पन्न

क) वायदा दर करार/ ब्याज दर स्वेप

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
i) स्वेप करारों का नोशनल प्रिंसिपल		
ii) यदि प्रतिपक्षकार समझौतों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे तो होने वाली हानियां	चालू वर्ष में 31.03.2024 तक व्युत्पन्नों में कोई भी लेनदेन नहीं किए गए.	चालू वर्ष में 31.03.2023 तक व्युत्पन्नों में कोई भी लेनदेन नहीं किए गए.
iii) स्वेप के निष्पादन हेतु बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक		
iv) स्वेप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम की संकेन्द्रता		
v) स्वेप बुक का उचित मूल्य		

ख) एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाने वाले ब्याज दर व्युत्पन्न

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज पर ट्रेड किए गए ब्याज दर व्युत्पन्नों की नोशनल प्रिंसिपल राशि (लिखत-वार)		
ii)	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार बकाया एक्सचेंज पर ट्रेड किए गए ब्याज दर व्युत्पन्नों की नोशनल प्रिंसिपल राशि (लिखत-वार)	चालू वर्ष में और पिछले वर्ष में व्युत्पन्नों में कोई भी लेनदेन नहीं किए गए.	चालू वर्ष में और पिछले वर्ष में व्युत्पन्नों में कोई भी लेनदेन नहीं किए गए.
iii)	एक्सचेंज पर ट्रेड किए गए ब्याज दर व्युत्पन्नों की नोशनल प्रिंसिपल राशि बकाया है और 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (साधन वार)		
iv)	एक्सचेंज पर ट्रेड किए गए ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया और 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं (साधन वार) का मार्क टू मार्केट मूल्य		



ग) व्युत्पन्नो में जोखिम एक्स्पोजर का प्रकटन

i) गुणवत्तात्मक प्रकटन

बैंक ने 31.03.2024 तक व्युत्पन्नो में कोई भी लेनदेन नहीं किए हैं.

ii) मात्रात्मक प्रकटन

बैंक ने 31.03.2024 तक व्युत्पन्नो में कोई भी लेनदेन नहीं किए हैं.

घ) ऋण चूक स्वैप

लागू नहीं

5) जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईएफंड) में अंतरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
i)	डीईए फंड में अंतरित राशियों का अधशेष	25.75	3.68
ii)	जोड़: वर्ष के दौरान डीईए फंड में अंतरित राशियां	33.76	*22.48
iii)	घटाएं: दावों की एवज में डीईए फंड द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशियां	1.33	0.41
iv)	डीईए फंड में अंतरित राशियों का इतिशेष	58.18	25.75

*इसमें पूर्ववर्ती ग्रामीण बैंकों, जो डेक्कन ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलित हुए थे (अब तेलंगाना ग्रामीण बैंक), से संबंधित ₹154.76 लाख की समाधान नहीं की हुई क्रेडिट शेष राशि शामिल है, जो 10 वर्षों से भी अधिक समय से बकाया है और जिसका विवरण उपलब्ध नहीं है. अतः उस राशि को डीईएफंड में अंतरित कर दिया गया है.

6) शिकायतों का प्रकटन

क) बैंक द्वारा ग्राहकों और लोकपाल³ के कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों का सारांश

क्रम सं.	विवरण	2022-23	2023-24
बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	103	558
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	103	549
3.1	इनमें से, बैंक द्वारा निरस्त की गई शिकायतों की संख्या	0	0
4.	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	0	9
बैंक द्वारा लोकपाल के कार्यालय से प्राप्त संधार्य शिकायतें			
5.	बैंक द्वारा लोकपाल के कार्यालय से प्राप्त संधार्य शिकायतों की संख्या	38	32
5.1.	उक्त 5 में से, लोकपाल के कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में समाधित शिकायतों की संख्या	38	32
5.2	उक्त 5 में से, लोकपाल के कार्यालय द्वारा सुलह / मध्यस्थता / परामर्श जारी करने के माध्यम से समाधित शिकायतों की संख्या	0	0
5.3	उक्त 5 में से, लोकपाल के कार्यालय द्वारा बैंक के विरुद्ध निर्णय पारित करने के पश्चात् समाधित शिकायतों की संख्या	0	0
6.	विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्यान्वित नहीं किए गए निर्णयों की संख्या (उन मामलों को छोड़कर जिनमें अपील की गई है)	0	0

नोट : संधार्य शिकायतें उन शिकायतों को कहा जाता है जो विशिष्ट रूप से एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पहले बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में उल्लिखित आधारों के अनुसार की जाती हैं और जो उक्त योजना के दायरे में आती हैं.



ख) बैंक द्वारा ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के पांच प्रमुख कारण

शिकायतों के कारण, (अर्थात् निम्नलिखित से संबंधित शिकायतें)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	31.03.2023 तक प्राप्त शिकायतों की तुलना में शिकायतों की संख्या में वृद्धि / कमी का %	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	उक्त 5 में से, 30 दिन से अधिक समय तक लंबित रहने वाली शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
वित्तीय वर्ष 2023-24					
कारण - 1	0	81	2600%	0	0
कारण - 2	0	150	1264%	1	0
कारण - 3	0	67	168%	4	0
कारण - 4	0	0	-100%	0	0
कारण - 5	0	129	2480%	3	0
अन्य	0	131	126%	1	0
कुल	0	558	442%	9	0
वित्तीय वर्ष 2022-23					
कारण - 1	0	3	-73%	0	0
कारण - 2	0	11	-39%	0	0
कारण - 3	0	25	733%	0	0
कारण - 4	0	1	0	0	0
कारण - 5	0	5	66.66%	0	0
अन्य	0	58	262.50%	0	0
कुल	0	103	98.07%	0	0

कारण-1: एटीएम / डेबिट कार्डों से संबंधित

कारण-2: मोबाइल / इंटरनेट / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित

कारण-3: ऋण और अग्रिम

कारण-4: प्रभार लगाना

कारण-5: यूपीआई से संबंधित

अन्य : सूचना प्राप्त करने हेतु (एमपिन भूल जाना/ एमपिन रीसेट के लिए/ एटीएम कार्ड गुम हो जाना/ आईएफएस कोड पूछताछ, आदि)

7. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटन

क्रम सं.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निम्नलिखित के प्रावधानों के अंतर्गत लगाए गए दंड	दंड
(i)	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	शून्य
(ii)	भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007	शून्य
(iii)	सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल की बाउंसिंग के लिए)	शून्य
(iv)	रेपो - चूक की घटनाओं की संख्या तथा साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त दंड की मात्रा	शून्य

8. पारिक्षमिक पर प्रकटन

प्रबंधकीय पारिक्षमिक के विवरण:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
श्रीमती वाई.शोभा, अध्यक्ष	37.68	33.05
श्री बी.अरविंद, अध्यक्ष 11.08.2022 को अपने मूल बैंक के लिए कार्यमुक्त	0.00	17.80
#श्री सतीष कुमार महाप्रबंधक - II 30.06.2022 को अपने मूल बैंक के लिए कार्यमुक्त	0.00	12.62
#श्री के सुब्बा राव - महाप्रबंधक (सतर्कता) 30.06.2022 को अपने मूल बैंक के लिए कार्यमुक्त	0.00	15.39
श्री बी.एस.महेश महाप्रबंधक आईटी 16.08.2023 को अपने मूल बैंक के लिए कार्यमुक्त	18.17	39.34
श्रीमती के.पी.शोभा रानी, महाप्रबंधक-I	35.26	36.60
श्री के.वी.प्रसाद, महाप्रबंधक-III	34.12	35.77
श्री डी. रमेश, महाप्रबंधक-II	27.45	25.53
श्रीमती भारती तायार, महाप्रबंधक (सतर्कता)	29.08	29.76
श्री टी.चंद्र शेखर, महाप्रबंधक - I	15.78	0.00

* प्रायोजक बैंक के स्टाफ के पारिश्रमिक की दिसंबर 2023 तक की प्रतिपूर्ति, जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक की अवधि के लिए अभी तक दावा नहीं किया गया है, तथापि, बैंक ने 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार चतुर्थ तिमाही के लिए ₹ 1.02 करोड़ का प्रावधान किया हुआ है,

9. अन्य प्रकटन

क) व्यवसाय अनुपात

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
i) जमाराशियों की लागत, कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में	8.81%	8.71%
ii) निवल ब्याज मार्जिन, कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में	1.23%	1.49%
iii) जमाराशियों की लागत	5.51%	4.78%
iv) निवल ब्याज मार्जिन	4.16%	4.66%
v) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	3.38%	3.70%
vi) आस्तियों पर प्रतिलाभ	2.42%	2.62%
vii) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमाराशियां और अग्रिम) (₹ करोड़ में)	15.71	14.63
viii) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	0.29	0.26

ख) बैंकएश्योरेंस व्यापार

बैंक 31.03.2024 तक और 31.03.2023 तक दोनों वर्षों के लिए अपने द्वारा किए गए बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और बैंकएश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में अर्जित शुल्क/ब्रोकरेज का विवरण प्रकट करेगा,

2023-24	2022-23
₹ 1175.15 लाख	₹ 896.04 लाख

ग) विपणन और वितरण

बैंक अपने द्वारा किए गए विपणन और वितरण कार्यों (बैंकएश्योरेस व्यापार को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्कों / पारिश्रमिक का विवरण प्रकट करेगा.

2023-24	2022-23
₹ 160.34 लाख	₹ 186.70 लाख

घ) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण-पत्रों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटन

बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर प्लैटफॉर्म के माध्यम से 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान विभिन्न तिथियों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण-पत्रों (पीएसएलसी) के माध्यम से निम्नलिखित प्राथमिकता-प्राप्त अग्रिम बचे और खरीदे हैं.

(₹ लाख में)

पीएसएलसी की बिक्री			
	घटक	राशि	अर्जित प्रीमियम
	पीएसएलसी एसएम	686500.00	12307.00
	पीएसएलसी सामान्य	40000.00	80.00
	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम	-	-
	कुल	426500.00	12387.00
पीएसएलसी की खरीद			
	घटक	राशि	प्रदत्त प्रीमियम
	पीएसएलसी सामान्य	255000.00	25.50
	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम	59500.00	91.20
	पीएसएलसी ए	-	-
	कुल	314500.00	116.70

ङ) प्रावधान और आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लाभ और हानि खाते में नामे किया गया प्रावधान	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
i.	अनर्जक निवेशों (एनपीआई) के लिए प्रावधान	-	-
ii.	अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए प्रावधान	24.51	28.89
iii.	आयकर के लिए किया गया प्रावधान	178.00	150.52
iv.	अन्य के लिए प्रावधान	0.00	0.06
v.	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	5.33	4.81
vi.	धोखाधड़ियों के लिए प्रावधान	0.00	0.00
	कुल	207.84	183.76



च) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
i.	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	14.82	13.65
ii.	डीआईसीजीसी प्रीमियम में बकायों का भुगतान	शून्य	शून्य

छ) बैंकों के कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के फलस्वरूप व्ययों के परिशोधन पर प्रकटन : शून्य

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स एम. भास्करा राव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000459S

कृते तेलंगाना ग्रामीण बैंक

ह/-
(श्री एम.वी. रमण मूर्ति)
भागीदार
सदस्यता सं. 206439

ह/-
(श्री टी. चंद्र शेखर)
महाप्रबंधक-I

ह/-
(श्रीमती वाई शोभा)
अध्यक्ष



31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ 000' में)

विवरण		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:	अ		
कर पूर्व निवल लाभ		7086608	5992473
निम्नलिखित के लिए समायोजन:			
अचल आस्तियों पर मूल्यहास		70692	61081
अचल आस्तियों की बिक्री पर हानि		(21)	156
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		53299	48135
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान		245099	288895
एचटीएम निवेशों का परिशोधन		13055	13820
घटाएं:			
आस्थगित कर आस्ति समायोजन		0	1220
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व का परिचालन लाभ (अ का उप-जोड़)		7468732	6405781
कार्यशील पूंजी परिवर्तन:			
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)		15844860	15705397
उधारराशियों में वृद्धि / (कमी)		12899204	11555031
देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)		723909	639954
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी		(19766852)	(16588884)
निवेशों में (वृद्धि) / कमी		1102170	3086836
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(358678)	1053249
परिचालनों से सृजित नकदी		17913344	21857364
घटाएं: प्रदत्त आयकर		(1858712)	(1624945)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी		16054632	20232419
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:	आ		
अचल आस्तियों की खरीद		(84595)	(79088)
अचल आस्तियों पर मूल्यहास		457	(144338)
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी (आ का उप-जोड़)		(84138)	(223426)
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह:	इ		
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी (इ का उप-जोड़)		0	0
नकदी और नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (अ+आ+इ)		15970494	20008993
प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य		43372947	23363954
अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य		59343441	43372947
अंतिम नकदी ओर नकदी समतुल्यों पर नोट			
i) हाथ में नकदी		469552	606675
ii) भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में शेषराशियां		5427321	4793426
iii) मीयादी जमाराशि		53446568	37972846
कुल		59343441	43372947

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स एम. भास्करा राव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 000459S

ह/-
(श्री एम.वी. रमण मूर्ति)
भागीदार
सदस्यता सं. 206439

कृते तेलंगाना ग्रामीण बैंक

ह/-
(श्री टी. चंद्र शेखर)
महाप्रबंधक-I

ह/-
(श्रीमती वाई शोभा)
अध्यक्ष





Shri T.Rabi shanker, Deputy governor, RBI presenting IBA technology awards 2023 to the Chairman, Smt. Y.Sobha



తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ తెలంగాణ గ్రామీణ బేంక్
TELANGANA GRAMEENA BANK

(SPONSORED BY STATE BANK OF INDIA)

HEAD OFFICE :

2-1-520, 2nd Floor, Vijayasrisai Celestia,
Street No.9, Shankarmutt Road, Nallakunta,
Hyderabad - 500 044. T.S. India.

Tel. No.'s: 040-27602091

e-mail: tgbho@tgbhyd.in website: www.tgbhyd.in